खण्ड-146, अंक-2
मंगलवार, 23 अग्रहायण, शक संवत् 1876
(14 दिसम्बर, 1954 ई0)

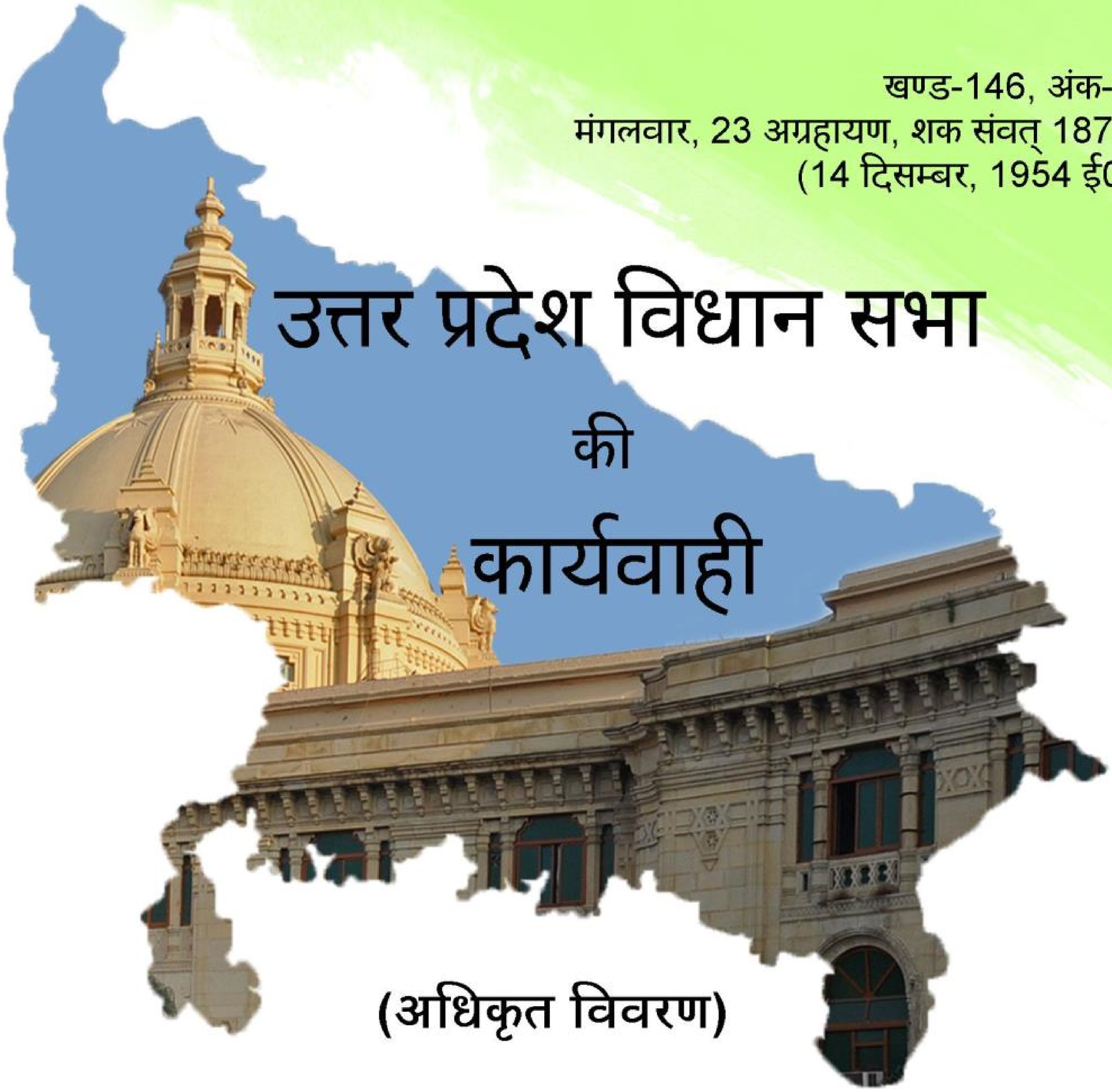

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 146 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १४ दिसम्बर, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२९)

अंसमान सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्त स्वरूप सिंह, श्री
अमरेश चन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आर्थर ग्राइस, श्री
आशा लता व्यास, श्रीमती
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करन सिंह यादव, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दर लाल, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तर सिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयेंद्रसिंह बिष्ट, श्रीग
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडेराय, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर , श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य, श्री
द्वारका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ , श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण दीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल,श्री
पुद्दनराम , श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबू नन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बेचनराम, श्री
बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री

भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला सिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराज सिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुना सिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश चन्द्र शर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजबंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मण दत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती

विधान सभा उत्तर प्रदेश

लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसेन, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
बंशनारायण सिंह, श्री
बंशीदास धनगर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
बासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्री
विश्राम राय, श्री
विष्णु दयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेंद्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकर लाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदान सिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द्र, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण बाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथ राम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी, श्री
सुरेश प्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र बाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनदन बहुगुणा, श्री
होतीलाल दास, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

मऊ (आजमगढ़) पावर हाउस से बलिया जिले के लिए बिजली

*१--श्री गंगा प्रसाद सिंह (जिला बलिया)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मऊ (आजमगढ़) पावर हाउस में कितनी विद्युत शक्ति पैदा करने की क्षमता है और किन-किन जिलों को यह शक्ति दी जा सकेगी ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)--मऊ (आजमगढ़) पावर हाउस से १०,००० किलोवाट विद्युत शक्ति पैदा होगी और उससे आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया जिलों को और जौनपुर जिले के कुछ भागों को बिजली मिल सकेगी।

*२--श्री गंगाप्रसाद सिंह--क्या यह सही है कि इस पावर हाउस में और शक्ति प्रजनन करने के हेतु किसी जर्मन कम्पनी को ठेका दिया जाने वाला है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी हां।

*३--श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मऊ पावर हाउस से जिला बलिया को कब तक बिजली मिल सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--आशा की जाती है कि सन् १९५६ तक बलिया जिले को इस पावर हाउस से बिजली मिल सकेगी।

श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मऊ पावर हाउस से इस समय कितनी बिजली पैदा होती है और किस परिमाण में कहा-कहां दी जाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जहां तक कि तमाम जगहों का ताल्लुक है वह तो मैं अपनी याद से नहीं बता सकता लेकिन इस वक्त १८०० या १५०० किलोवाट बिजली बनती है।

श्री गंगा प्रसाद सिंह--यह दस हजार किलोवाट की बिजली कब तक पैदा होगी और बताये गये जिलों को कब तक कितनी-कितनी बिजली मिल सकेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह तो जवाब में दिया हुआ है।

श्री राम सुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--जर्मन कम्पनी को जो यह ठेका दिया जा रहा है वह किस शर्त पर दिया जा रहा है, क्या यह बताने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस वक्त उस का एग्रीमेंट यहां मेरे पास नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह जर्मन कम्पनी का ठेका कितने साल के लिये दिया जा रहा है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--सालों का सवाल ही नहीं उठता, वह तो पावर हाउस के बनाने की बात है, जितना वक्त लगेगा उतने का ही ठेका है।

श्री गंगा प्रसाद सिंह--क्या यह सही है कि और कम्पनियों ने भी इस ठेके के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे, यदि हां, तो किन किन कम्पनियों ने ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह यहां नहीं हुआ, गवर्नमेंट आफ इंडिया में हुआ था, वहीं दरख्वास्तें आई थीं, मुझे नहीं मालूम किस-किस की दरख्वास्तें आई थीं।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि यह पावर हाउस हाइडल से चलेगा या भाप की शक्ति से ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह पावर स्टेशन स्टीम का होगा, इस वक्त डीजल आयल का है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि यह ठेका कितने का दिया गया है ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—वह तो अभी दिया जा रहा है।

श्री गंगा प्रसाद सिंह—क्या सरकार कृपा कर के बतायेगी कि इस जर्मन कम्पनी ने अभी काम करना शुरू कर दिया है या नहीं ?

श्री हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—यह गवर्नमेंट आफ इंडिया से हो रहा है और उसकी मुकम्मिल कार्यवाही होकर अभी नहीं आई है, जब तय हो जायगा तो कार्यवाही शुरू हो जायगी।

बस्ती जिले में पंचायत निरीक्षक क्षेत्र उस्का बाजार में कुओं का निर्माण

*४—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि पंचायत निरीक्षक क्षेत्र उस्का बाजार जिला बस्ती में सरकारी सहायता योजना के अन्तर्गत कितने कुयें सन् १९५२-५३ में और १९५३-५४ में मंजूर हुये और बने ?

सिंचाई उप मंत्री (श्री रामसूर्ति)—पंचायत निरीक्षक उस्का बाजार क्षेत्र में १९५२-५३ वर्ष में ७२ पक्के कुयें स्वीकृत हुये थे और उनमें से १६ कुयें बनें। १९५३-५४ वर्ष में ७ कुयें स्वीकृत किये गये परन्तु उनके पूर्ण होने की रिपोट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

*५—श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त सालों में बस्ती जिले के लिये कुल कितने कुओं को सहायता देना सरकार ने मंजूर किया था ?

श्री रामसूर्ति—सरकारी सहायता द्वारा कूप बनाने की योजना के अन्तर्गत बस्ती जिले के लिये १९५२-५३ वर्ष में १००० व १९५३-५४ वर्ष में ३०० कुयें निर्धारित किये गये थे।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ५२-५३ में जो ७२ कुयें मंजूर हुये थे उनमें से कुल १६ कुयें क्यों बने ?

श्री रामसूर्ति—जिन लोगों की दरख्वास्तें आयी थीं उन्होंने बाद में दरख्वास्त देकर रुपया लिया नहीं, इसलिये नहीं बने।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय—क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी थीं उनको समय पर सामान नहीं मिल सका ?

श्री रामसूर्ति—यह बात सही है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन ७२ कुओं के लिये कितना रुपया सरकार ने मंजूर किया था ?

श्री रामसूर्ति—पांच सौ रुपया फी कुआं मंजूर किया गया था। उसमें से जब कुआं बनकर तैयार हो जाता तो ४ सौ रुपया बतौर ग्रांट के मंजूर कर लिया जाता और एक सौ रुपया जो आदमी कुआं बनवाता उनको वापस देना होता।

श्री मथुरा प्रसाद पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी को यह भी ज्ञात है कि सन् १९५३-५४ में जो ७ कुयें मंजूर हुये हैं उनको आज तक भी सामान नहीं मिला ?

श्री राममूर्ति--इसकी तो सूचना मेरे पास नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य लिखकर दे देंगे तो उसकी जांच कर ली जायगी ।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने ऐसे कुयें हैं जिनको प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सबसीडी तो दे दी है लेकिन उनकी तामीर अभी तक नहीं हुई ?

श्री राममूर्ति--मैंने अर्ज किया कि हमारे यहां तो १६ कुयें बनने की रिपोर्ट आयी है और बाकी की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है ।

श्री शिवमंगल सिंह कपूर (जिला बस्ती)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि समय पर सामान न मिलने के क्या कारण हैं ?

श्री राममूर्ति--बाजार में सीमेंट नहीं मिल रहा था और उसकी वजह से सामान सप्लाई नहीं किया जा सका ।

बबेरू तहसील में नई नहरों का निर्माण

*६--श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)--क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि रनगवां बांध के पानी से बबेरू तहसील की सिंचाई का कुछ क्षेत्र बढ़ाया गया है ?

श्री राममूर्ति--जी हां ।

*७--श्री जगपति सिंह--यदि हां, तो नई बंधियों का विस्तार कहां तक बढ़ाया गया है?

श्री राममूर्ति--रनगवां के पानी के लिये बबेरू तहसील में नई बंधियों के बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इस तहसील में ६० मील लम्बी नई नहरें बनाई जा रही हैं । इन नई नहरों से तथा मौजूदा नहरों से पानी की बढी मात्रा से ५४,००० एकड़ नये क्षेत्र की सिंचाई होगी ।

श्री जगपति सिंह--क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतलायेंगे कि बबेरू के पूर्वी भाग में कुछ नहर बढ़ाई गई है? यदि हां, तो कहां तक ? किन-किन गांवों तक बढाई जायगी ?

श्री अध्यक्ष--दूसरे भाग की मैं इजाजत नहीं दूंगा । पहले भाग का जवाब देना चाहें तो दे सकते हैं ।

श्री राममूर्ति--पूर्वी और पश्चिमी भाग का तो इस समय पता नहीं है लेकिन बबेरू तहसील में नहरें बढ़ाई गई हैं ।

*८-१०--श्री गज्जू राम (जिला झांसी)--[११ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

*११-१३--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--[१८ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये ।]

कनखल बांध के पुर्ननिर्माण का विचार

*१४--श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)--क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि अतिवृष्टि के कारण इन दिनों कनखल का जो बांध बह गया है उससे कितनी क्षति हुई है एवं सरकार उस बांध को पुनः बनवाने का कब तक विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति--कनखल बांध बह जाने से लगभग ४,०१,००० रुपये की क्षति हुई है। इस वर्ष की बाढ़ से उत्पन्न हुई नदी की दशाओं का पूरी तौर से निरीक्षण हो जाने पर एवं नहर विभाग की अनुसंधानशाला में विशेष प्रयोगों द्वारा बांध के डिजाइन का निश्चय हो जाने पर बांध का पुनः निर्माण किया जायेगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि यह बांध किस साल बना था और उसके बनाने में क्या खर्च हुआ था ?

श्री राममूर्ति--यह बांध ५०-५१ में बना था। खरचे के बारे में इस वक्त मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सही है कि यह बांध बनाने के पहले नहर विभाग की अनुसंधानशाला में इसका प्रयोग किया गया था ?

श्री राममूर्ति--गालिबन किया गया होगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सही है कि बांध बह जाने के बाद मुख्य मंत्री जी ने चीफ इंजीनियर को रिपोर्ट के लिये वहां भेजा था ?

श्री राममूर्ति--यह भी सही होगा।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या मंत्री जी उस रिपोर्ट का कुछ हिस्सा बतला सकेंगे ?

श्री राममूर्ति--वह रिपोर्ट तो इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--क्या माननीय सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस बाढ़ आने से पहले इंजीनियरों ने उस बांध की कोई परीक्षा की थी और उसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी ?

श्री राममूर्ति--दरिया में इस साल बाढ़ जरूरत से ज्यादा आ गई जिसकी वजह से बांध बह गया। पिछले दो सालों में जितना पानी दरिया में आया उसमें बांध ने स्टैंड किया। इस साल पिछले वक्त में बारिश ज्यादा हो जाने के कारण दरिया में जरूरत से ज्यादा पानी आ गया करीब ढाई लाख क्यूबिक फिट, जब कि पिछले सालों में करीब डेढ़ लाख क्यूबिक फिट पानी आया था, जिसकी वजह से बांध बह गया।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या माननीय मंत्री जी बतालायेंगे कि यह बांध किसके निरीक्षण में बना था ? सरकारी निरीक्षण में या किसी ठेकेदार के मातहत ?

श्री राममूर्ति--निरीक्षण तो सरकार के जरिये से होता है लेकिन काम ठेके के जरिये से।

श्री झारखंडे राय--क्या सरकार को ऐसी सूचना मिली थी कि इस बांध को बनाने में सीमेंट की जगह बालू के बोरे डाले गये थे ?

श्री राममूर्ति--सीमेंट में तो बालू मिलाई ही जाती है।

श्री दीनदयालु शास्त्री--क्या यह सही है कि ठेकेदार को दो बरस तक इस बांध की मेटेनेंस करनी पड़ी थी और उसके बाद वह बह गया ?

श्री राममूर्ति--मेंटनेंस तो हर साल हर बात और चीज की होती है।

मऊरानीपुर (झांसी) म्यूनिसिपल बोर्ड की सड़कों को नहर विभाग की गाड़ियों से क्षति

*१५—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सपरार (झांसी) बांध के बनने में कितना समय लगा तथा उसका सामान ढोने के लिये कितने ट्रक आदि काम करते थे जो मऊ म्युनिसिपैलिटी की सड़कों से गुजरते थे ?

श्री राममूर्ति— सपरार बांध के बनने में लगभग ३ वर्ष लगे इस बीच मऊ रानीपुर रेलवे स्टेशन से बांध तक सीमेंट ढोने के लिये २ से ४ सरकारी ट्रक काम में लाये गये। जिसमें २।। मील मऊरानीपुर बोर्ड तथा २।। मील पी० डब्ल्यू० डी० की सड़क का प्रयोग किया गया।

*१६—श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या मऊरानीपुर (झांसी) म्यूनिसिपल बोर्ड सरकार से बराबर अनुरोध कर रही है कि उक्त ट्रकों आदि के कारण उसकी सड़कों पुल व पुलियों आदि को जो क्षति पहुंची है उसकी मरम्मत व रख-रखाव के लिये उसे रुपया दिया जाय ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री राममूर्ति—मऊरानीपुर बोर्ड ने सड़कों की क्षति के मुआविजे की प्रार्थना की थी। इसके उत्तर में उन्हें सूचित कर दिया गया कि उनकी प्रार्थना स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि सरकारी ट्रकों को उनकी सड़कों का उपयोग करने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य निजी ट्रकों और बैलगाड़ियों को।

श्री लक्ष्मण राव कदम—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि बांध के इंजीनियर साहब ने इन सड़कों और पुलियों की मरम्मत करा देने का वायदा किया था ?

श्री राममूर्ति—श्रीमन्, इस रिपोर्ट में इसका कहीं जिक्र नहीं है।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार मऊ रानीपुर म्यूनिसपल बोर्ड की माली हालत को देखते हुये उनकी दरख्वास्त पर पुनः विचार करने की कृपा करेगी ?

श्री राममूर्ति—मऊरानीपुर झांसी जिले की बहुत बड़ी मंडी है। वहां हजारों गाड़ियां म्यूनिसिपैलिटी की सड़क पर चलती हैं और यह जो मकहमा नहर की गाड़ियां थीं वह रबर टायर की थीं, इनसे इतना नुकसान नहीं पहुंचता है, जितना कि उन गाड़ियों से।

यू० पी०, पी० डब्ल्यू० डी० आई० बी० टयूबवेल टेक्निकल इम्पलाइज़ असोसियेशन का स्मृति-पत्र

*१७—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यू० पी०, पी० डब्ल्यू० डी० आई० बी० टयूबवेल टेक्निकल इम्पलाईज असोसियेशन की ओर से उसकी सेवा में कोई स्मृति-पत्र आया है ?

श्री राममूर्ति—जी हां। असोसियेशन की मांगों का स्मृति-पत्र अक्तूबर, १९५४ में चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग ने सरकार को भेजा था।

*१८—श्री झारखंडे राय—अगर हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उस स्मृति-पत्र की मुख्य मांगें क्या हैं ?

श्री राममूर्ति— स्मृति-पत्र की मांगों का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४९–१५० पर।)

*१९—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राममूर्ति—प्रार्थनापत्र में की गई मांगों पर जो कार्यवाही की गई उसका विवरण भी संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४९–१५० पर।)

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि मिस्त्रियों के हेड-क्वार्टर्स के व्यय के विषय में सरकार ने कोई ऐस्टीमेंट बनवाया था ? यदि हां, तो कितने का था ?

श्री राममूर्ति—मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके जो फेहरिस्त दी हुई है उसके किस नम्बर के बारे में आप पूछ रहे हैं वह भी बता दें।

श्री झारखंडे राय—३ (घ) के विषय में। मिस्त्रियों के वेतन क्रम के विषय में निर्णय हो जाने की कब तक आशा है ?

श्री राममूर्ति—यह सरकार के विचाराधीन है।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी इस असोसियेशन के डेप्यूटेशन से मिलने के लिये जो उनकी मांग थी, उस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री राममूर्ति—कोई खास जरूरत तो नहीं है। अगर हमारे माननीय सदस्य इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देंगे और जरूरत समझते हैं तो मिल भी लेंगे।

श्री नारायण दत्त तिवारी—क्या मंत्री जी को याद है कि उन्होंने कुछ मास पूर्व इसी सदन में मेरे एक पूरक प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे आश्वासन दिया था कि मिस्त्रियों का वेतन क्रम अवश्य बढ़ाया जायगा ?

श्री राममूर्ति—हमने इसके बारे में विचार करने से कभी कोई इन्कार नहीं किया।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या माननीय मंत्री जी स्मृतिपत्र की मुख्य-मुख्य मांगें सदन को बताने की कृपा करेंगे।

श्री अध्यक्ष—मिस्त्रियों के बारे में पूछ रहे हैं आप ?

श्री रामचन्द्र विकल—जी हां ?

श्री राममूर्ति—(१) साइकिल एलाउन्स को तीन रुपये से बढ़ा कर साढ़े सात रुपया कर दिया जाय।

(२) कम्पेंसेटरी एलाउन्स को स्वीकार किया जाय।

(३) १० रु० प्रतिमास का मासिक भत्ता दिया जाय।

(४) मिस्त्रियों के वेतन क्रम को ६०—२—१०० से बढ़ा कर ७५—५—१२० कर दिया जाय।

(५) टयूबवेल मिस्त्रियों को टेक्निकल और मैकेनिकल सुपरवाइजर के पदों पर पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में १५ वर्ष की सर्विस के प्रतिबन्ध को हटा दिया जाय।

(६) स्टाक का जो सामान मिस्त्रियों को मिल रहा है वह अधिकांश साइज में छोटा या बड़ा आ रहा है तथा मेटीरियल भी खराब होता है। इसलिये उत्तम सामान प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय।

(७) पुराने टूल्स तथा प्लान्ट्स के स्थान पर नये सप्लाई होने चाहिये।

(८) अस्थायी तथा वर्कचार्ज मिस्त्रियों को तुरन्त स्थायी किया जाय तथा वे मिस्त्री जो अधिक समय से कार्य कर रहे हैं, उन्हें योग्यता आदि से मुक्त किया जाय।

(९) निर्धारित समय के बाहर कार्य करने पर पूरा भत्ता मिलना चाहिये।

(१०) सामान की देखभाल तथा रक्षा के लिये एक चौकीदार दिया जाय।

(११) विद्युत विभाग से जो अतिरिक्त पावर मिल सके उससे नलकूपों की पावर की कमी को पूरा किया जाय जिससे नलकूप २४ घंटे चल सकें।

श्री गेंदा सिंह--सामान खरीद के सिलसिले में जो शिकायत पेश की है उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री राममूर्ति--सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर्स को हिदायत दे दी गई है कि आगे जो सामान खरीदा जाय, देखभाल कर खरीदा जाय और जो सामान की जरूरत हो वह दिया जाय।

एक्साइज इन्सपेक्टरों की नियुक्ति के लिये चुनाव समिति का निर्माण

*२०--श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--क्या आबकारी मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में २५ एक्साइज इन्स्पेक्टर्स की नियुक्त (selection grade) में होने जा रही है?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--जी हां। लेकिन सिर्फ २० जगहों के लिये नियुक्ति होने जा रही है।

*२१--श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या इस चुनाव के लिये किसी चुनाव समिति का निर्माण होने जा रहा है?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, एक चुनाव समिति इसके लिये बना दी गई है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन नियुक्तियों के करते समय बैकवर्ड क्लासेज के सम्बन्ध में सरकार की विशेष विचार सम्बन्धी नीति जो है उसको कार्य रूप में परिणत करने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर--जहां तक बैकवर्ड क्लासेज का सम्बन्ध है प्रोमोशन के मामले में उसके ऊपर लिहाज नहीं किया जा सकता। लेकिन जब नई तकर्रुरी होती है तो उसका बराबर लिहाज किया जाता है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव--क्या यह मंत्री जी की जानकारी में है कि सरकार के ५१ व ५३ और ५४ के जो जी० ओज० हैं उन जी० ओज० में जहां विशेष विचार सम्बन्धी नीति निर्धारित की गई है उसमें कोई ऐसी रुकावट नहीं है?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं, मुझे इसका तो इल्म नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी चुनाव समिति के सदस्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर--चुनाव कमेटी में एक्साइज कमिश्नर हैं और डिप्टी लीगल रिमेम्बरेंसर श्री शर्मा और श्री सोंधी अंडर सेक्रेटरी एक्साइज हैं।

*२२-२४--श्री श्यामा चरण वाजपेयी शास्त्री (जिला बांदा)--[वापस लिये गये।]

*२५--श्री शिवमंगलसिंह कपूर--[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किया गया।]

बांदा जिले में अन्वेषणात्मक नलकूप

*२६--श्री जगपति सिंह--क्या सरकार बतायेगी कि बांदा जिले में सरकार कितने नलकूप बनाने जा रही है?

श्री रामसूर्ति--टी० सी० ए० प्रोग्राम के अधीन उत्तर प्रदेश के लिये स्वीकृत किये गये ४७ अन्वेषणात्मक (exploratary) नलकूपों में से बांदा जिले में ३ नलकूप बनाने की सिफारिश भारत सरकार से की गई है। अभी यह ठीक तौर से नहीं कहा जा सकता कि इस प्रोग्राम पर कार्य कब प्रारम्भ होगा तथा कब समाप्त होगा। इस समय तक प्राप्त सूचना से केवल यही मालूम होता है कि पूरे देश में नलकूपों का कार्यक्रम लगभग दो वर्ष में समाप्त होगा।

बांदा जिले में इन ३ अन्वेषणात्मक नलकूपों की सफलता से ही यह सिद्ध हो सकेगा कि वहां नलकूप बनाना सम्भव है या नहीं।

श्री जगपति सिंह--क्या यह सत्य है कि मंत्री जी ने विधान सभा की बैठक में एक प्रश्न के सिलसिले में आश्वासन दिया था कि बांदा जिले में तीन नलकूप बनाये जायंगे?

श्री रामसूर्ति--कहा तो था और अभी भी वायदे को पूरा करने के लिये तैयार हैं। लेकिन जरा एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल से पता लग जाय तो और ट्यूबवेल लगाये जायं।

*२७--श्री मथुराप्रसाद पांडेय--[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

असेसरों व जूरियों की नियुक्ति के नियम

*२८--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित (जिला कानपुर)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असेसरों व जूरियों की नियुक्ति किस प्रकार होती है और उसके लिये किस योग्यता की आवश्यकता होती है?

श्री सैयद अली जहीर--हाई कोर्ट में जूरियों की नियुक्ति हाई कोर्ट रूल्स भाग १ के १७ वें अध्याय के तीसरे हिस्से में दिये हुये रूल ६ से १० के अन्तर्गत होती है। हाई कोर्ट के जूरियों की योग्यता की आवश्यकता के नियम भी हाई कोर्ट रूल्स भाग १ के १९वें अध्याय के तीसरे हिस्से के रूल १ से ३ तक में दिये हुये हैं। सेशन्स कोर्ट में जूरियों और असेसरों की नियुक्ति क्रिमिनल प्रोसीडचोर कोड की धारा ३१९ से ३३२ के अन्तर्गत होती है और इन्हीं धाराओं में उनकी योग्यता की आवश्यकता का भी वर्णन है।

*२९--श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित--क्या असेसरों व जूरियों को कोई भत्ता मिलता है? यदि हां, तो कितना?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, जूरियों और असेसरों को भत्ता मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के रूल ८९३ से ८९६ के अनुसार मिलता है।

हाथरस तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नलकूपों का आयोजन

*३०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील हाथरस में कितने नलकूप सिंचाई के लिये पानी दे रहे हैं और शेष कब तक पानी दे सकेंगे ?

श्री राममूर्ति—हाथरस तहसील में १४ नलकूप सिंचाई के लिये पानी दे रहे हैं और शेष २२ नलकूप जनवरी, १९५५ तक पानी दे सकेंगे।

*३१—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नवीन योजनानुसार तहसील हाथरस में कितने नलकूप और बनाना निश्चित किया गया है और उनका क्षेत्र कौन सा होगा तथा ये कितने एकड़ भूमि की सिंचाई कर सकेंगे ?

श्री राममूर्ति—हाथरस तहसील में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १२ नलकूपों का आयोजन है। उनके क्षेत्र का सर्वे अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। इन नलकूपों से लगभग ८,८९० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो २२ नलकूप पानी नहीं दे रहे हैं उनका क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति—बिजली की कमी की वजह से इनरजाइज नहीं हो पाये हैं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो १४ नलकूप पानी दे रहे हैं उनसे कितने एकड़ जमीन सींची जा सकती है ?

श्री राममूर्ति—एक नलकूप से सिंचाई का औसत एक हजार एकड़ होता है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कौन कौन से नलकूप खराब पड़े हुये हैं ?

श्री राममूर्ति—यह तो १४ नलकूप ठीक चल रहे हैं।

अलीगढ़ जिले में सासनी क्षेत्र के नलकूप संख्या १२ का फिर से चालू करना

*३२—श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सासनी क्षेत्र (अलीगढ़) के नं० १२ का नलकूप पिछले दो वर्षों से बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—जी हां। इस नलकूप की बोरिंग (Boring) १९५१ में की गई थी। परन्तु स्ट्रेटा (Strata) अच्छा न मिला था और नलकूप को गहरा करने के लिये उपयुक्त सामान उपलब्ध न था। इसलिये एक कैविटी कूप (Cavity well) बना दिया गया था जो कि छत फट जाने के कारण ठीक से न चल सका।

अब उक्त नलकूप की गहरी बोरिंग पूरी हो गई है और निकट भविष्य में इससे सिंचाई आरम्भ होने की आशा की जाती है।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि निकट भविष्य में जो आशा की जाती है वह महीने दो महीने या ६ महीने की होगी ?

श्री राममूर्ति—मेरा ख्याल यह है कि माननीय सदस्य जब असेम्बली खत्म करके घर पहुंचेंगे तो नलकूप पानी देता हुआ उनको मिलेगा।

गाजीपुर जिले में यूसुफपुर मुहम्मदाबाद बाजार को मऊ से बिजली देने की मांग

*३३--श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार गाजीपुर जिले में यूसुफपुर मुहम्मदाबाद बाजार में मऊ से बिजली देने का विचार कर रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम-- जी नहीं।

श्री शिवपूजन राय--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह यूसुफपुर मुहम्मदाबाद बाजार में बिजली देने के लिये कब से विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष--वह कहते हैं, जी नहीं। वह विचार नहीं कर रहे हैं तो कब से विचार हो रहा है यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--इसका क्या कारण है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--अभी और जगह इन्तजाम हो रहा है। रुपया खर्च हो रहा है और सामान वगैरह जमा किया जा रहा है। जैसे जैसे मिलती जायगी लगा दी जायगी।

श्री केदार सिंह--माननीय सदस्य ने जिस इलाके के लिये सवाल किया है उसके लिये कोई ऐसी योजना है कि दो चार वर्ष में बिजली लग जाय ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--इस वक्त जो सवाल है उसका जवाब दिया गया जी नहीं। अब दो चार वर्ष की बात आज मैं कह दूं तो क्या ऐतबार के काबिल होगी वह बात।

* ३४-३६--श्री गोवर्धन तिवारी (जिला अल्मोड़ा)--[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

यू० पी० तहवीलदार यूनियन की मांगों की अस्वीकृति

*३७--श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या सरकार तारांकित प्रश्न ८१, ८२, ८३ दिनांक २२ दिसम्बर, ५३ के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेगी कि उसने तहवीलदारों की जिन मांगों पर सरकार द्वारा विचार हो रहा था उन पर क्या निर्णय किया गया ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यू० पी० तहवीलदार यूनियन की जो मांगें विचाराधीन थीं वे नामंजूर कर दी गयीं और यूनियन को इसकी सूचना दे दी गई है।

श्री लक्ष्मण राव कदम--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किसी अन्य विभाग में भी तहवीलदारों की तरह और किसी से ठेकेदारी सिस्टम पर काम लिया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम-- वह विभाग का हिस्सा ही नहीं है और जो सरकारी विभाग हैं उनमें जो मुलाजिम हैं उस तरीके के मुलाजिम तहवीलदार नहीं होते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी मुख्य मुख्य मांगें क्या थीं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--एक तो यह थी कि इस वक्त जो ट्रेजरर मुकर्रर करने का तरीका है इसको अलाहिदा किया जाय, तहवीलदारों को स्टैम्प वेन्डर और टेस्टर मुकर्रर किया जाया करे, तहवीलदारों को ७५ से १२० रुपये तनख्वाह दी जाय। उनको

मेडिकल लीव पर पूरी तनख्वाह पर दी जाया करे, उनकी अलाहदिगी वग़ैरह के मुताल्लिक यह अख्तियार उनको हो कि वे अपील कर सकें, उनके काम के लिये घंटे मुक़र्रर किये जायं, जो गवर्नमेंट आफ इंडिया में डियरनेस एलाउंस मिलता है उस हिसाब से उनको भी दिया जाय, उनको पेंशन दी जाया करे और उनको बैंक की मुलाज़िमतों में और और मुलाज़िमतों में लिया जाया करे।

*३८—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

वेतन समिति द्वारा स्वीकृत वेतन-क्रमों में तब्दीली के लिए प्रार्थना-पत्र

*३९—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बह पे कमेटी की रिपोर्ट की कुछ स्केल्स (Scales) का हेरफेर करने जा रही है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—सरकारी कर्मचारियों के वर्तमान वेतनक्रम में सामान्य रूप से संशोधन करने का सरकार का कोई विचार नहीं है।

श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसके पास जिलों में जो यू० पी० मिनिस्ट्रियल एसोसियेशन कायम हैं उनकी जमात ने कोई दरख्वास्त अपने पे स्केल्स के परिवर्तन करने के वास्ते दी है?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—मैं इस वक्त अर्ज नहीं कर सकता बग़ैर देखे हुये कि ऐसी कोई दरख्वास्त यहां सेक्रेटेरियट में आयी है या नहीं। बज़ात खुद मेरे पास कोई नहीं आयी।

मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा सड़क में ढेला नदी पर पुल निर्माण का आयोजन

*४०—श्री शिवस्वरूप सिंह (जिला मुरादाबाद)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद-ठाकुरद्वारा सड़क पर ढेला नदी जो एक बहुत तेज बहने वाली बड़ी नदी है उस पर शीघ्र ही पुल बांधने का वे विचार रखते हैं? यदि हां, तो कब तक उस पर काम शुरू किया जाने वाला है?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—जी हां, आवश्यक धनराशि का प्रबन्ध हो जाने पर कार्य आरम्भ कर दिया जायगा।

श्री शिवस्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह पुल कहां पर बांधा जायगा इसकी उन्होंने सर्वे करायी है या कितना रुपया खर्च होगा इसका कोई एस्टीमेंट बनवाया है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—१४वें और ३५ वें मील पर दो पुल बनने हैं उन पर अनुमानतः ३ लाख और ५ लाख रुपया खर्च होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि काशीपुर-ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद सड़क पर इसी ढेला नदी पर एक दूसरे पुल के लिये कालोनाइज़ेशन बजट में रुपया मंजूर हो चुका था लेकिन अभी तक पुल नहीं बना है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसकी कोई सूचना मेरे पास नहीं है, शायद कालोनाइज़ेशन विभाग से इसके लिये कुछ हुआ हो।

काशीपुर पावर हाउस से ठाकुरद्वारा को बिजली देने की मांग

*४१--श्री शिवस्वरूप सिंह--क्या विद्युत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशीपुर पावर हाउस से ठाकुर द्वारा को शीघ्र ही बिजली देने का विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तब क्या वह कार्य दिसम्बर मास सन् ५४ ई० तक सम्पूर्ण हो जायेगा ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं ।

श्री शिवस्वरूप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रश्न के उत्तर में 'जी हां' कहने में उनको क्या कठिनाई है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--मुझको तो कठिनाई 'जी नहीं' कहने में हुई ।

ठाकुरद्वारा तहसील में नलकूप बनाने का विचार

*४२--श्री शिवस्वरूप सिंह--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार के विचाराधीन तहसील ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, में भी ट्यूबवेल बनवाने का प्रश्न है ? यदि हां, तो क्या यह स्कीम इसी वर्ष प्रारम्भ की जा रही है ?

श्री राममूर्ति--ट्यूबवेल बनाने से पूर्व वहां के भू-स्तर की जांच-पड़ताल कराना आवश्यक होता है। चीफ इंजीनियर, सिंचाई विभाग, को आदेश दे दिया गया है कि वह ठाकुरद्वारा तहसील में नलकूप बनवाने की योजना कार्यान्वित हो सकेगी अथवा नहीं, इसकी जांच करायें। जांच का फल ज्ञात होने पर योजना प्रारम्भ करने पर विचार किया जायगा ।

प्रेस कमीशन की रिपोर्ट

*४३--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार के पास प्रैस कमीशन की रिपोर्ट पहुंच गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि वह उसके आधार पर प्रैस कर्मचारियों के लाभार्थ क्या करने जा रही है ?

श्री राममूर्ति--प्रैस कमीशन की रिपोर्ट के प्रथम भाग की प्रति सरकार को प्राप्त हो गई है किन्तु जब तक उस पर भारत सरकार निर्णय न ले ले तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या प्रैस कमीशन की जो रिपोर्ट का प्रथम भाग माननीय मंत्री जी के पास आया है उसमें निम्न प्रैस कर्मचारियों के लिए कोई सिफारिशें हैं ?

श्री राममूर्ति --उसके सम्बन्ध में तो इसमें कुछ है नहीं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--क्या इस प्रेस कमीशन की रिपोर्ट के सिलसिले में जर्नलिस्टों के कार्यक्रम या उनके सम्बन्ध में जो सिफारिशें दी गई हैं उस सिलसिले में राज्य सरकार ने कोई राय केन्द्रीय सरकार के पास भेजी है ?

श्री राममूर्ति--इसकी भी सूचना मेरे पास नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह--क्या प्रेस कमीशन रिपोर्ट में कुछ कार्य ऐसे हैं जो राज्य सरकार के लिए बताये गये हैं, उस पर राज्य सरकार ने विचार किया है ?

श्री अध्यक्ष--विचार नहीं किया, वह तो वे बता चुके ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने लीडर, पायनियर, असोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड, अमृतबाजार पत्रिका और आज के प्रेस कर्मचारियों के केसेज को इसी आधार पर वापस लिया था कि प्रेस कमीशन रिपोर्ट में उन मांगों पर विचार होगा ?

श्री राममूर्ति—वह तो अपनी जगह पर सही है। जब केन्द्रीय सरकार अपना कुछ निर्णय कर ले तो यहां की सरकार उसके बारे में सोचेगी।

पाकिस्तान से आने वाले समाचार-पत्र तथा पत्रिकायें

*४४—श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पाकिस्तान से कितने दैनिक, मासिक एवं साप्ताहिक पत्र-पत्रिकायें अपने प्रान्त में आती हैं और उनके ग्राहक किस जिले में अधिक हैं ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—वांछित सूचना निम्न प्रकार से है :—

दैनिक समाचार पत्र	..	..	६७
साप्ताहिक पत्र	..	..	१०२
अर्द्ध साप्ताहिक पत्र	..	..	३
दशकीय	..	..	१
पाक्षिक	..	..	२१
मासिक	..	..	९३

उपरोक्त पत्रों के ग्राहक अधिकतर लखनऊ, सहारनपुर, इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, अलीगढ़, रामपुर, गाजीपुर और आजमगढ़ जिलों में हैं।

केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक क निर्णय

*४५—श्री गेंदा सिंह—क्या मुख्य मंत्री तथा सिंचाई मंत्री दिल्ली केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की मीटिंग में भाग लेने के लिये गये थे ? यदि हां, तो क्या वहां के निर्णयों को बतलाने की कृपा सरकार करेगी ?

श्री राममूर्ति—केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की मीटिंग में यह निश्चय हुआ कि बाढ़ नियंत्रण के उपायों को (१) तात्कालिक, (२) अल्पकालिक, (३) दीर्घकालिक, तीन श्रेणियों में विभक्त कर दिया जाये तथा समस्त बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का सर्वे करके शीघ्र से शीघ्र उचित योजनायें बना ली जायें। तदनुसार कार्यारम्भ करने का निश्चय भी केन्द्रीय बाढ़ समिति ने किया। उक्त निर्णय के अनुसार प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों को बाढ़ से बचाने के लिये गंडक, राप्ती, घाघरा तथा गंगा नदियों के सर्वे व्यापक रूप से आरम्भ कर दिये गये हैं। जैसे जैसे सर्वे के फलस्वरूप बाढ़ रोकने के उचित उपाय के रूप में योजनायें तैयार हो रही हैं, वैसे वैसे तात्कालिक योजनाओं को पहले कार्यान्वित करने का निश्चय सरकार ने किया है।

श्री गेंदा सिंह—जिन अल्पकालिक, तात्कालिक और दीर्घकालिक योजनाओं पर केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड में विचार हुआ उन पर सूचना देने की कृपा माननीय मंत्री करेंगे ?

श्री राममूर्ति—घोसालपुर बांध, गाजीपुर—बलिया बेरिया बांध, गंगापार असाबार बांध—गाजीपुर—हाहानाला बांध—घाघरा नदी—गंडक नदी पर छितौना बाँध बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की नालियां रेगुलेटर बना कर सहायता, उत्तर प्रदेश में बाढ़ की जांच पड़ताल पर अनुमान के लेखे—पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कों पर १२ जिलों में पुलियों पर जल मार्ग को प्रसारित करना—सेहनूपुर नैनी जोर बांध, आजमगढ़—बनारस और गाजीपुर के जिलों में नालियां और रेगुलेटर बनाने के लिये छोटे-छोटे तखमीने।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय सिंचाई मंत्री के केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की मीटिंग में जाने से पहले सरकार ने किन किन योजनाओं पर विचार किया और कितने रुपये की मांग केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड से की है ?

श्री राममूर्ति--इसकी लिस्ट अभी मेरे पास नहीं है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि सर्वे का काम प्रारम्भ हो गया है ? यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा हो रहा है या राज्य सरकार द्वारा हो रहा है ?

श्री राममूर्ति--सर्वे का काम हो रहा है और वह यू० पी० सरकार द्वारा हो रहा है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सरकार द्वारा जो सर्वे हो रहा है उसमें अन्य नदियों के साथ-साथ जमुना नदी को क्यों नहीं लिया गया ?

श्री राममूर्ति--मैंने सारी नदियों का जिक्र इसमें नहीं किया लेकिन वैसे जितनी नदियां हमारे प्रदेश में बाढ़ से नुकसान पहुंचाती हैं उन सभी का एक एक करके सर्वे किया जायगा।

श्री रामकुमार शास्त्री--माननीय मंत्री बतलायेंगे कि राप्ती नदी किन-किन जिलों से बहती है और फ्लड को रोकने के लिये जो सर्वे का काम शुरू हुआ है वह किस जिले से आरम्भ हुआ है ?

श्री अध्यक्ष--अन्तिम हिस्से का जवाब आप दे दें और जाग्रफी के सम्बन्ध में जवाब मत दीजिये।

श्री राममूर्ति--यह तो मेरे पास इस वक्त सूचना नहीं है कि राप्ती पर काम किस किस जगह पर हुआ है, लेकिन राप्ती पर आम तौर से जहां जहां जरूरत है वहां काम शुरू हो गया है।

श्री केशव पांडेय (जिला गोरखपुर)--क्या मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि तात्कालिक योजना में इस समय कौन सा काम हो रहा है बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के लोगों के लिये ?

श्री राममूर्ति--इस वक्त बांध बनाये जा रहे हैं और रेगुलेटर पुलियों पर बनाये जा रहे हैं जिससे पानी ड्रेन अप कर दिया जाय।

*४६-४७--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--[४ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*४८-४९--राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५०-५२--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--[११ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

मुरादाबाद जिले के अवैतनिक मजिस्ट्रेट

*५३--श्री महीलाल--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मुरादाबाद में कुल कितने अवैतनिक मजिस्ट्रेट हैं और उनमें से कितने हरिजन या पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री सैयद अली ज़हीर--कुल नौ-जिसमें हरिजन या पिछड़ी जाति का कोई नहीं है।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि नियुक्तियों की सिफारिश करने वाली कमेटी में कोई भी हरिजन प्रतिनिधि नहीं है?

श्री सैयद अली ज़हीर--जी हां, इस वक्त तो कोई नहीं है।

श्री महीलाल--क्या माननीय मंत्री महोदय भविष्य में इस ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे कि उसमें हरिजन जाति का कोई प्रतिनिधि रखा जाय?

श्री सैयद अली ज़हीर--जी हां, इसका खयाल रखा जाता है और जहां जहां मुमकिन होता है किया जाता है।

जौनपुर जिले की दीवानी के असेसरों के दैनिक व यात्रिक भत्ते

*५४--श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला की दीवानी कचेहरी में कुल कितने असेसर हैं और उनको प्रति दिन के लिये क्या टी० ए० या डी० ए० दिया जाता है?

श्री सैयद अली ज़हीर--जौनपुर में कुल १८८ असेसर हैं। उन्हें टी० ए० और डी० ए० मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डर्स के नियम ८९३ से ८९६ तक के अन्तर्गत दिया जाता है।

श्री बाबूनन्दन--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन असेसरों का नामांकन कब से हुआ है और कब तक रहेगा?

श्री सैयद अली ज़हीर--इसकी सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

*५५-५७--श्री नारायण दास (जिला फैजाबाद)--[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*५८-५९--श्री रामेश्वरलाल--[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०-६१--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--[११ जनवरी, १९५५ के लिये स्थगित किये गये।]

*६२--श्री रामचन्द्र विकल--[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*६३--श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन के संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की सिफारिशें

*६४--श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या सरकार ने संसद एवं विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिवर्तन के हेतु सुझाव Delimitation commission के पास भेजे हैं? यदि हां, तो वे क्या हैं?

श्री सैयद अली ज़हीर--विधान सभा तथा लोक सभा के लिये, निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन संबंधी कोई भी प्रस्ताव, राज्य सरकार की ओर से डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं भेजे गये

[श्री सैयद अली जहीर]

हैं। अलबत्ता डिलमिटेशन कमीशन ने सरकार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से आलेख्य प्रस्ताव तैयार करने को कहा था जिसपर उन्होंने विधान सभा संबंधी अपने प्रस्ताव भेज दिये थे।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा विधान सभा के संबंध में आलेख्य प्रस्ताव जो भेजे गये हैं उनकी एक प्रतिलिपि इस सदन की मेज पर आज या कल या किसी समय रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, इस मर्तबा जो प्रस्ताव डिलिमिटेशन कमीशन को भेजा गया था उस के लिये और उन्होंने यह कहा था कि यह तो महज टैन्टेटिव प्रपोजल हैं। जब तक वह फाइनल न हो जायं तब तक मेज पर नहीं रखे जा सकते हैं।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या इन आलेख्य प्रस्तावों के बनाने के पहले मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सरकार से भी कोई राय ली थी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, यह तो नहीं कहा जा सकता कि राय ली थी। मुमकिन है कि अलग अलग किसी मंत्री को दिखाया हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अलग अलग किन किन मंत्रियों को दिखाया था, इसकी सूचना उनके पास है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं, यह तो मैं नहीं बतला सकता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो चीफ इलेक्टोरल आफिसर उत्तर प्रदेश के हैं यह जो राय भेजा करते हैं तो क्या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी पूछते हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मैं नहीं बतला सकता।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि यह जो राय डिलिमिटेशन कमीशन को चीफ एलेक्टोरल आफिसर ने भेजी है उसके संबंध में जिलों से भी राय ली थी ?

श्री सैयद अली जहीर—मुमकिन है ली हो। मैं इसके लिये यकीनी तौर पर नहीं कह सकता।

श्री जगन्नाथ मल्ल—जो रिपोर्ट भेजी गयी है क्या वह न्याय मंत्री जी को उन्होंने दिखायी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने सरसरी तौर पर देखी जरूर थी।

श्री झारखंडे राय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सुझावों के भेजने के पहले प्रदेश के मान्यता प्राप्त दलों से भी इसमें सुझाव मांगा था ?

श्री सैयद अली जहीर—मुझे नहीं मालूम है। मगर यह तो मालूम है कि ठाकुर मलखान सिंह जी को यह रिपोर्ट दिखायी गयी थी।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चीफ इलैक्टोरल आफिसर ने जो रिकमेंडेशन कमीशन को भेजी है वह सरकार की सिफारिश मानी जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह मैं नहीं कह सकता, यह तो डिलिमिटेशन कमीशन तय करेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोक सभा संबंधी प्रस्ताव कमीशन को नहीं भेजे ?

श्री सैयद अली ज़हीर--खयाल है कि जरूर भेजा होगा।

*६५--श्री मदन गोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)--[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर

*६६--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत कितने ओवरसियर काम कर रहे हैं और उनमें कितने स्थायी व कितने अस्थायी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सार्वजनिक निर्माण विभाग में ४४४ ओवरसियर हैं जिनमें १५८ स्थायी तथा २८६ अस्थायी हैं।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि स्वतंत्रता मिलने से पूर्व इन ओवरसियरों की संख्या कितनी थी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जहां तक मेरे पास आंकड़े हैं सन् ४८ तक स्थायी ओवरसियरों की संख्या ८१ थी।

श्री रामचन्द्र विकल--अस्थायी ओवरसियरों को कब तक स्थायी कर दिया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस साल १०० आदमियों के स्थायी करने की बात है लेकिन पब्लिक सर्विस कमीशन दरख्वास्त मांगता है। अस्थायी ओवरसियर भी दरख्वास्त देते हैं और उनके लिये ऐज लिमिट भी बढ़ा दी है।

श्री गेंदा सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में अस्थायी ओवरसियर क्यों हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जैसा मैंने अभी अर्ज किया था, पब्लिक सर्विस कमीशन की सलाह पर स्थायी किये जाते हैं। हर साल उतने लोग एफीशेंट नहीं निकलते जितने चाहिये। इसलिये अभी तक स्थायी नहीं हो सके और चूंकि जरूरत ज्यादा की है इसलिये अस्थायी रखे जाते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल--कमीशन को ओवरसियरों का केस जाते समय सरकार कोई सिफारिश करती है या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कमीशन उनका रैकार्ड मंगाता है और वह जाता है।

लघु कुटीर उद्योगों के सहायतार्थ समिति का निर्माण

*६७--श्री हरदयाल सिंह पिपल (जिला अलीगढ)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कुटीर उद्योग के जूता व्यवसाय की गिरती हुई दशा को ध्यान में रखते हुये और इस प्रमुख कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये इस पर से सेल्स टैक्स उठाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--फिलहाल ऐसा कोई सवाल सरकार के विचाराधीन नहीं है। लेकिन सरकार ने छोटे पैमाने पर किये जाने वाले और कुटीर उद्योगों के मामलों की जांच करने के लिये एक कमेटी बैठाई है और यह कमेटी ऐसी सहायता दिये जाने के बारे में, जिसे वह आवश्यक समझे, सरकार के पास अपनी सिफारिशें उचित समय से भेज देगी।

श्री हरदयाल सिंह पिपल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कमेटी जो बिठाई गयी है उसमें कितने आदमी हैं और कितने आफीसर हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--यह कमेटी इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से बैठी है, इसलिये चूंकि उसके पर्सोनल मुझे मालूम नहीं हैं इसलिये मैं इस चीज को नहीं बता सकता।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों के लिये जिला नियोजन समितियों की सम्मति लेना

*६८--श्री परमेश्वरी दयाल (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़कों तथा पुलों के निर्माण के हेतु उसने प्रदेश को कितने हिस्सों में बांटा है तथा वह हिस्से कौन कौन से हैं और हर भाग में कौन कौन जिले हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इस राज्य में सड़कों व पुलों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्पूर्ण राज्य के लिये एक सुसंगठित योजना होगी। योजना बनाने के पूर्व प्रत्येक जिले की नियोजन समिति तथा वहां के प्रतिनिधियों से योजना के लिये सम्मति ली जायगी।

श्री परमेश्वरी दयाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नियोजन समिति के प्रतिनिधियों से कब तक सरकार राय मांगने का विचार रखती है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--यह कार्य आरम्भ हो गया है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख दिया गया है कि वह नियोजन समिति की राय इस बारे में भेजे। यहां से एक विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है जो आठ जिलों में जाकर राय ले आया है तथा और जिलों में जाकर भी राय ले रहा है।

राजा वीरेन्द्र शाह--क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि सरकार के पास जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये राय आयी है क्या उनमें कांग्रेस पार्टी को छोड़कर और किसी से राय ली गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सभी लोगों से राय ली गयी है, नियोजन कमेटी में सभी एम० एल० एज० होते हैं चाहे जिस पार्टी के भी हों।

श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस सन् से लागू होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर दूसरी लागू होगी।

श्री परमेश्वरी दयाल--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब तक बन कर तैयार हो जायगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--कोशिश तो जल्दी की ही हो रही है।

*६९--७१--श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)--[१५ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७--९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत रेडियो सेट्स का वितरण

*७२--श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Publicity Scheme के अन्तर्गत प्रचारार्थ कितने रेडियो सेट कितने व्यक्तियों को दिये गये ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--सूचना विभाग द्वारा एक सामूहिक श्रवण योजना Community Listening Scheme चालू है जिसके अन्तर्गत इस समय प्रदेश के भिन्न-भिन्न जिलों में संस्थाओं अथवा संरक्षकों को कुल ६५१ रेडियो सेट दिये गये हैं।

*७३—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)—क्या यह योजना अब भी चालू है अथवा उसमें कोई परिवर्तन हुआ है ? यदि हुआ, तो क्या ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। यह योजना अब भी चालू है। इसमें काफी परिवर्तन हुआ है। प्रारम्भ में रेडियो सेट निःशुल्क दिये जाते थे तथा उन के रख-रखाव का व्यय भी सरकार की ओर से दिया जाता था। अब हर प्रकार का रेडियो सेट उधार देने के लिये १२५ रु० प्रति सेट अंशदान लिया जाता है जो कि किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाता है। रेडियो सेट की मरम्मत तो निःशुल्क ही विभाग द्वारा की जाती है पर यदि मरम्मत आदि के संबंध में कोई पुरजा आदि क्रय करना पड़ता है तो उसका खर्चा नियमानुसार संरक्षक को ही वहन करना पड़ता है।

*७४—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन सेटों का प्रयोग अब किस प्रकार हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इन रेडियो सेटों का प्रयोग योजना के नियमों के अनुसार होता है। यह रेडियो सेट सार्वजनिक स्थानों पर लगाये जाते हैं ताकि अधिक से अधिक जनता रेडियो कार्यक्रमों को सामूहिक रूप से सुन सके।

*७५—श्री नारायणदत्त तिवारी—[१५ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ११ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

सारदा हाईडेल प्रोजेक्ट में ट्रांसमिशन लाइन्स के बनने की कीमत

*७६—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विद्युत विभाग कितने प्रकार की Transmission Lines बनाती है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—विद्युत विभाग कई तरह की ट्रांसमिशन लाइन्स बनाती है जो कि यह हैं—

१—१३२ के० वी०
२—६६ के० वी०
३—४४ के० वी०
४—३७.५ के० वी०
५—३३ के० वी०
६—११ के० वी०
७—·४ के० वी० या ४०० वोल्ट्स।

*७७—श्री भगवानसहाय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Sarda Hydel Project के अलग-अलग Sub-Division में इन Lines के अलग-अलग क्या rates आते हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—एक सूची जिसमें सारदा हाइडल प्रोजेक्ट के ट्रांसमिशन लाइन्स के बनने की कीमत की दर फी मील दी हुई है, माननीय सदस्य की मेज पर है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १५१ पर।)

*७८—श्री भगवानसहाय (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Sarda Hydel विभाग के वह कौन से पदाधिकारी हैं जो बनी हुई Transmission Lines की लम्बाई को certify करते ह ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—बनी हुई लाइनों की लम्बाई को सब डिवीजनल आफिसर्स सरटीफाई करते हैं।

पूर्वी जमुना नहर में उठाऊ फाटक लगाने का विचार

*७९—श्री दाताराम (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि पूर्वी जमुना नहर १ जुलाई, १९५४ से १५ अगस्त, १९५४ तक बाढ़ आने की वजह से कितने दिन बन्द रही?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जुलाई तथा अगस्त, १९५४ ई० में पूर्वी यमुना नहर कुल मिलाकर करीब १८ दिन बन्द रही।

*८०—श्री दाताराम (अनुपस्थित)—क्या सरकार भविष्य में ऐसा प्रबन्ध करेगी कि नहर हमेशा चालू रहे और किसानों को हानि न हो?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस प्रकार की हानि रोकने के लिये मौजूदा गिरने वाले फाटक drop-gates को बदल कर नये ढंग के उठाऊ फाटक lift-gates लगाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इसमें लगभग ६ लाख रुपया का खर्चा होगा।

*८१-८२—श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)—[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*८३-८४—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—[२९ दिसम्बर, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८ व ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

इटावा जिले से निकलने वाले समाचार-पत्र तथा पत्रिकायें

*८५—श्री मिहरबान सिंह (जिला इटावा)—क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले से कितने दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक समाचार-पत्र निकलते हैं और उनके क्या-क्या नाम हैं?

श्री राममूर्ति—

दैनिक	..	कोई नहीं
साप्ताहिक	.	११
पाक्षिक	..	३
मासिक	..	४

इन पत्रों के नाम ये हैं :—

१—	हिन्दी साप्ताहिक		अरुणोदय
२—	,,	..	हमारा समाज
३—	,,	..	जनसेवक
४—	,,	..	कर्त्तव्य
५—	,,	..	सवेरा
६—	,,	..	समाज
७—	,,	..	शंख ध्वनि
८—	,,	..	महाबीर
९—	,,	..	आदर्श
१०—	उर्दू साप्ताहिक	..	अलबशीर
११—	,,	..	मूनिस
१२—	हिन्दी पाक्षिक		मंदिर से
१३—	,,	..	सत्यवादी
१४—	,,		चिनगारी
१५—	,,मासिक		अनुभूति योगमाला

विधान सभा उत्तर प्रदेश

१६—	हिन्दी मासिक	..	शोषित समाज
१७—	,,	..	अलख निरंजन
१८—	,,	..	अंजुमन अनहर

*८६—श्री मिहरबान सिंह—क्या सूचना मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकारी सम्मन व नोटिस किन-किन पत्रों को छपने के लिये दिये जाते हैं ?

श्री राममूर्ति—इस प्रश्न का उत्तर मांगने में जो समय और धन लगेगा वह प्रश्न के महत्व से अधिक होगा, अतः इस प्रश्न का उत्तर मंगाना उचित नहीं प्रतीत होता।

लोअर गैंजेज जमुना एलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग कम्पनी हाथरस को सरकारी अधिकार में लेने का विचार

*८७—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि Lower Ganges Jamuna Electricity Distributing Company, Hathras को सरकार अपने अधिकार में लेने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

*८८—श्री हरदयाल सिंह पिपल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सरकार ने उक्त कम्पनी के मूल्य का मूल्यांकन करा लिया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—कम्पनी के मूल्य का मूल्यांकन हो रहा है।

*८९—श्री हरदयाल सिंह पिपल—यदि हां, तो वह कितना है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम—प्रश्न ही नहीं उठता।

रोहनी नदी के मानीराम घाट पर पुल निर्माणार्थ जिला बोर्ड गोरखपुर की मांग

*९०—श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसके द्वारा गोरखपुर जिले के मानीराम रोहिनी नदी पर पक्का पुल बनवाने की कोई योजना कुछ वर्ष पूर्व बनायी गयी थी ? यदि हां, तो फिर उसमें क्या हुआ ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता।

*९१—श्री द्वारिका प्रसाद पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मानीराम घाट पर पुल बनाने की मांग जिला बोर्ड, गोरखपुर द्वारा भी की गयी है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां।

मुजफ्फरनगर जिले में पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा सड़कों का निर्माण

*९२—श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला मुजफ्फरनगर के लिए ५४–५५ के बजट साल में पी० डब्लू० डी० द्वारा कौन-कौन सी सड़कों को पक्का तथा किन-किन को कच्चा बनाना निश्चय हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल—जिला मुजफ्फरनगर के लिए १९५४–५५ के बजट साल में जिन पक्की सड़कों के निर्माण कार्य का आयोजन किया गया है, उनकी तालिका माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

इस बजट साल में किसी कच्ची सड़क के निर्माण कार्य का आयोजन नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १५२ पर।)

मिर्जापुर जिले की चुनार–अहरोरा सड़क को पक्की कराने के लिए मांग

*९३—श्री राजकुमार शर्मा (जिला मिर्जापुर)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिलान्तर्गत चुनार-अहरोरा रोड जिसके लिए पिछले साल ५०,००० रु० की बजट में व्यवस्था की गयी थी, क्यों जिला बोर्ड को वापस कर दी गयी ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क को युद्धोत्तर कालीन योजना के प्रथम चरण में कच्ची सड़क (ओ० डी० आर०) बनाने के लिए विभाग ने लिया था तथा सरकार के निर्णयानुसार यह अन्य सड़कों के साथ जिला बोर्ड को वापिस कर दी गयी।

*९४—श्री राजकुमार शर्मा—क्या सरकार पुनः उसे अपने अधीन लेकर पक्की करायेगी ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क को पक्का करने के प्रस्ताव पर मिर्जापुर जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायगा।

*९५—श्री राजकुमार शर्मा—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चुनार कैलाहट, रसोगी, भुइली, शेरवा या अदलहाट, गरोड़ी, भुइली, चौकिया शेरवा तक सड़क बनाने की मांग पर क्या कार्यवाही हो रही है ? क्या इस वर्ष उसका निर्माण कराया जायगा ?

श्री गिरधारी लाल—इन सड़कों को बनाने के प्रस्ताव पर मिर्जापुर जिले की द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायगा।

बीसलपुर–बिलसड़ा व बीसलपुर–दियोरिया सड़कों का मिलाया जाना

*९६—श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पी० डब्लू० डी० द्वारा बीसलपुर-बिलसड़ा व बीसलपुर–दियोरिया सड़कों को कितने मील नया रास्ता बना कर मिलाया गया और कितना रास्ता बनने को रहा ?

श्री गिरधारी लाल—प्रथम भाग—निर्माण विभाग ने इन सड़कों की लम्बाई में कोई नये मील बना कर नहीं मिलाये।

द्वितीय भाग—प्रश्न ही नहीं उठता

गाजीपुर–मऊ सड़क के निर्माण का आयोजन

*९७—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गाजीपुर-मऊ सड़क का बनना इस वर्ष कहां तक मंजूर हो चुका है तथा सड़क पर कितने मील पक्की कंकरीट रक्खी जा चुकी है ?

श्री गिरधारी लाल—इस सड़क को पेंट करने का कार्य केन्द्रीय सरकार ने नेशनल हाईवेज के प्रथम पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है। कार्य का एस्टिमेट केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया है। उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ किया जायगा।

निर्माण विभाग को सड़कें ट्रेन के लिये सीतापुर जिला बोर्ड की प्रार्थना

*९८—श्री गंगाधर शर्मा (जिला सीतापुर)—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३–५४ में सरकार ने प्रान्त के कुछ जिला बोर्डों की सड़कें पी० डब्लू० डी० में ली हैं ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां ।

*९९—श्री गंगाधर शर्मा—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड सीतापुर ने अपनी कोई सड़क पी० डब्लू० डी० में लेने के लिए सन् १९५३ में सरकार से प्रार्थना की थी ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां । परन्तु इन सड़कों के अधिक महत्वपूर्ण न होने के कारण बोर्ड की प्रार्थना स्वीकृत नहीं की गयी ।

उत्तर प्रदश सरकार की ओर से निकलन वाली पत्रिकायें

*१००—श्री विश्राम राय (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कौन-कौन सी पत्रिकायें निकलती हैं ?

*१०१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन पत्रिकाओं की ग्राहक संख्या कितनी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आवश्यक सूचना संलग्न सूची में दी है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १५५ पर ।)

अल्मोड़ा जिले का यातायात की दृष्टि से विभाजन

*१०२—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या सरकार को पता है कि काठगोदाम-बैजनाथ-बागेश्वर तथा टनकपुर-पिथौरागढ़ मोटर मार्ग ने अल्मोड़ा जिले को यातायात की दृष्टि से दो अलग-अलग हिस्सों में बांट दिया है ?

श्री गिरधारी लाल—जी हां ।

*१०३—श्री गोवर्धन तिवारी—क्या यह सही है कि कुमाऊं डेवेलपमेंट बोर्ड तथा अल्मोड़ा जिला नियोजन समिति ने अल्मोड़ा-रामेश्वर घाट मोटर मार्ग को बनाने की प्रार्थना सरकार से की है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं ।

*१०४—श्री वासुदेव प्रसाद मिश्र (जिला कानपुर)—[२२ दिसम्बर, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

अतारांकित प्रश्न

१-२—श्री बलदेव सिंह (जिला बनारस)—[१५ दिसम्बर, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

मेंहदावल-बांसी सड़क को पक्की करने की मांग

३—श्री रामकुमार शास्त्री—क्या सरकार मेहदवल-बांसी कच्ची सड़क को आगामी वर्ष में पक्की कराने की व्यवस्था कर रही है ?

श्री गिरधारी लाल—जी नहीं ।

फैजाबाद जिले में जलालपुर-रामगढ़ सड़क को पक्की करने का विचार

४—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—क्या निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ तथा फैजाबाद के जिलाधीशों की रिपोर्ट द्वारा अकबरपुर तहसील की

जलालपुर से रामगढ़ तक की पक्की सड़क के निर्माण के लिए निर्माण विभाग से सिफारिश की गयी है कि उक्त सड़क का निर्माण कार्य अविलम्ब प्रारम्भ कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या इस सड़क के निर्माण के लिए सन् १९५५-५६ के बजट में व्यवस्था की जा रही है ?

श्री गिरधारी लाल---जी हां। इस सड़क के निर्माण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

५---श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---[२१ दिसम्बर, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

६---श्री बाबू नन्दन---[२८ दिसम्बर, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

७---श्री जोरावर वर्मा---[१६ दिसम्बर, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आगरा यूनिवर्सिटी सीनेट के लिए सदस्यों के निर्वाचन की तिथि में वृद्धि

श्री अध्यक्ष---मेरे पास श्री शान्ति प्रपन्न जी, सचेतक, कांग्रेस पार्टी, की तरफ से यह प्रार्थना आयी है कि आगरा सीनेट के सम्बन्ध में जो चुनाव होना है, उसके सम्बन्ध में नामजदगी का समय कुछ दिन के लिए बढ़ा दिया जाय। मैंने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और उसके अनुसार २१ दिसम्बर, सन् ५४, को १ बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि बढ़ा दी है, और उसी क्रम से २२ दिसम्बर, तीन बजे तक सूक्ष्म परीक्षा होगी, और २३ दिसम्बर, ४ बजे सायंकाल तक नाम वापस लेने की अन्तिम तिथि होगी। यदि चुनाव की आवश्यकता पड़ी तो उसके लिए दिन और समय बाद में बतला दिया जायगा।

अधिष्ठाता के निर्णय के स्पष्टीकरण की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, कल जब सदन को उठने के केवल ५ मिनट रह गये थे, तो एक थोड़ी सी गलतफहमी हम लोगों को हो गयी। उस सम्बन्ध में मैं चाहता हूं कि आप स्पष्टीकरण कर दें। कल जब माननीय अधिष्ठाता यहां प्रतिष्ठित थे, तो उन्होंने अकस्मात् एक ऐसा प्रश्न हमारे सामने रखा, जिसके लिए कि स्पष्टोक्ति जरा आवश्यक होगी।

श्री अध्यक्ष---मैं इसकी इजाजत आपको नहीं दूंगा।

प्रश्न यह है कि आप सदस्यों के बीच की गलतफहमी की बात कह रहे हैं या इस कुर्सी पर जो अधिष्ठाता या उपाध्यक्ष बैठे थे, उनके और आपके बीच में गलतफहमी हुई।

श्री नारायणदत्त तिवारी---रूलिंग कुछ स्पष्ट हो जाय, इस लिए मैंने . . .

श्री अध्यक्ष---अभी आपने इशारा किया कि स्पष्टोक्ति आवश्यक होगी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---'गलत फहमी' शब्द का इस्तेमाल मैंने डेलिबरेटली किया कि इसका दूसरा अर्थ भविष्य में न लगाया जाय।

श्री अध्यक्ष---यदि उनकी रूलिंग के सम्बन्ध में आपको कुछ कहना है, तो मैं समझता हूं कि आप मेरे कमरे में आ जांय और उसके बारे में जो कुछ कहना हो कह दें। उसके बाद अगर कोई समय आपको स्पष्टीकरण करने के लिए देने की आवश्यकता पड़ी तो दे दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---ठीक है।

* उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४

श्री अध्यक्ष—अब इस प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय तथा इस संशोधन पर कि विधेयक प्रवर समिति के विचारार्थ भेजा जाय, विवाद जारी रहेगा। कल श्री रतन लाल जी जैन भाषण दे रहे थे। वे अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मैं इस सदन में इस सम्बन्ध में डाइरेक्ट एलेक्शन और इन्डाइरेक्ट एलेक्शन के सम्बन्ध में कह रहा था। जनतांत्रिक प्रणाली में दोनों पद्धतियाँ डाइरेक्ट चुनाव और इन्डाइरेक्ट चुनाव की प्रचलित हैं। पहले नगरपालिकाओं के चुनाव और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के चुनाव में इन्डाइरेक्ट एलेक्शन काम में आता था यानी पहले मेम्बर चुने जाते थे और फिर वे मेम्बर मिल कर किसी अध्यक्ष को चुनते थे। इस प्रणाली में काफी दूषण थे। संसार में जितनी भी प्रणालियां होती हैं, उनमें कोई न कोई दूषण हुआ करता है। ऐसी कोई भी प्रणाली नहीं होती जिसमें कोई भी दूषण न हो। ऐसे कितने ही दूषण थे जिनके सम्बन्ध में विरोधी दल के सदस्यों ने उन दूषणों पर प्रकाश डाला और उन्होंने इस सम्बन्ध में खेर साहब की जो रिपोर्ट है, उसको भी कुछ उद्धृत किया। यही दूषण थे, जिन दूषणों को देख कर स्वशासन मन्त्री जी ने गत वर्ष एक विधेयक रखा, जिसमें इस इनडाइरेक्ट प्रणाली को छोड़ कर उन्होंने डाइरेक्ट एलेक्शन की बात को सदन के सामने रखा और डाइरेक्ट एलेक्शन की बात बहुत बहस करने के पश्चात् मान ली गयी। अब पछिला जो नगरपालिकाओं का चुनाव हुआ, उसमें डाइरेक्ट एलेक्शन काम में लाया गया। इस डायरेक्ट एलेक्शन के तरीके को काम में लाने से नयी परिस्थिति पैदा हुई .....

श्री अध्यक्ष—सदन में बात चीत बहुत चल रही है, मैं चाहता हूं कि यदि बहुत ही आवश्यक हो तो धीरे आवाज से बात हो।

श्री रतनलाल जैन—हम ने देखा कि अध्यक्ष भी चुन गये और डाइरेक्ट चुनाव से मेम्बर भी चुन गये, लेकिन बहुत सी म्युनिसिपैलिटीज में ऐसा है कि अध्यक्ष एक दल के हैं और बहुमत भिन्न-भिन्न दल के सदस्यों का है या विरोधी दलों का है। इस कारण से एक बड़े संकट की परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है और म्युनिसिपैलिटीज के काम में रुकावट पैदा हो गयी है, जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने बताया था कि ४३ म्युनिसिपैलिटीज ऐसी हैं, जहां इस तरह का काम चलने में गड़बड़ी है, १८ म्युनिसिपैलिटीज में अभी बजट भी पास नहीं हुआ है और कुछ ऐसी भी हैं, कि जहां अभी तक कमेटियां ही नहीं बनी हैं। अब प्रश्न यह है कि इस संकट को कैसे दूर किया जाय। इस सम्बन्ध में विरोधी दल से उपाध्याय जी ने एक बात कही थी कि यह तरीका अख्तियार किया जाय कि अगर कहीं अध्यक्ष और सदस्यों में विरोध है तो पहले सदस्यों को अलग कर दिया जाय और उनका दोबारा चुनाव हो और अगर वह एक साथ चल न सकें, और फिर भी अध्यक्ष से विरोध रहे, तो अध्यक्ष को अलग कर दिया जाय। अगर उन की बात मान ली जाय, तो नतीजा यह होगा कि सारा समय चुनाव ही में चला जायगा और इस तरह से हमारा जो उद्देश्य है, कि म्युनिसिपैलिटी का काम शीघ्र ठीक तरह से चले, सड़कें ठीक रहें, सफाई का प्रबन्ध ठीक रहे, रोशनी का इन्तजाम रहे और वहां की शिक्षा का प्रचार ठीक से हो सके, वह सब पूरा नहीं हो सकेगा अगर अध्यक्ष में और वहां के सदस्यों में आपस में झगड़ा रहता है।

अब प्रश्न यह होता है कि फिर कैसे इस को ठीक किया जाय। अगर अध्यक्ष की राय मानी जाती है, तो यह झगड़ा होगा कि सदस्यों की राय क्यों न मानी जाय और अगर सदस्यों की राय मानी जाय, तो अध्यक्ष काम नहीं कर सकता। अगर अध्यक्ष की राय मानी जाती है,

---

* विधान परिषद् द्वारा पारित विधेयक २ दिसम्बर, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

[श्री रतनलाल जैन]

तो सदस्यगण केवल सलाहकार ही हो जाते हैं और अध्यक्ष वहां एक डिक्टेटर बन जाता है। इस तरीके से तो सवाल यह उत्पन्न होगया है कि अध्यक्ष भी जनता द्वारा निर्वाचित है और सदस्य भी जनता ने चुनकर भेजे हैं और इस तरह से उन में एक बराबरी का सा संघर्ष पैदा हो गया है। अगर हम एक ओर अध्यक्ष को ताकत देते हैं, तो वह एक तरह से डिक्टेटर बन जाता है। लेकिन इस डिक्टेटरशिप को रोकने का एक यही तरीका हो सकता है कि अध्यक्ष को शक्ति न दी जाय, बल्कि सदस्य जो जनता द्वारा चुने हों, उन्हीं को शक्ति दी जाय और वही अध्यक्ष को चुनें। इस को हम इन्डायरेक्ट चुनाव कहते हैं और यही तरीका मुनासिब मालूम होता है। यह हो सकता है कि उस में भी दूषण हों, लेकिन क्या किया जाय, डायरेक्ट चुनाव से भी तो काम चलना असम्भव हो गया है!

हमारा उद्देश्य यही है कि म्युनिसिपैलिटीज द्वारा अच्छा काम हो लेकिन हमारा वह उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है तो किस तरह से हम डायरेक्ट चुनाव की प्रथा को कायम रख सकते हैं? यदि वह एक रोगी है तो हमें उसका इलाज करना है, अगर डाक्टर और वैद्य आपस में लड़ पड़े कि कौन सी दवा दी जाय और कौन सी न दी जाय और इसी में समय निकल जाय तो इससे रोगी ठीक नहीं हो सकता। इस तरह से अगर विरोधी दल के माननीय सदस्यों की बात मानते हैं तो अधिक समय चुनाव ही में लग जायगा और उस समय में म्युनिसिपैलिटीज ठीक काम न कर सकेंगी। जिस उद्देश्य के लिये वह बनाई गई हैं, वह सारा उद्देश्य ही बेकार हो जायगा। इसलिये ऐसी परिस्थिति में इनडायरेक्ट चुनाव ही उचित होगा और वही तरीका ज्यादा मुनासिब हो सकता है और इसी को मैं इस समय के लिये उचित समझता हूं। यह भी एतराज किया गया विरोधी दल की तरफ से कि यह इन्डाइरेक्ट एलेक्शन इस मंशा से रखा गया है कि कांग्रेस दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और इसके द्वारा वह बहुमत प्राप्त कर सकेंगे और जो म्यूनिसिपल बोर्ड के सदस्य होंगे उन पर जोर डाल कर उनको अपने पक्ष में कर लेंगे और उनके द्वारा अपने चेयरमैन को निर्वाचित करा लेंगे। यह उनका दोषारोपण निराधार है। अभी हमारे सामने मंत्री जी ने फिगर्स रखी थीं उसमें बतलाया गया था कि ८ म्यूनिसिपैलिटीज ऐसी हैं कि जहां चेयरमैन तो कांग्रेस वाले हैं मगर बहुमत दूसरों का है। अगर उनकी दलील मानी जाय तो उन आठ म्युनिसिपैलिटियों में सदस्य कांग्रेस दल के हो गये होते और वे कांग्रेस के अध्यक्ष को ही अपना मद दिये होते। चूंकि ऐसा नहीं है और हमारा अनुभव यह बतला रहा है साल भर होने पर भी आज दल वैसे के वैसे ही हैं यदि बहुमत उनके खिलाफ है तो खिलाफ ही रहा है। जब हमारा अनुभव यह बताता है तो उनकी दलील में जिनको वे दलील कहते हैं कि अगर इस तरह का चुनाव होगा तो मेम्बरों पर जोर डाल कर कांग्रेस वाले अपने पक्ष में उनको कर लेंगे, कोई दम नहीं है; उनके कथन की कोई कीमत नहीं रह जाती और उनका दोषारोपण केवल आरोपणमात्र है; उसमें कोई तथ्य नहीं है।

इस बिल के सम्बन्ध में कुछ रायजनी इस पर भी की गई कि सिंगिल ट्रासफरेबिल वोट का तरीका कोई अच्छा तरीका नहीं है। किसी सदस्य ने यह भी कहा कि अच्छा यही है कि सीधे सीधे हाथ उठवायें जायं। हाथ उठवाने का तरीका किसी तरीके से भी वांछनीय नहीं है। हमारा अनुभव बतलाता है कि जब सीधे-सीधे हाथ उठवा कर वोट लिये जाते हैं तो लोग स्वतंत्र राय नहीं देते हैं। स्वतंत्र राय देने के लिये बैलट का तरीका ही है। यह हमारा अनुभव है कि बहुत से असरात पड़ते हैं और उन असरात की वजह से लोग ठीक राय नहीं देते हैं। इसलिये बैलट का तरीका बेहतर है और बैलट के तरीके में सब से अच्छा तरीका सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट का है। जहां कई सज्जन अध्यक्ष पद के लिये खड़े होते हैं उनमें किसको सब से ज्यादा लोगों का मत प्राप्त है यह सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट से ही मिल सकता है

और दूसरे तरीकों से नहीं। जो और तरीके इस्तेमाल किये जाते हैं उनमें बहुत से दूषण निकलते हैं। इसलिये यह तरीका बेहतर है।

मुझे इस विधेयक में एक कमी जरूर मालूम होती है। वह कमी नामिनेशन के न होने की है। पिछला जो म्युनिसिपैलिटियों का चुनाव हुआ है उससे यह प्रकट है कि उस चुनाव में स्त्रियां सदस्य के रूप में बहुत कम आई हैं और अध्यक्ष के लिये तो कहीं भी कोई नहीं आई। इसलिये यह आवश्यक है कि म्युनिसिपैलिटीज में कुछ स्त्रियां भी हों और साथ में कुछ ऐसे सदस्य भी हों जिनको अनुभवी समझा जाता है यानी जो किसी विशेष विषय में जो म्युनिसिपैलिटी से सम्बन्ध रखते हैं उनके विशेषज्ञ हों। वहां की सड़कों के मामले, सफाई के मामले, इमारत के मामले, इनमें विशेष योग्यता रखते हों ऐसे सदस्यों का होना भी जरूरी है। यह सदस्य जब ही आ सकते हैं कि जब नामिनेशन का तरीका हो। ऐसे जो लोग होते हैं अनुभवी और विशेषज्ञ वे चुनाव के दलदल में नहीं पड़ना चाहते। इसलिये म्युनिसिपैलिटयों के सुधार की दृष्टि से यह अच्छा ही है कि कुछ सदस्यों का नामिनेशन हुआ करे। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि कुछ सदस्यों का नामिनेशन जरूर होना चाहिये और वह नामिनेशन्स स्त्रियों में से हो या उन सज्जनों में से हो जिनमें कुछ विशेष अनुभव हों और जो म्युनिसिपैलिटीज के कार्य में विशेष योग्यता रखते हों। इसलिये मैं इस कमी की ओर उनका ध्यान आकर्षित करूंगा। प्रवर समिति को भेजने के सम्बन्ध में कल मैं अपने विचार प्रकट कर चुका हूं। चूंकि राय सदन में आम तौर से प्रकट हो चुकी है और इसमें मुख्य विषय केवल एक ही है कि निर्वाचन डाइरेक्ट हो या इन्डाइरेक्ट हो जिस पर इस सदन के बहुत से सदस्य अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और मैं समझता हूं कि प्रवर समिति में भी यही विचार किया जायगा। तो यह एक सिद्धान्त की बात है और जो विषय इसमें है वह बहुत गौण है जिन पर काफी विवाद यहां हो चुका है और हो जायगा, इसलिये इसको प्रवर समिति में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसलिये मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर श्री नारायण दत्त जी के संशोधन के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, यहां पर यह कहा जाता है कि यह एक छोटा सा बिल है और इसमें केवल इतना ही तय करना है कि डाइरेक्ट चुनाव हो या इन्डाइरेक्ट चुनाव हो। यह ऐसा मसला है कि जिसको हम यहां बैठ कर तय कर सकते हैं और कोई जरूरत नहीं कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय। श्रीमन्, जहां तक कि इसके सिद्धान्त का सवाल है इस हाउस का हर सदस्य, चाहे वह इधर का बैठने वाला हो या उधर का, मानता है कि किस सिद्धान्त को मान कर और कितना गौर करने और ध्यान करने के बाद हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे थे और हम लोगों ने यह इसलिये तय किया था कि अंग्रेजों के जमाने में म्युनिसिपल बोर्डों में जो बुराइयां आ गई हैं उनको दूर हटाया जाय। मुझे बड़ा अचम्भा हुआ और दुःख भी हुआ जिस समय कि हमारे मंत्री जी ने इस संशोधन बिल को लाते हुए उस पुराने निश्चित किये हुए सिद्धान्त को बदलना चाहा। मैं तो समझता था कि उससे हमारी कुछ न कुछ तरक्की ही हुई होगी और वह उससे पीछे जाने की बात हम से न कहेंगे लेकिन ऐसा मालूम पड़ता है कि जैसे हमारी पहली कमेटी की रिपोर्ट में भी यह आया है कि मेम्बरों के दबाव में चेयरमैन काम किया करते थे, मैं समझता हूं कि हमारे मंत्री जी ने भी जो भाषण दिया उसमें भी मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि उनके ऊपर कोई दबाव या कोई पार्टी, ग्रुप या किसी पोलिटिकल पार्टी का दबाव इस तरह का है कि जिसकी वजह से वह इस संशोधन को ला रहे हैं और मुझे उनके भाषण में इस बात की झलक इसलिये दिखलाई दी कि जैसी कि उनकी आदत है वह बहुत खुले दिल से बात कहते हैं, वह चीज उनके भाषण में नहीं दिखलाई दी। इसलिये मैं कांग्रेस पार्टी

[राजा वीरेन्द्र शाह]

के लोगों और दूसरे सदस्यों से कहूंगा कि वे अपने निश्चित किये हुए सिद्धान्तों को मानें और चलें। आप महात्मा गांधी के सिद्धान्तों को मानें जिनको कि आपने माना है। जैसे हमने नशाबन्दी का एक सिद्धान्त माना है और सभी जानते हैं कि वह इस प्रान्त में असफल हुआ, लेकिन सिद्धान्त रूप में चूंकि हम उसको मानते हैं और वह सही है इसलिये हम बराबर उस पर दृढ़ हैं और करोड़ों रुपये का घाटा सहते हुये भी, उस समय जब कि हमें बड़ी-बड़ी विकास योजनाओं के लिये काफी रुपये की जरूरत है हम उसे चला रहे हैं, हम जानते हैं कि इस सिद्धान्त के कारण हमारी प्रगति में एक रुकावट है। हमारा सिद्धान्त तो यह है कि सारे प्रान्त में नशाबन्दी हो लेकिन ११ जिलों में ही नशाबन्दी होने के बाद फुलस्टाप लग गया है, हमारा काम रुक गया है। इसका कारण यह है कि वह सफल नहीं हो रहा है।

हमारे नारायण दत्त जी ने बड़ी सुन्दरता के साथ अपने भाषण में खेर कमेटी की रिपोर्ट की एक-एक चीज को पढ़ कर सुनाया कि कितनी छानबीन करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे थे कि डाइरेक्ट चुनाव होना चाहिये लेकिन आज यह एक छोटा सा बिल है जैसा कि श्री महीलाल जी ने कहा कि मामूली सा है और यह कि जो सिद्धान्त चल नहीं सकता उसको हम बदल सकते हैं। मैं महीलाल जी की सिद्धान्त वाली बात के बारे में उनसे अदब से कहना चाहता हूं कि सिद्धान्त सरकारें नहीं बदला करतीं। व्यक्तिगत सिद्धान्तों को लोग बदलते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चले जायं लेकिन सरकार ने जो एक सिद्धान्त बनाया, चाहे डाइरेक्ट चुनाव का हो या इन्डाइरेक्ट का, उसको बदलना यह एक बहुत अहम चीज है और जो हमलोगों की तरफ से प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव है उसका कारण यही है कि हम लोगों को विचार करना चाहिये कि क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि इस सिद्धान्त को रखते हुये कोई दूसरी तरकीब न निकाल सकें। हम जानते हैं, हम सब को इस बात का दुःख आगे है कि आज म्युनिसिपल बोर्ड्स में काम नहीं हो रहा है, कहीं बजट पास नहीं हो रहा है, श्रीमन्, हमारे कहने से तो यह होगा कि चूंकि विरोधी दल के हैं इसीलिये कह रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का डाइरेक्ट चुनाव हुआ और उसमें कामयाबी एक पोलिटिकल पार्टी को ज्यादा हुई, मेम्बरों में भी, अध्यक्षों में भी, लिहाजा वहां कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है। अब यहां गड़बड़ी का कारण यह है कि यहां पर कई राजनीतिक पार्टियों का बहुमत ज्यादातर है और जहां तक मेरी याददाश्त काम करती है तो ६२ फीसदी इंडिपेंडेंट्स हैं, यानी कोई राजनीतिक दल के नहीं बल्कि सब लोगों के मिल कर अध्यक्ष और मेम्बर हुए हैं। तो श्रीमन् मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि जब हमारे बहुत से सदस्य इस बात को मानते हैं कि यह घरेलू छोटे-छोटे मामले हैं, रोशनी का इंतजाम करना, सड़क का इन्तजाम करना, यह सब ए० बी० सी० डी० सीखना है इन्तजाम करने की। हम राजनीतिक पार्टियों में नहीं पड़ना चाहते। मैं इसको मानता हूं कि इसी चीज को रखते हुए अगर हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करें, मैं दोनों दलों से प्रार्थना करूंगा कि जहां तक शहर के प्रबन्ध का सवाल है, रोशनी हो, बिजली हो, सफाई हो, स्वास्थ्य ठीक हो, उसमें तो दोनों पार्टियां यह चाहेंगी कि वह होना चाहिये। अब जो खींचाखांची है वह उन्हीं दोनों पार्टियों की वजह से है। मैं बतला दूं कि जो स्वतंत्र उम्मीदवार हुए हैं वह इसीलिये कि वह सिर्फ शहर के फायदे के लिये हुए। उनको किसी राजनीतिक दल से मतलब नहीं है। तो मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी पार्टी को बुलाकर पार्लियामेंटरी बोर्ड को बुला कर, मैं सोशलिस्ट पार्टी से भी कहूंगा तथा कम्यूनिस्ट से भी, कि वहां सब अखाड़ा छोड़ दें, वहां सिर्फ एक चीज का सिद्धान्त रखा जाय, यह सोच लें कि जो सभापति या मेम्बर आपके शहर के फायदे के लिये कार्य कर रहा है, अगर इसी लाइट पर सब विचार करें तो अच्छा है और इसीलिये मैं प्रवर समिति में भेजना

चाहता हूं, कि सब पार्टी के लोग वहां जायं और यह निर्णय करें कि जहां-जहां ऐसे झगड़े हैं, अगर मंत्री जी और विरोधी दल के लोग टैकिल करें तो मुझे विश्वास है कि वहां का इन्तजाम बिल्कुल ठीक हो सकता है और वह लोग आपस में तय कर लेंगे। कम से कम मैं यह निश्चित जानता हूं कि जो एक साल की अवधि या तीन साल की अवधि रह गई, अगले चुनाव तक, समझौता जरूर हो जायगा। तो जब इस तरह तय हो सकता है और सरकार कोशिश न करे तो बड़े दुःख की बात है। मैं इस वजह से इस प्रस्ताव को रखता हूं कि आप इसको प्रवर समिति में भेजिये और यह कोशिश कीजिये कि जहां-जहां झगड़े हैं, उनको बुला कर समझाइये, उनसे प्रार्थना की जाय कि वह शहर के हित में, जनता के हित में जो उचित कार्य हों, उन्हें करें। सब पार्टियां अपने को विदड्रा कर लें और उन्हें स्वतन्त्र छोड़ दें कि वह अपना अपना कार्य करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सिद्धान्त नहीं बदलना पड़ेगा और अच्छा कार्य भी होगा। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के नेताओं ने इस इलेक्शन के लिये, म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव के सम्बन्ध में, मुझे मालूम है विश्वस्त सूत्र से, कि मंत्रियों ने भी श्रीमन्, जो भाषण दिये उसमें यह कहा कि आप चुन किसी को लीजिये, सरकार तो हमारी है। लिहाजा बग़ैर हमारे कोई काम चल नहीं सकता। इन सब चीजों को श्रीमन्, बार-बार कहा जाय या किसी पर दोष लगाये जायं यह कुछ अच्छा नहीं मालूम होता है।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि भाई उसमें आठ प्रेसीडेंट हमारे भी तो हैं, उनको भी तो नुकसान पहुंचेगा। लेकिन श्रीमन् यहां यह बात नहीं है। यहां तो बात यह है कि चूंकि ६२ फीसदी नानकांग्रेस हो गये तो दुनिया को किसी तरह यह बताया जाय कि वह सब काम कर ही नहीं सके और बग़ैर कांग्रेस के दुनिया का काम चल नहीं सकता। इसलिये यह किया जा रहा है। मैं यह कहता हूं श्रीमन्, कि आज जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया तो हर एक आदमी को स्वतन्त्रता है कि वह किसी भी लाइन में आगे बढ़े। आप भी काम करिये, सोशलिस्ट भी करें, कम्युनिस्ट भी करें, और जो स्वतन्त्र हैं वह भी करें। बल्कि मैं तो यह कहता हूं कि जो स्वतन्त्र है, इंडिपेंडेंट है, किसी पार्टी का नहीं है, वह इन संस्थाओं का काम ज्यादा अच्छा कर सकता है। तो इन तमाम सिद्धान्तों को जब आपने इतना सोच समझ कर के बनाया है तो दो मिनट के अन्दर में आपके पास रिपोर्ट आ गई—जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि इतनी जगहों पर काम नहीं चल रहा है और बड़ी गड़बड़ी है इसलिये इस सिद्धान्त को बदल दो, यह कोई मुनासिब बात नहीं है। मैं कहता हूं कि क्या गड़बड़ी है? डाइरेक्ट चुनाव का जो तरीका है वह प्रजातन्त्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। उसकी जगह पर आप पुरानी चीज लाने जा रहे हैं। जैसा कि अभी कुछ मेम्बर साहबान ने कहा कि यह अच्छा तरीका होगा और जिसके पास पैसा होगा वह चेयरमैन बनेगा और फिर करप्शन और फवरटिज्म और तमाम बुराइयां चलेंगी। लिहाजा मैं आपसे कहूंगा कि जब आपने एक चुनाव कराया है तो उसको चलने दीजिए। जैसे आपने पंचायत राज का चुनाव कराया, मैं बधाई देता हूं कि सब कुछ दिक्कत होते हुए भी आपने उसको चलाया और दुनिया ने उसको माना। वह सिद्धान्त चल रहा है आज भी, और सब लोग प्रसन्न हैं। दूसरे आपने डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में यह सिद्धान्त चलाया। मेरी समझ में नहीं आता कि यहां आप केवल सात-आठ महीने में इसे क्यों बदल रहे हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इन छोटी-छोटी बातों पर इस तरह ध्यान नहीं देना चाहिये कि उसके लिये तमाम सिद्धान्त को ही बदल डालें। आखिर, एक साल तो देख लीजिए, उसके बाद चुनाव हो सकता है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसी गड़बड़ी हो कि आप इस सिद्धान्त को ही छोड़ने के लिये तैयार हो जायं। एक साहब तो यहां तक सजेस्ट करने लगे कि साहब, नामिनेशन होना चाहिये। फिर अब आप समझ सकते हैं कि कहां नामिनेशन और कहां यह। फिर तो सरकार ही सारा बोर्ड बना दे और वह बोर्ड फिर काम करे। तो मैं यह समझता हूं कि मंत्री जी फिर से इस पर विचार करें और जैसा कि यहां के सदस्य लोग कहते हैं कि दो लाइन का अमेंडमेंट है, तो यह वही भूल होगी कि लोग कहेंगे कि

[राजा वीरेन्द्र शाह]

जनतन्त्र के लिये आपने इतनी लड़ाई की और यह क्या करने जा रहे हैं। आपके बड़े नेता और आप लोग भी इसके लिये जेलों में गये। अगर आप के बड़े नेताओं से पूछा जाय तो वह भी यही कहेंगे कि इस सिद्धान्त को न बदला जाय। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी यू० पी० की सरकार इसको इतनी जल्दी क्यों बदलना चाहती है? मैं नम्र निवेदन करूंगा कि इसको प्रवर समिति में जाने दीजिये। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटीज के झगड़ों को दूसरी तरह से तय करने की कोशिश कीजिये। अगर वह तय नहीं होते और तब आप यह संशोधन लायें तो मुमकिन है कि हम उसको उस समय समझने की कोशिश करें लेकिन अभी इसके लिये कोई कोशिश नहीं की गई। इन शब्दों के साथ जो संशोधन पेश है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न रखना चाहता हूं। पहले की तो मुझे मालूम नहीं लेकिन कम से कम बिजनेस कमेटी ने कुछ इस तरह का फैसला किया है कि डेढ़ दिन तक इस पर आम बहस होगी, तो इस आधे दिन का क्या अर्थ होगा? अगर यह हो तो ठीक है कि फोर नून और आफ्टर नून का हो जाय। इधर फोर नून में सवा दो घंटे मिलते हैं और उधर आफ्टर नून में पौने तीन घंटे मिलते हैं। इस तरह से एक दिन में चार घंटे काम होता है।

श्री अध्यक्ष---वह तो घंटों के ही हिसाब से लगाया जायगा। यानी एक दिन में काम के चार घंटे होते हैं और इस विधेयक के लिये यदि तीन रोज हैं तो कुल १२ घंटे हुये। आम बहस के लिये डेढ़ रोज मिला है तो ६ घंटे हुये और आज इस तरह से आम बहस पौने चार बजे खत्म हो जायगी और परसों पौन बजे तक सब कार्य खत्म हो जायगा। इस तरह से होगा। तीन रोज का इंटरप्रेटेशन यह होगा।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पहले तो यह अपनी कमजोरी मानूंगा कि मैं कोई स्वशासन सम्बन्धी विषय का जानकार नहीं हूं। लेकिन मैं नारायण दत्त जी के संशोधन का समर्थन करना चाहता हूं। अगर मैं पहले होता तो नारायण दत्त जी को यह सलाह देता कि बजाय इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजने के अगर पब्लिक ओपीनियन सीक करने के लिये भेजते तो ज्यादा मुनासिब बात होती।

श्री अध्यक्ष---उन्होंने बतलाया था कि नियमों के अनुसार लोकमत के लिये वह भेजा नहीं जा सकता।

श्री गेंदा सिंह---माननीय नारायण दत्त जी ने बहुत मुनासिब बात कही। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ इस कानून के लागू होने में दिक्कत है वह जनमत की है। अगर जनमत को ट्रेन करने की कोशिश की जाती तो इस तरह के विधेयक के लाने की सरकार को आवश्यकता ही नहीं पड़ती। अब बार-बार यह कहा जाता है कि लोगों ने म्युनिसिपल बोर्ड्स का जो चुनाव किया उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा कि किस पार्टी के हाथ में वह म्युनिसिपल बोर्ड्स को देने जा रहे हैं उन्होंने आम तौर से इस बात का ध्यान रखा कि हमारे शहर की तरक्की कैसे होगी और इसी विचार को दिल में रखकर अपने सदस्यों को चुना और इसी को हृदय में रख कर चैयरमैन को चुना।

अब यह बात जरूर है कि राजनीतिक पार्टियों की दखलन्दाजी हो गयी उनके तरक्की के काम में। वह इस तरह से हुआ कि चेयरमैन दूसरे विचारों से प्रभावित थे या दूसरी पार्टी के आदमी थे और जो मेम्बर्स थे अधिक तादाद में वह दूसरी पार्टी से प्रभावित थे और उन दोनों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में एक रस्साकशी चल रही है । इस रस्साकशी में शहर का जो मामूली तौर का उन्नति का काम है वह रुका हुआ पड़ा है । मैं माननीय मंत्री जी की इस कठिनाई को भी महसूस करता हूं कि साधारण तौर पर यह एक बड़ी भारी कठिनाई है । रोज-रोज जिस वक्त उनके सामने यह सारी दिक्कत आती है तो उसके बाद सोचना स्वाभाविक है कि किस तरह से इस रोग को दूर किया जाय । मेरी तुच्छ राय में इस रोग को दूर करने का उपाय कुछ दूसरा है और जैसा कि माननीय उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में सदन के सामने अपनी राय रखी थी कि चेयरमैन लोगों के चुनाव के लिये ही परिस्थिति अगर ऐसी है तो चुनाव कराया जाय । फिर जनता को यह महसूस करने का मौका दिया जाय कि उसको आम चुनावों में इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि केवल एक निर्वाचन क्षेत्र जो म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर का है उसी का स्वार्थ अपने मस्तिष्क में रखने से सारे शहर की तरक्की रुक जायगी, उसको सारे शहर के स्वार्थ को भी सामने रखना है और दोनों स्वार्थों का समन्वय करना है और समन्वय करके ऐसे लोगों को बोर्ड में लाये जिससे विभिन्न विचारों के होते हुए भी एक कामन प्लेटफार्म किसी हद तक बन सके । एक सीमा होनी चाहिये कि जहां विभिन्न स्वार्थों के होते हुए भी एक स्वार्थ में रह कर चल सकें ।

माननीय राजा वीरेन्द्रशाह जी ने जो कुछ कहा मैं समझता हूं उन्होंने ठीक ही अपील की । उनकी अपील की प्रतिक्रिया हम लोगों के ऊपर तो होती है, वह हमारे साथ बैठते हैं, परन्तु जब तक जो बहुमत में हैं उन पर वह प्रतिक्रिया नहीं होती है तब तक स्थानीय निकायों की हालत बदल नहीं सकती । इस बात को हम स्वीकार करते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सब से बड़ी शक्तिशाली राजनीतिक पार्टी है, तो जब तक वह इस बात को स्वीकार न करे तब तक हमारे स्वीकार करने से काम नहीं चलता । हमारी तरफ से इस बात के लिये पहले भी प्रार्थना की गयी थी कि सरकार इस बात पर विचार करे कि स्थानीय निकायों में दलबन्दी को दूर कर दिया जाय । हम भी इस बात को मानते हैं कि स्थानीय निकायों में कोई बड़े भारी आर्थिक कार्यक्रम को लेकर कोई राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता नहीं होनी चाहिये । राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के स्तर पर देश के लिये और सब लोगों के लिये एक अच्छी बात हो सकती है लेकिन हम यहां भी सोचते हैं कि हर बात में सरकार को न तो यह देखना चाहिये कि हम विरोधी हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं तो अपने दल की तरफ से और अपनी तरफ से यह कहता हूं कि हम लोगों को भी इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि सरकार जो कुछ भी करती है वह आंख बंद करके ही करतीहै इसलिये उसका विरोध ही करें। इसी तरह से मैं कांग्रेस दल से भी अपील करना चाहता हूं कि उसको भी दूसरी दृष्टि से विचार करना चाहिये, हर बात में इसी विचार को अपने सामने रख कर नहीं चलना चाहिये कि राजनीतिक प्रतिद्वन्दिता हमारी है इसलिये हम जो कुछ भी कहते हैं वह उनको नीचा दिखाने के लिये कहते हैं । हमारे देश में एक नयी परम्परा बनेगी यदि यह बात सही है कि दूसरे देशों में जो रेवोल्यूशन हुआ है उससे भिन्न मार्ग हमने अपनाया है । हम इस सरकार को भी जारशाही या च्यांगकाईशेक जैसी सरकार नहीं मानते हैं, उनसे भिन्न प्रकार की यह सरकार है, तो यदि भिन्न प्रकार की सरकार है, तो भिन्न प्रकार हमको टेकनिक इस सरकार से लड़ने के लिये अपनानी पड़ेगी और उस टेकनिक में इस सरकार को हमारे साथ निपटने में भिन्न प्रकार का तरीका रखना चाहिये । उस तरीके में मैं यह भी कहूं कि स्थानीय निकायों को अगर इस दलबन्दी से दूर कर दिया जाय तो अच्छा है और इसमें इनीशिएटिव उस तरफ से होना चाहिये। अगर इनीशिएटिव उस तरफ से आया तो जो कठिनाई इस विधेयक को पेश करते माननीय स्वशासन मंत्री जी ने बतायी है वह न होगी । और मैं जरूर आशा करता हूं--जब म्युनिसिपल बोर्डों में ऐसी अवस्था हो मैं माननीय मंत्री जी से क्षमा चाहता हूं--मैं एकांत में उनसे कहना चाहता था, लेकिन अवसर नहीं मिल सका । कहीं-कहीं पर ऐसी व्यवस्था है कि एक ही दल का बहुमत है और उसी दल का चेयरमैन भी है लेकिन वह चेयरमैन जो है शहर के स्वार्थ को नहीं देखता है । उसमें आपस में झगड़ा होता है । वह झगड़ा ऊंचे स्तर तक पहुंचता है । लेकिन फिर भी अगर चेयरमैन उसी तरह से अपना काम करता हुआ चला जाता है तो यह बड़ी खराब बात है ।

[श्री गेंदा सिंह]

हमारे सामने दो बोर्ड हैं। अध्यक्ष महोदय, हम जिस जिले से आते हैं, उस जिले में दो बोर्ड बरहज बोर्ड और पड़रौना बोर्ड है। पड़रौना में बहुमत प्राप्त समाजवादी बोर्ड है और बरहज बोर्ड जो है वह कांग्रेस का है। उसमें कांग्रेस का बहुमत है और कांग्रेस का ही चेयरमैन है। कांग्रेस के चेयरमैन के विरुद्ध, कांग्रेस के मेम्बरों को शिकायत है। और मैं समझता हूं कि सरकार को तुरन्त एसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे वहां की जनता की शिकायत दूर हो सके। लेकिन मैं समझता हूं कि अब तक माननीय स्वशासन मंत्री के यहां से कोई कार्यवाही हो नहीं सकी। हमने कोई शिकायत चेयरमैन के विरुद्ध नहीं की है। कांग्रेस के ही लोगों को उस चेयरमैन के खिलाफ शिकायत है। लेकिन जो कांग्रेस के लोगों की शिकायत है उसको म भी शेअर करता हूं। वह सही बात है। दूसरी बात पडरौना की है

श्री मोहनलाल गौतम--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। इस वक्त अलग-अलग प्रेसीडेंट के बारे में कुछ कह देना मेरे लिये मुश्किल होगा। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि अगर आप इस तरह से माननीय सदस्यों को अधिकार देंगे कि वह यह कहें कि यह बात सही है --सही है तो फिर मेरे लिये भी मजबूरी होगी कि मैं उन तमाम चीजों को सामने रखूं। अगर आप मुनासिब समझें तो अभी जनरल डिस्कशन में इंडिविजुअल केसेज को न लिया जाय। अगर कोई सवाल हो और उस पर आध घंटा डिस्कशन हो जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष--इंडिविजुअल केस की हैसियत से इस पर विवाद नहीं होगा। लेकिन एक इस प्रकार का उदाहरण इसमें दे सकते है मुश्किल कैसे दूर की जाय उसके लिये वह उदाहरण देते हैं। मैं गौर कर रहा हूं कि वह क्या आखिर में नतीजा निकालते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं निवेदन कर रहा था कि पडरौना के प्रेसीडेंट के खिलाफ जो शिकायत है, कांग्रेस वालों ने की है और मैं मानता हूं कि यह सही है--यह जो स्टेटमेंट है कि वह शिकायतें सही हैं, आन दि फ्लोर आफ दि हाउस किसी के खिलाफ कह देना और उसका अगर मुझको मौका न मिले .....

श्री अध्यक्ष--लेकिन आप कह सकेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--लेकिन मेरे पास .....

श्री अध्यक्ष--इतनी किसी विषय के बारे में राय देने की बात कह देना कोई अवैधानिक नहीं मालूम होता।

श्री गेंदा सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रह मानता हूं। माननीय स्वशासन मंत्री जी का जो आग्रह आपसे है उसको मैं स्वयं यह समझता हूं कि मैं ही बन्द कर दूं। मैं पडरौना की बात कतई नहीं करूंगा और न मैं किसी व्यक्तिगत बोर्ड के बारे में कुछ कहूंगा। म समझता हूं कि कुछ जानकारी माननीय स्वशासन मंत्री जी को है और उनकी जानकारी से मैं भी लाभ उठाऊंगा। (कुछ आवाजें) मैं अपने मित्रों के आग्रह के लिये क्षमा चाहता हूं। मैं उनसे निवेदन कर दूं कि मैं उनको भी बता दूंगा और माननीय मंत्री को भी मैं बता दूंगा। मैं अपने असली विधेयक पर बातचीत करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं कि जहां पर सरकार यह बात सोचना चाहती है कि इस कठिनाई को दूर करने के लिये जो पुरानी प्रथा थी उस प्रथा को हटा दिया जाय। मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह अपनी पुरानी प्रथा की तरफ न जायं। मैं अगर गलत नहीं हूं तो हमारे प्रधान मंत्री ने कुछ हम लोगों के बारे में, कुछ कम्युनिस्टों के बारे में और कुछ कांग्रेसी भाइयों के बारे में कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी में कहा। हम लोगों के बारे में जो कुछ कहा उसे हम मानें या न मानें यह हमारी बुद्धि पर है और उस पर हम विचार करेंगे लेकिन कांग्रेसी भाइयों से कहा कि हम तो गलत सोचते हैं लेकिन आप लोगों ने

तो सोचने से ही इंकार कर दिया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कांग्रेस के अपने मित्रों से, कि अगर वे सोचने से इंकार कर देंगे तो सारे शासन का भार तो उन्हीं पर है। सोचें हम और काम करें कांग्रस वाले, दोनों में बड़ा विरोधाभास है। या तो हमारे सोचने पर वे काम करें जो हो नहीं सकता इसलिये वे सोचें और मुमकिन है कि सोचने में कभी गल्ती हो जाय लेकिन इसीलिये यह डेमोक्रेसी है। यहां आने पर दूसरे से कोई सामान मिले, अपने सोचने में दूसरे का सोचना अगर शामिल कर लिया जाय और उसे मान लें तो कोई हर्ज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि आज हमारे देश में बड़ी जातीयता और प्रांतीयता की प्रवृत्तियां जाग रही हैं। एक युग था जब हमारे देश में सारे भारतवर्ष के कुछ व्यक्ति उठे और उनके व्यक्तित्व की, हम समझते हैं, आज भी भारतवर्ष में आवश्यकता है। आज भारतवर्ष में हमें खुशी है कि पंडित जवाहर लाल नेहरू एक ऐसा व्यक्ति है जो दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत की आवाज़ एक जगह बैठ कर सुनता है और वही एक ऐसा व्यक्ति है जिसे दक्षिणी भारत और उत्तरी भारत दोनों स्थानों का विश्वास प्राप्त है और दोनों स्थानों के लोग उन्हें एक ही दृष्टि से देखते हैं। तो फिर म्युनिसिपैलिटीज़ का चेयरमैन ऐसा ही व्यक्ति क्यों न चुना जाय कि वह किसी एक लोकल स्वार्थ को लेकर न चुना गया हो और वह लोकल लोगों का चुना हुआ आदमी न हो। अगर लोकल लोगों का चुना हुआ आदमी चेयरमैन होता है तो अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि उसके वेस्टेड इन्टेरेस्ट क्रियेट होते हैं। वगैर वेस्टेड इन्टेरेस्ट क्रियेट हुये वह रह नहीं सकता। अगर वह अपने लोकल स्वार्थ में फंसता है तो मेम्बर्स के भी लोकल स्वार्थ हैं। मेम्बर भी जिस क्षेत्र से चुन कर आया है क्या वह दबाव नहीं डालेगा कि अगर चेयरमैन उसके क्षेत्र के स्वार्थों का साथ नहीं देता है तो वह उन्हें नो कांफिडेंस मोशन का शिकार करायेगा? उस समय आपने इन बातों पर विचार किया था जब आप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के कर्ताधर्ता थे। मैंने वह पूरी रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। उस वक्त आपने इन सब बातों को सोचकर इस सदन में इस विधेयक को पेश किया था और वह फिर ऐक्ट बना। हम मानते हैं कि उसमें कठिनाई है। कठिनाई आये तो उसका इलाज यह नहीं है कि जो कुछ हमने किया उससे एकदम से पीछे हट जायं। मैं यह भी मानता हूं कि क्रांति का रास्ता सीधा नहीं होता, घूम फिर कर जाना होता है लेकिन हमारे माननीय स्वशासन मंत्री घूमने-फिरने में बड़े खिलाड़ी आदमी हैं। खिलाड़ी मैं सम्मान के ख्याल से कहता हूं, यह नहीं कि असम्मान के खयाल से कहता हूं, लिहाज़ा आप सोचें और नारायण दत्त जी के संशोधन का जो तात्पर्य है उस पर अच्छी प्रकार से सोचें। अगर चेयरमैन के चुनने का आप पहले से ज्यादा बेहतर उपाय दे सकेंगे तो चेयरमैन भी ज्यादा बेटर काम कर सकेगा। अगर चेयरमैन ज्यादा बेहतर काम करेगा तो उससे शहरों की हालत अच्छी होगी और मैं सोचता हूं कि जो उनका नमूना इस वक्त आ रहा है वही नमूना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में भी आयेगा अ र गांव पंचायतों में भी आयेगा। इस बात को मैं सोचता हूं कि एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेम्बर हो या जिले भर से ६०,५० मेम्बर आने वाले हैं तो वह जिला सैकड़ों मील के एरिया में फैला रहता है। अगर छोटे से क्षेत्र से चुन कर वह आयेगा तो उसको सब मेम्बर मिलकर चेयरमैन बनायेंगे। अगर उसका स्वार्थ होता है तो वह उस जगह पर छिपा रहेगा जिस जगह से वह चुन कर आया है। वही उसका लोकल इन्टरेस्ट है। उसको वह उससे ऊपर नहीं उठने देगा जिसका नतीजा यह होगा कि वह जनता का हित नहीं कर सकेगा। हम चाहते हैं कि ऐसे विरोध से ऊपर उसको उठाया जाय। एक जमाना था जिस वक्त वह जिले का लीडर हुआ, कोई तहसील का लीडर हुआ, कोई सर्किल का लीडर हुआ। आज हम देखते ह कि वही लोग वृद्ध होते जाते हैं। जो लोग तहसील या कानूनगोई सर्किल के नेता हुये वही लोग देश के नेता हुये। अब अगर हम फिर देश की सेवा करने वाले पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे तो फिर आगे कठिनाई होगी। यह लोग जो छोटे से क्षेत्र से चुन कर आयेंगे वह इतने वसी ख्याल के नहीं होंगे बल्कि जो लोग बड़े भारी क्षेत्र से चुनकर आयेंगे तो उनके सामने समान स्वार्थ रहेगा। इस प्रकार के व्यक्तियों को चुनने का एक ही तरीका है और वह यह है कि स्वशासन संस्थाओं में जो पार्टीबंदी के झगड़े हैं उसको उन

झगड़ों से छुड़ाकर समूचे क्षेत्र का, ऊपर उठाकर चुनाव करने का अवसर दें। मैं मानता हूं कि इसमें कठिनाई है लेकिन उन कठिनाइयों का भी सामना किया जा सकता है।

इस विधेयक में ऐसी बातें हैं जैसा कि जैन साहब ने बतलाया कि इन झगड़ों में उनका सारा समय बीत जायगा और इसी प्रकार से उनकी टर्म भी बीत जायगी। इस विधेयक के अन्दर इस बात की गुंजाइश है कि सरकार किसी मेम्बर की या समूचे प्रदेश के मेम्बरों की टर्म को बढ़ा सकती है। उसको दो वर्ष तक समय बढ़ाने का अधिकार है। उसको इस बात का अधिकार है कि जहां पर इस तरह का झगड़ा हो उस झगड़े को खत्म करके दूसरा बोर्ड बना कर उसके लिये अधिक मियाद दे सकती है। अगर दूसरे मेम्बर चुनकर आयेंगे तो उनकी टर्म वह बढ़ा सकती है और उसको काम करने का मौका दे सकती है बजाय इसके कि सरकार अपने ऊपर सारा दोष ले-ले और उस दोष को मैं इस सरकार का दोष समझता हूं। अगर ऐसा विधेयक पेश किया जाय तो हरएक आदमी यह कहेगा कि सरकार ने ही ऐसा प्रबंध किया है। सभी लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं और मैं भी इस प्रकार से सोचता हूं कि इस प्रकार की जरूरत नहीं है। जो नीति हम स्टेट लेजिस्लेचर के लिये बरतते आये हैं और पार्लियामेंट के लिये बरतते आये हैं उसको लोकल बोड के लिये बरतने की जरूरत नहीं है। मेरी गुस्ताखी माफ की जाय, मैं उनके छोटे भाई के नाते उनसे कहना चाहता हूं कि आपका यह इस विधेयक के साथ सोचना शहरों की तरक्की में हायल होगा और इससे शहरों की तरक्की रुकेगी। आपस के झगड़े बढ़ेंगे और उस आपसी झगड़े के कारण चेयरमैन को झुकना पड़ेगा उन लोगों के सामने जो गुट बनायेंगे। गुटबन्दी के सामने चेयरमैन को झुकना पड़ेगा। यह हो सकता है कि वह गुट अच्छा काम करे लेकिन ज्यादा यह होता है कि वह बुरे काम के लिये ही बनते हैं और इससे यह गड़बड़ पैदा होगी।

आखिर कहीं पर हमको रिकाल का सिस्टम भी तो चलाना है। अगर हम जनता को रिकाल का मौका दे दें या इस तरह के म्युनिसिपैलिटी के क्षेत्र में हम उसका अनुभव कर लें क्योंकि म्युनिसिपैलिटी का एरिया ५,७ मील से ज्यादा नहीं होता है। अगर वहां पर रिकाल का अनुभव कर लें तो यह भी ठीक हो सकता है। ताकि चेयरमैन ऐसा आ सके जो मेम्बरों के स्वार्थ का ख्याल न रख सके और वह जनता के मुताबिक ही चल सके तो फिर जनता को यह मौका दिया जाय कि उसको विश्वास के साथ वहां बिठावे और कहे कि चेयरमैन की नीति ज्यादा सही है बनिस्बत मेम्बरों की नीति के। मेम्बर फिर मजबूर हो जावेंगे कि वे चेयरमैन की नीति से मिल कर चलें। मैं मंत्री जी का ध्यान इंडिविजुअल बोर्ड की ओर जरूर दिलाना चाहता था। वह कमजोरी है और उसे हम थोड़ा सी मंत्री जी की कमजोरी कहेंगे। जहां हमारा विरोधी, चेयरमैन हो गया उसे भी एक मौका देना चाहिये। हम तो सोचते हैं कि जब हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार इतनी ताकतवर है, तो उसे चाहिये था कि लोकलसेल्फ गवर्नमेंट में विरोधियों को फेयर ट्रायल देती। हमको शिकायत है, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ लोगों को सरकार ने मक्खी की तरह से निकाल कर फेंक दिया कि यह ठीक नहीं था। सरकार को चाहिये था कि जनता को रिकाल का मौका देती, लेकिन वह नहीं दिया गया। अगर यह मौका दिया जाता तो सरकार उस कसौटी पर ज्यादा खरी उतरती और हमलोगों को भी सीखने का मौका मिलता। यह मानी हुई बात है कि यह सीखने की चीज है। सेलेक्ट कमेटी की कोई जल्दी नहीं है। अगर जल्दी हो भी तो २,४ दिन में विचार हो सकता है। मैं जानता हूं कि कितने ठंडे दिल से मंत्री जी अपना काम निकाल लेते हैं। जो वह चाहते हैं वह हो जाता है। अगर दूसरा मेम्बर सतर्क न रहे, तो वह हंसते-हंसते अपनी बात करा लेते हैं। तो मैं तो विश्वास के साथ उनसे कहूंगा कि जिस विश्वास के साथ वह यहां विधेयक लाये हैं वैसे ही सेलेक्ट कमेटी में भी जावें। अगर कोई वहां मजबूत बात नहीं होती तो इसी सूरत में विधेयक फिर यहां वापस आ सकता है। लेकिन हमको तो मजबूती कुछ मालूम होती है और इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि वह प्रवर समिति के प्रस्ताव को स्वीकार करें।

*श्री वीरेन्द्र पति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, इसमें दो मत नहीं हैं कि वास्तव में मंत्री जी ने यह संशोधक विधेयक ला कर अपनी योग्यता और दूरदर्शिता का परिचय दिया है। अधिकांश संशोधनों से मैं सहमत हूं। लेकिन जहां इसमें खामियां और कमियां हैं वह भी मैं मंत्री जी के सामने रखने की चेष्टा करूंगा। कहा गया है कि सरकार कल जिस सिद्धांत की निन्दा करती थी आज उसके पक्ष में वह जा रही है। उसके बरअक्स कहा जा सकता है। कहा जाता है कि सरकार ने गत वर्षों में एक कमेटी बना कर बालिग़ मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया और आज उसका उल्लंघन किया जा रहा है। मैं नहीं समझता कि यह कहां तक ठीक है। मैं समझता हूं कि सरकार बालिग मताधिकार के सिद्धांत को अपना रही है और इसके लिये यह बाध्य भी है। हमारे संविधान में भी यही है कि बालिग मताधिकार के सिद्धांत को अपनाया जाय। लेकिन जहां ऐसी विशेष परिस्थितियां हों कि जिनके कारण शासन चलना असम्भव हो जाय वहां कानून में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। जैसा कि कहा गया है जहां-जहां म्युनिसिपैलिटीज में कार्य नहीं चल रहा है, निर्माण न हो पाये, बजट न बन पाये, उप-प्रधान का निर्वाचन न हो पाये तो जब कभी ऐसी खामियां सरकार की नजर में आती हैं तो यह तो सरकार की दूरदर्शिता है कि जब-जब पब्लिक इंटरेस्ट में संशोधन लाना आवश्यक हो जाय तो वह अवश्य लाती है, या लाना चाहिये। जहां तक प्रधान के निर्वाचन का प्रश्न है, मैं यह समझता हूं कि उसमें कोई ख़राबी की बात नहीं है। कहा गया कि सरकार इस प्रकार से उसी शासन व्यवस्था को लाने जा रही है जो अंग्रेजों के जमाने में थी। कोई भी चीज जो अच्छी होती है तो वह चाहे किसी देश की हो, किसी भी देश या विदेश से आयी हो, उसको हमें ले लेना चाहिये। लेकिन अगर कोई ख़राब चीज है तो उसको हमें ठुकरा देना चाहिये। जब इस सरकार का कार्य नहीं चल रहा था तो यह संशोधन लाना आवश्यकीय था। हम देखते हैं कि सरकार इस संशोधन के द्वारा उन प्रेसीडेंट्स को तीन दिन के अन्दर हटाना चाहती है जिनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पास हो गया है। इसके पहले जो कानून था उसमें यह व्यवस्था की गयी थी कि अविश्वास का प्रस्ताव पास हो जाने पर सरकार एक नोटीफिकेशन निकालेगी और उसके द्वारा प्रेसीडेन्ट को हटाया जायगा। मैं समझता हूं कि पहला जो कानून था इसके बनिस्बत कुछ खराब था और यह भी कहा जा सकता है कि रिएक्शनरी था। संशोधन के द्वारा सरकार ने प्रेसीडेंट को यह अवसर दिया है कि वे ३ दिन के अन्दर त्याग-पत्र दे दें। अगर वे ३ दिन के अन्दर त्याग-पत्र नहीं देते हैं तो सरकार नोटीफिकेशन द्वारा पृथक करने पर बाध्य हो जायगी। यहां पर जो ३ दिन का अवसर त्याग-पत्र के लिये दिया गया है वह इसलिये कि उनकी मान मर्यादा और इज्जत की रक्षा हो सके, इसमें कोई ख़राबी की बात नहीं है। जहां इन चीजों के कारण मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं वहां इस विधेयक पर कुछ टीका टिप्पणी भी करना चाहता हूं। मैंने देखा है कि सरकार की तरफ से एक ४३– सी० का खंड रक्खा गया है, सरकार सीधा चुनाव न करके इनडायरेक्ट चुनाव करने जा रही है जो कि जनहित की दृष्टि से बहुत आवश्यकीय था और अनिवार्य मालूम पड़ता था। लेकिन जहां ४३–सी० में प्रेसीडेंट के निर्वाचन का प्रश्न है, किस तरह से उसका निर्वाचन होगा, किस तरह से चुनाव के संबंध में कार्यवाही की जायगी और किस तरह से वह अंतिम रूप धारण करेगा। मैं समझता हूं ४३ – सी उस वक्त लागू हो सकती है जब चुनाव आम हो रहा हो, जब चुनाव सीधे तरीके से हो रहा हो। इस ४३ – सी में कहा गया है कि रिटर्निंग आफिसर की नियुक्ति होगी और नामिनेशन की छानबीन की और वापिसी की तिथि बांधी-जायगी, पोलिंग का समय निर्धारित किया जायगा। जनमत की पेचीदिगियां भी हो सकती हैं, इसके अलावा वोट्स किस प्रकार से पड़ेंगी और उनका क्या-क्या तरीका होगा, यह भी उसमें दिया हुआ है लेकिन मैं समझता हूं कि जब मंत्री जी इनडायरेक्ट चुनाव करना चाहते हैं तो वहां इस प्रकार के प्रोसीजर का प्रश्न ही नहीं उठता। वहां तो म्युनिसिपैलिटी की मीटिंग में कोई सिविल आफिसर होता है, जो कानून के अन्तर्गत निर्धारित हो, वह उसको

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

प्रीसाइड करने आयेगा, मीटिंग में प्रस्ताव किया जायगा, उसका समर्थन किया जायगा और वहां वह मीटिंग दो–तीन घंटे के अन्दर खत्म कर दी जायगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि क्लाज ४३ – सी० जो है कम से कम मेरी मोटी अक्ल में यह व्यर्थ सा मालूम होता है। इसकी जगह अच्छा होता है कि जो पुराने कानून में प्रोसीजर दिया गया है कि किस तरह से चुनाव हो, उसी का क्लाज इसके अन्तर्गत आ जाय। इसके अलावा मैं यह भी देखता हूं कि जो नया ४३– (बी०) हमारी सरकार रखने जा रही है वह यह है कि वहां पर चुनाव पिटीशन किन-किन आधार पर हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष––आप आम सिद्धान्त के ऊपर ही बोलें। जब एक एक खंड के ऊपर विचार होगा तो उस वक्त एक-एक क्लाज को लेकर विचार हो सकता है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव––तो पिटीशन के मुताल्लिक जो आधार रखा गया है कि वहां पर्चा जो होगा, नामिनेशन पेपर जो होगा वह किन कारणों से खारिज किया जा सकेगा। मैं समझता हूं कि यह नामिनेशन का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। कोई नामिनेशन पर्चा यदि खारिज होगा, जिसका चुनाव के ऊपर कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा तो इस इलेक्शन में जो इनडाइरेक्ट होने जा रहा है, प्रेसीडेंट का कोई प्रश्न ही नहीं होगा। तो कम से कम यह जो क्लाज है, माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान देंगे और इसको हटाने की कोशिश करेंगे। मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जहां इस बात की व्यवस्था की गयी है कि जहां प्रधान ठीक कार्य नहीं करेगा तो वहां डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के आदेश द्वारा एक्जीक्यूटिव आफिसर या मंत्री ही कार्य करेगा जब तक कि वाइस प्रेसीडेंट का चुनाव न हो जाय। मैं देखता हूं कि इस कानून में एक्जीक्यूटिव आफिसर या मंत्री वाइस प्रेसीडेंट द्वारा कोई कार्य हो ही नहीं सकता जब तक कि सरकार द्वारा अविश्वास के फलस्वरूप उसको हटा न दिया जाय। वहां प्रेसीडेंट को हटाया जाना या वोट आफ कांफिडेंस का पास होना मैं समझता हूं कि आवश्यक है। जब तक प्रेसीडेंट नहीं हटाया जाता है तब तक कोई मंत्री या एक्जीक्यूटिव आफिसर कार्य नहीं कर सकेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं हाउस का समय अधिक नहीं लेना चाहता हूं। केवल यही कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह संशोधन जिस मंशा से रखा है वह ठीक है और माननीय मंत्री जी पर प्रभाव जरूर पड़ा है। यह प्रभाव किसी विशेष व्यक्ति का पड़ा है या किसी दल का पड़ा है, यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन सचमुच में माननीय मंत्री जी के वास्तव में जो सलाहकार इसमें रहे हैं, वह विशेष परिस्थितियां ही हैं और जन–हित ही है जो माननीय मंत्री जी के सलाहकार रहे हैं। यह ठीक भी है। तो प्रधान के मुताल्लिक, अविश्वास के मुताल्लिक, जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करता हूं और साथ ही साथ जो मोटो चुनाव के कंडक्ट करने का है उसका विरोध करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)––माननीय अध्यक्ष महोदय, सब से पहले मैं अपने माननीय मंत्री जी तथा इस विभाग के कर्मचारियों को हार्दिक धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस अच्छे विधेयक को इस सदन के सामने पेश किया है। उसके बाद अपने विरोधी भाइयों के बारे में मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कोई भी मजमून आये, कोई भी विषय आये, बात एक ही कही जायगी। बार-बार जो कहा गया है उसी को दोहरा दिया जायेगा। तो मैं इतना ही प्रार्थना करता हूं कि विरोध किया जा सकता है और अच्छा विरोध किया जा सकता है। अगर दिमाग के ऊपर जरा जोर और डाला जाय तो स्वस्थ आलोचना (हेल्दी क्रिटिसिज्म) हो सकती है और उससे फायदा भी उठाया जा सकता है। बार-बार जो बात कही गयी है उसी को बार-बार लाने से हाउस का समय भी बरबाद होता है और इसके माने यह हैं कि पब्लिक का पैसा खराब होता है। इसलिये मैं इतनी ही प्रार्थना, रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी कर के दिमाग़ पर जरा जोर डालें तब हो सकता है कि वे कोई अच्छी बात फरमायें, तो उसे सरकार मंजूर भी कर ले। लेकिन अध्यक्ष महोदय,

यह आशा होती नहीं है । ज्यादातर जो होता है वह यह कि एडजर्नमेंट मोशन, वाकआउट, विरोध.....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आप विधेयक के ऊपर ही बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल--सब से जोरदार शब्दों में कहा गया कि इनडायरेक्ट एलेक्शन कर के, अप्रत्यक्ष चुनाव कर के अधिकार छीना जा रहा है, आगे बढ़ कर पीछे हटा जा रहा है और इससे राजा का नुक्सान होने की सम्भावना है। अभी माननीय राजा वीरेन्द्र शाह जी ने कहा कि जो चुनाव हो चुके हैं उनमें अधिकार प्राप्त करने के लिये ही यह तब्दीली की जा रही है , उन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में इस बात को कहा है । मेरी प्रार्थना है कि इस को बदल कर के, नामजदगी कर के कब्जा करने की इसमें कोई बात नहीं है बल्कि बाज वक्त चुनाव में अच्छे लोग रह जाते हैं इसीलिये इस चीज को लाया जा रहा है। कहीं पर किसी व्यक्ति या दल के कब्जे का सवाल नहीं है । कोई खास आदमी जो चुनाव के झगड़े में नहीं पड़ना चाहते हों वह न रह जायं और अगर वह जनता का अच्छा काम कर सकते हैं तो उनको लाने के लिये कुछ नामजदगी की बात सरकार रख रही है। अध्यक्ष महोदय, भले आदमी पार्टीबाजी नहीं करते, ऊंचे दर्जे के आदमी तकलीफ से रहते हैं लेकिन किसी से याचना नहीं करेंगे, न किसी से कुछ सिफारिश करते हैं न गलत बात सुनते ह तथा भले आदमी ज्यादातर एलेक्शन से भागते हैं, लेकिन वह होते हैं बहुत काबिल, और अगर वे चुनाव में खड़े हो जायं तो पार्टीबाज न होने के कारण वह जीत नहीं पाते हैं, तो ऐसे आदमियों को लाने के लिये ही यह नामजदगी की बात रखी गयी है। यह तरीका हर एक के लिये न रख कर केवल थोड़े से काबिल आदमियों को लाने के लिये रखा गया है । आप ने फरमाया कि एक तरह से यह अधिकार छीने जा रहे हैं । अगर वे इस पर जरा ठंडे दिमाग़ से गौर करें तो वह ऐसी बात शायद न कहेंगे । मैं किसी बात के अन्धभक्त फालोअर्स में से नहीं हूं । अगर वह ठीक बात होगी तो मैं उसको स्वीकार भी करूंगा, अगर उनकी बात में वजन होगा तो इस्तीफा दे कर पार्टी से अलग भी हुआ जा सकता है। जब किसी छोटी जगह में चुनाव होता है तो उसके वार्ड के ज्यादा लोग अपने आस-पास के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, खास लोग मोहल्ले वालों को जानते हैं और जो खास-खास लोग हैं वह शहर भर के बड़े आदमियों को जानते हैं और उससे ऊपर के लोग हैं तो सूबे भर को जानते हैं और उससे भी ऊपर के लोग आल इंडिया के लोग जानते हैं। अतः अप्रत्यक्ष चुनाव से तो आसानी होगी, क्योंकि वहां के लोग अपने यहां के बड़े लोगों को जानते हैं लेकिन आम जनता जो मुहल्ले के लोगों को जानती है वह इतना अच्छा शहर के लोगों को नहीं जानती, उनके बारे में फैसला करना उनके लिये आसान न होगा। इसलिये यह फैसला किया गया कि चुने हुये सदस्य ही अपने में से जो आदमी ठीक हों उनको चुन लें। हम यह चाहते हैं कि मुल्क का कैरेक्टर बने, चरित्र का निर्माण हो। इसलिये मैं चाहता हूं कि हम जो करना चाहते हैं उसको हमें साफ-साफ कहना चाहिये। होता यह है कि उम्मीदवार जाते हैं और लोग दोनों से वक्त के वक्त तक कहते रहते हैं कि हम आप को ही वोट देंगे।

(इस समय १ बज कर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि ऐसा काम हमें करना चाहिये कि जिसमें करप्शन कम हो। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरी राय है कि जब चेयरमैन के लिये वोट हो तो वह छिप कर न हो बल्कि हाथ उठा कर हो तो ज्यादा अच्छा

[श्री सीताराम शुक्ल]

हो। इसमें यह कहा जाता है कि नहीं साहब आजादी छिन जायगी, दबाव पड़ सकता है। मेरी प्रार्थना यह है कि पहले ही लोग अपने-अपने आदमी खड़े करते हैं। कौन किसका, किस टिकट का मेम्बर है लोगों को मालूम रहता है। कुछ एकाध मेम्बर ऐसे हो सकते हैं जो अपने को रिजर्व रखते हों या स्वतंत्र बात लाते हों और स्वतंत्र सदस्य का भी विचार मालूम हो जाता है कि किससे इनकी हमदर्दी है। तो जब साफ-साफ मालूम हो जाता कि कौन किस तरह से आया तो छिप कर वोटिंग करने के क्या मानी होते हैं ? इसमें तो लोग झूठ बोलते हैं, झूठे वादे करते हैं कि हां आपसे हमदर्दी है। इस तरह से गलत प्रचार होता है। इस तरह मैं माननीय मन्त्री का ध्यान आकर्षित करूंगा अगर पसन्द करें तो मंजूर कर लें। आपको याद होगा कि खद्दर भंडार में जब महात्मा जी ने भी फी रुपये के खद्दर पर दो पैसे का सूत लेना जरूरी होगा ऐसा तरीका चलाया था यानी साढ़े पन्द्रह आने नकद और दो पैसे का सूत जरूर दे तब एक रुपया का खद्दर ले। लेकिन जब वहां भी ब्लैक चलने लगा और लोगों ने एक ही जगह पर सूत खरीद लिया और खुद बेंच दिया और फिर सूत खरीद लिया और खद्दर फिर बेच दिया। इस प्रकार जब ब्लैक चलने लगी तब गांधी जी ने कहा कि इसको हटा दो, यह बेकार सी चीज है, इस ढोंग से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह से जब सब लोग खुल्लमखुल्ला आते दलों के साथ हैं तो खुल्लमखुल्ला क्यों न वोट कराया जाय ? हमारी राय यह है कि उन लोगों को द्विविधा में क्यों डालें, इसलिये खुल्लमखुल्ला वोटिंग करायी जाय।

अन्त में माननीय राजा साहब से जिन्होंने बड़े जोरदार शब्दों में यह ऐतराज किया कि गवर्नमेंट अधिकार छीनने के लिये अपने हथकंडे चला रही है, यह कहना चाहता हूं कि यह उनका ग़लत ख्याल है। मैं अदब के साथ अर्ज करता हूं कि गवर्नमेंट के हाथ में बड़ी ताक़त है, वह छीन सकती है, सुपरसीड कर सकती है और अपने हाथ में ले सकती है। जब इतने अधिकार हैं तो फिर नए कायदे कानून को बनाने की क्या आवश्यकता है ? और इसीलिये गवर्नमेंट इस हाउस में इस कानून को उपस्थित करती है। इसीलिये उसने पब्लिक में अधिकार बांट दिये हैं, पंचायतें बना दी हैं, चुनाव करा दिये हैं। यही नहीं, हमारे माननीय वीरेन्द्र शाह जी भी कांग्रेस के बदौलत ही यहां आये हैं। क्योंकि उन्होंने स्वराज्य हासिल किया है और अधिकार सब का बढ़ा दिया है। एक परिवार होता है, उसमें बड़ा भी होता है और छोटे-छोटे बाल बच्चे सभी होते हैं। लेकिन घर का मालिक जो होता है वह जो कुछ कमाता है वह खुद तो खा नहीं लेता बल्कि सब को बांटता रहता है। हमारे यहां के क्रान्तिकारियों ने तय किया कि या तो जमीन अपने खून से लाल करेंगे या आजादी ले के रहेंगे। करो या मरो कहा और आजादी मिलने के बाद पूरा-पूरा सब को बांट दिया। आज माननीय पंडित जवाहर लाल नेहरू का भी एक ही वोट है, जितना कि किसी गरीब से गरीब आदमी के पास भी मौजूद है। अब इसके बाद भी, इतनी बड़ी शक्ति पाने के बाद भी और चुने जाने के बाद भी कांग्रेस की शिकायत करते हैं कि ये हथकंडे हैं। तो अब अगर शिकायत है तो उस शिकायत को आप ही कहिये और आप ही सुनिये। माननीय गेंदा सिंह जी यहां पर नहीं हैं। माननीय मंत्री जी को उन्होंने कहा था कि वे बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और खेलना खूब जानते हैं। यह तो उनकी सोसाइटी का असर है। क्या उन्होंने खिलाड़ीपन किया है ? कांग्रेस में रहे, एक जगह रहे, एक झंडे के नीचे रहे और आज भी उसी जगह पर हैं। वह तो खिलाड़ी हैं और आप आज एक जगह कल दूसरी जगह, आज इधर, कल उधर परसों फिर इधर तो आप क्या हैं ? शिकायत उसकी करनी चाहिये कि जिसमें ऐब हो लेकिन जिसमें ऐब न हो उसकी शिकायत करने में अपनी शिकायत हो जाती है। चमकते हुए सूरज की कोई शिकायत नहीं करता, उसकी तरफ थूकने वाले के मुंह पर ही थूक वापस आता है। अन्त में मैं माननीय मंत्री जी को और उनके विभाग के कर्मचारियों को तहेदिल से धन्यवाद देता हूं और मेरे मित्र बोलना चाहते हैं लिहाजा मैं अपनी स्पीच जल्दी ही खत्म करता हूं।

*श्री ऐजाज रसूल (जिला हरदोई)--हुजूर वाला, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात इस बिल पर जाहिर कर सकूं। हुजूरवाला, मैं खेर कमेटी का मेम्बर था और जिस वक्त कि खेर कमेटी ने डाइरेक्ट एलेक्शन की बात मंजूर की थी उस वक्त भी मैंने मुखालिफत की थी। उसकी वजह यह थी कि आप चेयरमैन का इलेक्शन डाइरेक्ट करवा रहे हैं, जैसा कि हुआ और उसका नतीजा यह हुआ कि तमाम म्युनिसिपैलिटियों की हालत खराब होती चली गई। आप ऐसा करके अमरीका की डेमोक्रेसी को लाये। वहां भी रिपब्लिक के प्रेसीडेंट को डाइरेक्ट एलेक्शन से चुना जाता था और उसे लेजिस्लेचर से कोई वास्ता न था। यहां भी आपने चेयरमैन को पब्लिक से चुनवाया और उसके बाद वह बोर्ड में स्पीकर की हैसियत से बैठता है। मैं समझता हूं कि अगर आपको डाइरेक्ट एलेक्शन कराना था तो प्रेसीडेंट को आपको ऐडमिनिस्ट्रेटिव पावर देते और स्पीकरी के लिये हाउस में से एक मेम्बर चुना जाता। वह जैसा कि अमरीका का सिस्टम है, होता। लेकिन आपने अमरीका और इंगलैन्ड सभी सिस्टम्स को मिलाया और उसका नतीजा यह हुआ जैसा कि हमारे मिनिस्टर साहब ने बताया कि ज्यादातर बोर्ड्स में गड़बड़ी पैदा हो गई है। अमरीका वगैरह में भी इस तरह से डाइरेक्ट एलेक्शन नहीं होता। लेकिन यहां आपने ऐलेक्शन इस तरह से कराया और उसका नतीजा यह हुआ कि म्युनिसिपैलिटी में पार्टियां आईं और मेजारिटी नहीं हो सकी और हालत खराब हुई। अब क्या होना चाहिये यह हम को सोचना है। जैसी कि फारसी में एक कहावत है:

ता तिर्याक अज ईराक आवुर्दा शवद,
मार गुजीदा मुरदा शवद।

इसका मतलब यह है कि ईराक से जब तक जहरमोहरा आयेगा तब तक तो सांप का काटा हुआ मर ही जायगा। अभी जैसा मिनिस्टर साहब ने बतलाया कि १०८ म्युनिसिपैलिटियों में से ६४ की हालत नाजुक है और यह मालूम पड़ता है कि काम जिस तरह से शुरू किया गया था वह ठीक तरह से नहीं चल रहा है और इसलिये गवर्नमेंट ने मजबूर हो कर यह कहा कि मेम्बर खुद ही प्रेसीडेंट चुन लें और काम आगे बढ़े जैसा कि पहले था। पहले कभी कभी नो कांफीडेंस रेजोल्यूशन आया लेकिन इतनी तादाद में नहीं जितने कि इधर इन बोर्ड्स की हालत खराब होने के बाद आये। आज की हालत का नतीजा यह है कि बोर्ड की हालत खराब होती चली जा रही है, चेयरमैन अपनी तरफ खींचता है और मेम्बर अपनी तरफ। तो उनको इत्तिहाद में लाने का यह तरीका अख्तियार किया गया और सोचा गया और मेरे ख्याल में बहुत मुनासिब सोचा गया कि इन्डाइरेक्ट एलेक्शन हो ताकि मेम्बरान और चेयरमैन में इत्तिफाक हो जाय। क्योंकि आपने यह देखा नहीं कि अगर आप बिल को गौर से पढ़ें तो इसमें यह लिखा है कि अगर चेयरमैन के खिलाफ नो कांफीडेंस मोशन आये तो चेयरमैन यह ख्वाहिश कर सकता है कि बोर्ड एबालिश कर दिया जाय और फिर दुबारा अगर बोर्ड यह पास करे कि उसे चेयरमैन पर कांफीडेंस नहीं है, उसके खिलाफ नो कांफीडेंस मोशन पास करे तो वह चेयरमैन हट सकता है। तो इसलिये अभी तक चेयरमैन अपने आपको बहुत महफूज समझता था, वह ख्याल करता था कि इस बोर्ड में तो हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जो चाहें करें, जिस सूरत से हम चाहें करें क्योंकि अगर बोर्ड में और मेरे में एख्तिलाफ राय हुई और मेरे ऊपर नो कांफीडेंस आये तो नो कांफीडेंस के पहले मैं बोर्ड को डिजाल्व कर दूंगा और डिजाल्व होने के बाद फिर दुबारा चुनाव आयगा और उस चुनाव के बाद अगर मेरे खिलाफ नो कांफीडेंस मोशन पास हुआ तो उस वक्त मैं हटा दिया जाऊंगा। तो इस वजह से चेयरमैन बोर्ड के मेम्बरान की तरफ तवज्जह नहीं करता और वह अपनी मनमानी कार्यवाही करता था। बहुत से अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, इसलिये इस डेडलौक को दूर करने के लिये गवर्नमेंट ने यह मुनासिब समझा और मेरे ख्याल में ठीक मुनासिब समझा कि यह दूर हो जाय और दोनों में इत्तफाक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऐजाज रसूल]

हो। अब आप देखेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड्स के चेयरमैनों का इलेक्शन हो गया। बोर्ड की फाइनेन्शियल हालत खराब है, चेयरमैन और मेम्बरान में रब्त-जब्त नहीं है। नतीजा यह है कि टैक्सेशन मेजर्स बोर्ड में चेयरमैन ला नहीं सकता क्योंकि मेम्बरान ऐग्री नहीं करते। पे कमेटी की रिपोर्ट के बाद लोकल बोर्ड्स को अपने मुलाजिमों की पे के लिये अपना इंतजाम करना चाहिये। लेकिन फाइनेन्शियल हालत हर बोर्ड की साउन्ड नहीं है। चेयरमैन इस हिम्मत पर कि बोर्ड हमारी बातें नहीं मानेगा कोई टैक्सेशन मेजर्स नहीं लाते लेकिन अगर रब्त-जब्त होगा तो टैक्सेशन मेजर्स आते। सड़कें, रोशनी और तमाम चीजें जिनका कि बोर्ड से वास्ता है, उनकी तरक्की होती।

अब रहा यह कि अभी गेंदा सिंह जी ने फरमाया कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह कहा कि साहब कांग्रेस पार्टी तो कुछ सोचती ही नहीं है। लेकिन यह उनका गलत ख्याल है। फौज का एक जनरल होता है, वह सोचता है और उसके इशारे पर जहां-जहां जरूरत होती है, उस जगह उसके नीचे जो लोग होते हैं काम करते हैं। लेकिन हमारी पी० एस० पी० पार्टी में तो हर शख्स जनरल है। आपने नागपुर में देखा होगा कि लोहिया साहब एक तरफ, कृपलानी साहब एक तरफ और अशोक मेहता साहब एक तरफ। गर्ज कि हर जनरल ही जनरल था, कोई सोल्जर तो नजर ही नहीं आता। तो उसकी वजह से क्या हालात हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। हमलोग तो फिर भी बहुत अच्छे हैं कि एक लीडर के अन्डर काम करते हैं। और जो बिल और जो चीज तजवीज हो करके आयी है, वह सोच समझ कर आयी है और सोच समझ करके इस हाउस में पेश की गई है। श्री गेंदा सिंह जी ने फरमाया कि लोकल लोगों का चुना हुआ आदमी हो। तो मैं पूंछना चाहता हूं कि मेम्बरान बोर्ड और चेयरमैन क्या लोकल मेम्बर नहीं हैं, वह कहां से आये? फर्ज कीजिये कि देवरिया ही की म्युनिसिपैलिटी है, तो जो वहां का वोटर होगा वही तो मेम्बर और चेयरमैन होगा। तो फिर मेरी समझ में नहीं आया कि उनका मतलब क्या है कि लोकल लोगों का चुना हुआ आदमी हो। विदेशी तो हो ही नहीं सकता। अब यह कहा गया कि साहब कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक वे में काम नहीं करती। मैं यह भी बता दूं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हिन्दुस्तान के अलावा इंगलैन्ड ही में है और कहीं नहीं चल रही है। आपने पब्लिक को चाहे वह किसी पार्टी का हो, ख्यालात और अखबारात के द्वारा अपनी राय इजहार करने का पूरा अख्तियार दिया है कि वह अपने नुक्तेनजर पेश करे। यह बातें कम्युनिस्ट पार्टी में तो हैं नहीं। वहां तो एक डिक्टेटरशिप है और वह भी एक ऐसा लिस्ट सिस्टम है कि नाम का तो वोट लिया जाता है और वह नाम लेने के बाद यह कहा कि यह नाम हैं। इनमें से किसी को वोट दे दो। और कोई पार्टी वहां खड़ी नहीं हो सकती है। रूस और चीन में जहां कम्युनिस्ट हैं आप वहां जाकर देखें, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से नाम रख दिये जाते हैं। वही पार्टी एक लिस्ट रख देती है और उसमें से चाहे जिसे चुन लो। यहां हिन्दुस्तान में तो मुख्तलिफ पार्टियां पैदा हो जाती हैं और हम हर पार्टी और हर व्यक्ति को आजादी से मौका देते हैं। यहां जिस सूरत से अखबारों में और यहां पर हाउस के अन्दर हमारी गवर्नमेंट के मिनिस्टरों के लिये अल्फाज इस्तेमाल किये जाते हैं, और ऐसे-ऐसे हमले किये जाते हैं जो कि अपोजीशन के मेम्बरों के लिये कतई मुनासिब नहीं होते। अपोजीशन जो होता है उसको एक इज्जतदार तरीके से मुकाबिला करना चाहिये और एक मिल कर के विचार करना चाहिये और उसको दिखलाना चाहिये कि यह यह खराबियां हैं बजाय इसके कि नीयतों पर हमला किया जाय। यहां आज यह बिल का मौका था, इस मौके पर चेयरमैनों की शिकायत करने का कोई वक्त न था। मगर यहां चेयरमैनों की शिकायत की गई। अगर चेयरमैन कोई बुरा है या उसमें कोई खराबी है तो उसकी जांच हो रही है और जांच के बाद यदि वह सचमुच बुरा होगा तो निकाल दिया जायगा। लेकिन इस बात से इस बिल का क्या ताल्लुक था? यह बिल तो एक उसूल की बात होती है। इसमें तो उसूल सारे सूबे के लिये तय होता है।

एक बात यह कही गई कि इनडाइरेक्ट एलेक्शन से वोट परचेज होंगे। था एक जमाना जब वोट परचेज हो सकते थे लेकिन अब तो पार्टी सिस्टम से यह होता है। जब एक पार्टी सिस्टम से लोग चुनकर के आते हैं तो उसमें वोट परचेज होने का सवाल कहां से पैदा हो सकता है? उसमें तो पार्टी जो डिरेक्शन देगी, उसी के बमूजिब वह काम करेंगे। हमारे तिवारी जी ने यह फरमाया कि पब्लिक ओपीनियन ली जाय और सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या म्युनिसिपैलिटियों की राय ली जाय। तो म्युनिसिपैलिटियों की तो खुद हालत खराब है वह क्या राय देंगी? अगर कोई बोर्ड राय देगा भी तो वह तो यही राय देगा कि हमारी राय से चेयरमैन चुना जाना चाहिये। और मैं यह पूछना चाहता हूं कि इतने दिनों से यह बिल अखबारों में और अपर हाउस में था, लोगों को इसके बारे में इत्तला थी, तो कितनी रायें इसके खिलाफ आयी हैं? मैं तो समझता हूं कि एक भी राय इसके इख्तलाफ में नहीं है बल्कि हर एक शख्स इसको अच्छा समझ रहा है। बहुत से लोगों ने कहा कि मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छा किया। तो मुझे तो उम्मीद है कि भवन इस पर गौर करके इस बिल को मंजूर करेगा ताकि आइन्दा जो परेशानियां होने वाली हैं, वह दूर हो जायं। मैं इस बिल का तहेदिल से स्वागत करता हूं।

सिर्फ एक बात और मुझे कहनी है और वह यह है कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट का सिस्टम जो इसमें रखा गया है चेयरमैन के एलेक्शन के लिये, यह मेरे ख्याल में गलत है और उसकी वजह यह है कि सिंगिल ट्रांसफरेबिल वोट सिस्टम के से एक माइनारिटी का भी आदमी चेयरमैन हो सकता है। फर्ज कर लीजिए कि १६ मेम्बर हैं, तीन नाम चेयरमैन के लिये आये। अब एक को सात वोट मिले, फर्स्ट प्रेफरेंस उसको मिल गई, दूसरे को ५ मिले और सेकेंड प्रिफरेंस उसको मिली, और इसी तरह तीसरे को उससे कम मिले और थर्ड प्रिफरेंस उसे मिली। उसका नतीजा क्या हुआ वह चेयरमैन फर्स्ट वाला होगा। सेकेंड प्रोफरेंस वाले से उसको ज्यादा मिले तो चेयरमैन बहुमत का बोर्ड में नहीं होगा बल्कि माइनारिटी का होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इसके लिये दो तीन तरीके हो सकते हैं। एक तो यह कि जिसकी मैजारिटी हो उसका चेयरमैन कर दिया जाय। अगर बोर्ड में १६ मेम्बर हैं, दस आदमी एक पार्टी के हैं और ६ आदमी दूसरी पार्टी के हैं तो पहली पार्टी का चेयरमैन हो जायगा। सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट में, जो तकलीफें डायरेक्ट इलेक्शन्स से हुई थी, वही मुश्किलात पेश आयेंगी। लिहाजा मैं इस बात की ख्वाहिश करूंगा कि यहां सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट को हटा दिया जाय और गवर्नमेंट रूल बनाये और पब्लिक ओपीनियन ले ले और लोगों की राय लेकर सोचें और ऐसा तरीका अख्तियार करें कि चेयरमैन मैजारिटी हासिल कर सके और इसके बाद आराम से काम कर सके। मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं और जो अमेंडमेंट नारायण दत्त जी ने इसको सेलेक्ट कमेटी में रखने के लिये पेश किया है, मैं इसकी मुखालिफत करता हूं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री नारायण दत्त जी के द्वारा प्रस्तुत सुझाव का समर्थन करना चाहता हूं। उन्होंने अपना संशोधन प्रस्तुत करके मांग की है कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान में और इस विधेयक के प्रीएम्बिल में इस बात को खास तौर से कहा है कि आज सभी बोर्डों में कुछ दिक्कतें पैदा हो गई है कि जिस पार्टी के मेम्बर बहुमत में हैं उसका चेयरमैन न होने के कारण दैनिक काम में रुकावट हो रही है। प्रश्न है इसे कैसे दूर किया जाय?

मेरा ख्याल यह है कि इस सदन में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इसको महसूस न करता हो। असलियत सभी महसूस करते हैं कि चेयरमैन बहुमत का न होने से म्युनिसिपल बोर्डों में शासन में दिक्कत पैदा हो रही है और इसे कैसे दूर किया जाय। मंत्री महोदय और सरकार के सामने एक ही रास्ता दिखाई पड़ता है कि म्युनिसिपल बोर्ड में जो चेयरमैन हो उसका चुनाव इनडायरेक्ट कर दिया जाय। लेकिन मैं समझता हूं कि इस चीज के स्वीकृत हो जाने से दो बातें बहुत साफ तौर पर नुमायां हो जाती हैं।

[श्री झारखंडे राय]

एक तो यह कि मौजूदा सरकार का विश्वास जनता में दिन बदिन घटता चला जा रहा है। दूसरे जनतंत्रवाद के उसूल में जिसके दावेदार और अलमबरदार होने का यह सरकार दावा करती है उसका विश्वास घटता जा रहा है। क्योंकि सचमुच में अगर मंत्री महोदय रास्ता खोजना चाहते थे, जैसा कि उन्होंने कहा है कि उनको इस समस्या को हल करने के लिये कोई न कोई रास्ता चाहिये तो सब से अच्छा तो यह होता कि पब्लिक ओपीनियन के लिये इस बिल को भेजा जाता। इससे घटिया दरजे का रास्ता यह होता कि म्युनिसिपल बोर्डों से राय मांगी जाती कि उनका इस संबंध में क्या सुझाव है? आखिर कोई चेयरमैन है और किसी पार्टी का बहुमत है, ऐसी दशा में सभी महसूस करते हैं कि बोर्ड के काम में दिक्कत हो रही है तो इस दिक्कत का हल उनसे पूछा जाना चाहिये था। मेरा ख्याल यह है कि सभी म्युनिसिपल बोर्डों से राय आने के बाद चाहे वह राय बहुमत की हो या अल्पमत की हो, उसकी छानबीन करने के बाद कोई न कोई रास्ता जरूर निकलता, जो आज के रास्ते से कहीं सुन्दर होता और सबको मान्य भी होता। लेकिन न तो जनता से इस पर राय लेना, न म्युनिसिपल बोर्डों से राय लेना बल्कि केवल यही एक रास्ता इस समस्या के हल के रूप में पेश करना कि जो अधिकार इस सरकार ने अपनी हुकूमत के दौरान में दिये हैं जनता से उन्हें भी छीन लेना, यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि सरकार का जनता में विश्वास अब उतना नहीं रह गया है जितना पहले था और न उस जनतंत्रवादी प्रणाली में उसका विश्वास रह गया है जिसके मानने वाले होने का दम वह भरती है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी जिन माननीय सदस्य ने मेरे पहले अपनी तकरीर खत्म की है मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि बड़ी ईमानदारी के साथ उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है कि एक बार नेता चुन लेने के बाद जो मेम्बर होते हैं वे अपने सोचने का काम बन्द कर देते हैं। इसी बात की शिकायत गेंदा सिंह जी ने की थी और इसको उन्होंने बड़ी सफाई के साथ माना कि जब एक बार उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारतीय आधार पर चुन लिया या पंत जी को चुन लिया प्रदेश के मुख्य मंत्री के पद पर या बाबू सम्पूर्णानन्द जी को चुन लिया अब, तो सोचने का काम केवल उनका और इन सदस्यों और निर्वाचकों का काम केवल आंख मूंद कर पीछे चलना, श्रद्धावाद और अंधभक्ति के सिद्धांतानुसार !!

श्री वीरेन्द्रनाथ मिश्र (जिला हरदोई)---क्या आपकी तरह उल्टे चलें?

श्री झारखंडे राय---मैं बता रहा हूं कि कैसे चलें। लेकिन उनको मालूम होना चाहिये कि वह एक पार्टी के मेम्बर हैं। पार्टी फौज नहीं होती कि एक बार जनरल चुन लिया गया तो बस, आंख मूंद कर उसका हुक्म मानो। पार्टियों में नेताओं के चुनाव के बाद ऊंची से ऊंची कमेटियों के एलेक्शन के बाद भी सोचने का काम प्रत्येक मेम्बर करता है और खास कर के पार्लियामेंट या असेम्बली के मेम्बर जो चुने हुये जन प्रतिनिधि माने जाते हैं उनके सोचने का काम तो बन्द ही नहीं होता, न हो सकता है। इसलिये पार्टी को एक फौज की शक्ल में पेश करने का साहस जो हमारे माननीय ऐजाज रसूल साहब ने किया है वह बिलकुल गलत किया है।

जहां तक इस विधेयक की बुनियादी बात का प्रश्न है पिछले चुनाव में एक बात बड़ी खूबी के साथ हमारे सामने आ चुकी है। पिछले चुनाव में सारे हिन्दुस्तान में कांग्रेस को जितने वोट मिले थे उसमें सब से ज्यादा वोट हमारे सूबे में ४८.६ प्रति शत मिले थे और सारे हिन्दुस्तान में और सभी सूबों से हमारा सूबा कांग्रेस दृष्टिकोण से मजबूत माना गया था। लेकिन जब पिछले म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव हुये तो उसमें एक दूसरी बात देखने में आयी कि शहरी जनता को जब पिछले आम चुनाव के बाद अपने मत को व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उसने ३३ प्रतिशत कांग्रेस को वोट देकर यह साबित कर दिया कि आज बहुत बड़ी संख्या कांग्रेस सरकार से खिलाफ हो चुकी है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--कम्युनिस्ट के पक्ष में है ?

श्री झारखंडे राय--किसी के पक्ष में हो, लेकिन आपके पक्ष में नहीं है यह साफ हो गया। अगर किसी एक के पक्ष में होती तब तो आप वहां न रहते। तब से म्युनिसिपल बोर्ड्स और उनके चेयरमैन कांग्रेस सरकार के लिए एक प्रकार से सिरदर्द सा बन गये हैं। मैं समझता हूं कि इसको किस तरह से रोका जाय, सरकार का यही खास मतलब है। क्योंकि म्युनिसिपल बोर्ड या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पंचायतें, ये शासन और प्रबन्ध की छोटी-छोटी इकाइयां हैं, जिनमें छोटे पैमाने पर हुकूमत की जाती है, या सेवा करने का मौका मिलता है। तो इन छोटी इकाइयों में भी विरोधी दलों को मौका न मिले कि वे उनमें आ सकें, जब तक वे देश व्यापी आधार पर सरकार पलट न दें--इसलिए यह मेरी समझ में, माननीय मन्त्री जी का और उनकी सरकार का एक नापाक षडयंत्र है। आज यह षडयंत्र और नीति सारे भारतीय पैमाने पर चलायी जा रही है। चाहे युनिवर्सिटी बिल्स के बारे में देखा जाय, चाहे पार्लियामेंट में जो बहुत से अमेंडिंग बिल्स पेश हुए हैं, उनको देखा जाय। १९४७ में सत्ता हस्तान्तरण के समय इसी सरकार ने अपने पुराने उसूल के मुताबिक जो अधिकार जनता को दिये थे, उनको भी धीरे-धीरे छीनने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। उसका एक दूसरा नमूना हमारे सूबे में म्युनिसिपल बोर्ड के क्षेत्र में अब दिखायी दे रहा है। जब यह सरकार अंग्रेजों के दिये हुए अधिकारों को छीनने की जुर्रत कर सकती है, और उसने छीनने शुरू कर दिये हैं तो वह अपने जरिये दिये हुए जनवादी अधिकारों को भी छीनने की कोशिश स्वभावतः करेगी और उसी तरफ यह एक बहुत बड़ा कदम है। जहां तक हल खोजने का प्रश्न है, कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाय जिससे यह जो गुत्थी पैदा हो गयी है वह हल हो सके। उसके लिए सर्वोत्तम उपाय तिवारी जी ने पेश किया है कि एक बार इस बिल को प्रवर समिति में भेज दिया जाय। उसमें कौन सी दिक्कत है ? इस में कौन सी आसमान जमीन की बात हो जायगी ? चार दिन के बाद यह बिल फिर आये और उसके बाद आप पास कर सकते हैं। लेकिन यह मुमकिन है कि सेलेक्ट कमेटी में ठंढे दिमाग से सोचने के बाद कोई ऐसा रास्ता निकल सके, जिससे आप का उसूल भी रह सके और गुत्थी का हल भी निकल सके। लेकिन केवल यह कि अधिकार छीनते जाओ, शक्ति का केन्द्रीयकरण करते जाओ और सत्ता नौकरशाहियत के हाथ में देते जाओ, अगर यही तरीका अख्तियार करने का अन्तिम निर्णय कर लिया है, तो यह घातक चालें हैं। कुछ बात रूस और चीन के लिए अधिनायकवाद के लिए कही जाती हैं। मैं जोर देकर कहता हूं कि आप से वह बहुत अच्छे हैं। वह वही कहते हैं जो करते हैं, आप हिपोक्रैट हैं, आप की सरकार हिपोक्रैसी में विश्वास करती है। तानाशाह, तानाशाह कुछ शब्द रट लिये हैं और कुछ मेम्बरों का दुराग्रह है कि उसको बराबर रटा करते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि रूस में डेमोक्रैटिक डिक्टेटरशिप आफ दि प्रोलिटेरियन ऐन्ड पुअर पीजैन्ट्री कायम हुई थी। उसके मानी हैं कि जिन वर्गों से हुकूमत छीनी गयी, उनके अलावा बाकी जनता को डेमोक्रैटिक राइट्स हैं। लेकिन जिन वर्गों से हुकूमत छीनी गयी, जो कि शोषक वर्ग थे, उनको डेमोक्रैटिक राइट्स नहीं थे। यह ऐलानिया, पहाड़ की चोटी से वे कहते हैं, वह छिपाते नहीं हैं। चीन में डेमोक्रैसी आफ दि प्युपुल है। प्युपुल्स के मानी आचार्य नरेन्द्र देव जी, जो चीन गये थे, उनके शब्दों में मजदूर, किसान, मध्यम वर्ग और राष्ट्रीय पूंजीपति हैं। वह आदमी और वर्ग जो च्यांगकाई शेक के चाटुकार थे, जिन्होंने अमेरिका को वहां स्थापित करनेकी कोशिश की थी, उनके लिए अभी वहां डिक्टेटरशिप है, इसको साफ समझना चाहिए। जो बात वह कहते हैं, वही करते हैं और जो काम करते हैं, वही कहते हैं, वह छिपाते नहीं। आप कहते तो हैं कि हम डेमोक्रैटिक हैं, लेकिन आपका व्यवहार डिक्टेटरशिप का है। आपका आवरण तो डेमोक्रैटिक है, लेकिन आन्तरिक तत्व में आप उसी तरफ बढ़ रहेहैं जिसकी शिकायत करने का, जिसकी निन्दा करने का एक ढोंग आप रचते हैं।

अगर सरकार ईमानदारी से महसूस करती है कि इस गुत्थी को हल किया जाय, तो उस गुत्थी को हल करने के लिए सेलेक्ट कमेटी को मौका दिया जाय। अगर सेलेक्ट कमेटी कोई

[श्री झारखंडे राय]

रास्ता नहीं निकाल पायेगी, तो वह फिर भी पास हो जायगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बहुमत आज है, वही बहुमत कल भी रहेगा। चार दिन के बाद वह पास हो जायगा। इसी सेशन में आ सकता है और पास हो सकता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन सेलेक्ट कमेटी में भेजने की बात का विरोध करना मैं नहीं समझता कि उसमें कोई तत्व है। क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं पैदा होती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि सेलेक्ट कमेटी में भजने का जो सुझाव है, वह जरूर मान लेना चाहिए। पब्लिक ओपिनियन की बात दूर हो गयी, म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बरों की राय लेने की बात दूर चली गयी। लेकिन सेलेक्ट कमेटी में भेज कर इस सदन के मेम्बरों को मौका देना चाहिए कि वे ठंडे दिमाग से सोच कर कोई रास्ता निकालें, गुत्थी को सुलझाने का कोई हल निकालें। इस मौके को देने में माननीय मन्त्री जी की भी महानता होगी, उनका भी बड़प्पन होगा। इसलिए मैं मन्त्री जी से अपील करूंगा कि इस बात पर दुराग्रह के तौर पर, प्रिजुडिस के तौर पर, जिद के तौर पर, झूठी प्रतिष्ठा के तौर पर अड़ने की जरूरत नहीं है। इस सुझाव को मान कर अपनी महानता का परिचय देना है, अगर कोई सुझाव कमेटी पेश न कर सके—इसके अलावा—तो जो आप चाहेंगे, वह हो ही जायगा।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री झारखंडे राय की तकरीर का हर शब्द सुनने की कोशिश करता रहा और हर वाक्य के बाद मुझे यह मालूम होता कि शायद इस गुत्थी का वे कुछ हल बतलाने जा रहे हैं, लेकिन केवल एक ही हल उन्होंने बतलाया और वह यह कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय और सेलेक्ट कमेटी कोई न कोई हल निकाल जरूर देगी। यह विधेयक जैसा कि सबको मालूम है पहले अपर हाउस में गया, फिर इस सदन के सामने आया और कल से बराबर सदन में उस पर तकरीरें हो रही हैं। इस लिए आखिर जो यह गुत्थी है, उसका हल क्या है? अगर कोई हल विरोधी दल की तरफ से या जो अन्य पार्टीज के सदस्य हैं उनकी तरफ से आया तो यही कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा जाय, जैसे कि सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद उनके जो यहां मजमुआ दिमाग हैं, कोई विशेष कार्य कर दिखायेंगे और वहां गुत्थी का हल निकल आयेगा, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मानो यहां जो सदस्य हैं, वे कोई उचित राय नहीं दे सकते और सेलेक्ट कमेटी में जाने के बाद गुत्थी का हल निकल आयेगा यह मैं समझ नहीं सकता उसकी मैं विशेष आवश्यकता भी नहीं समझता। माननीय नारायणदत्त जी ने कल जो संशोधन पेश किया उस पर मुझे कुछ आपत्ति भी है। कोई व्यवस्था के रूप में तो मैं उस प्रश्न को नहीं उठाना चाहता, उसकी हिम्मत भी नहीं कर सकता मगर यह जरूर है कि मैं लगातार बार-बार यह सोचता रहा, उनके भाषण के बाद कि इसका सेलेक्ट कमेटी में भेजना क्या व्यवस्था के बिलकुल अनुरूप होगा। मैं यहां माननीय नारायणदत्त तिवारी का ध्यान सेलेक्ट कमेटी के स्कोप की तरफ ले जाना चाहता हूं। बहस मेरिट्स पर तो हो चुकी है उसके ऊपर तो नहीं कहूंगा मगर मैं चाहता हूं कि सेलेक्ट कमेटी के स्कोप पर हम विचार करें, मेरा विश्वास जरूर है कि माननीय नारायणदत्त जी भी उसके ऊपर इस पहलू से विचार करेंगे आया इस प्रश्न को सेलेक्ट कमेटी में ले भी जाया जा सकता है या नहीं, नियम के अनुसार। इस छोटे से बिल में—छोटे शब्द पर कुछ लोगों को ऐतराज होगा, लेकिन जब मैं छोटा कहता हूं तो यह नहीं कहता कि यह महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण विधेयक यह है—मगर छोटा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके अन्दर केवल दो बातें कही गयी हैं एक तो यह कहा गया है कि प्रेसिडेंट का चुनाव डायइरेक्ट होने के बजाय इन्डायरेक्ट हो और दूसरे यह कि शैडयूल्ड बैंक्स को अधिकार दिया जाय कि वे म्युनिसिपल निधि अपने यहां रख सकें और कुछ थोड़े से कान्सिक्वेशनल अमेंडमेंट्स हैं जिनकी कोई अहमियत नहीं है। जब डायरेक्ट या इन्डायरेक्ट चुनाव की बात तय हो जायगी, तो वे कांस्क्विवेशनल अमेंडमेंट्स तो मान ही लिये जायेंगे और शैडयूल्ड बैंक के बारे में कोई आपत्ति किसी ने नहीं उठायी है। तो प्रश्न रह गया आया प्रेसिडेंट का

चुनाव डायरेक्ट हो या इन्डाइरेक्ट। अगर यह विधेयक सिलेक्ट कमेटी में जाता है, तो वहां पर जिस तरीके का यह विधेयक है, उसमें यही संशोधन लाया जा सकता है कि चुनाव इनडायरेक्ट न हो कर डायरेक्ट हो। इसका मतलब यह है कि जो उसूल हम इस विधेयक के द्वारा प्रतिपादित करने जा रहे हैं, उसकी मुखालिफत वहां हो। मैं समझता हूं कि इस तरह का कोई भी अमेंडमेंट जो बिल के उद्देश्य के विरोध में जायगा, वह आउट आफ आर्डर होगा। मैं इसके सम्बंध में मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के दो एक उदाहरण देना चाहता हूं। उसमें कमेटी के सिन्द्धान्तों का जहां प्रतिपादन किया गया है, वहां पर यह लिखा गया है :

"In committee the details of a measure are the primary objects of consideration and alterations in its provisions are proposed. But amendment must be compatible with the principle of the bill which the House is taken to have affirmed on second reading. Hence destructive amendment, for instance, is out of order."

जो बिल का मूल मन्शा है, उसके विरोध में यदि संशोधन किया जाय तो वह आउट आफ आर्डर होगा। उसके बाद मैं पेज ५१५ पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें यह दिया हुआ है कि :

"The rules as to the admissibility of amendments are explained in detail on page no. 529—39 below, but the general powers of a committee and the limitations by which it is bound should be clearly borne in mind.

(1) A committee is bound by the decision of the House, given on second reading, in favour of the principle of the bill, and should not, therefore, amend the bill in a manner destructive of this principle."

इसके साथ-साथ स्कोप के सम्बन्ध में पेज ५३० पर हवाला दिया हुआ है जिसको मैं आपके सामने पढ़ देना चाहता हूं :

"The special rules of order respecting amendments to a bill in committee are classified below.

(5) An amendment, which is equivalent to a negative of the bill, or which would reverse the principle of the bill as agreed to on the second reading, is not admissible. Where the scope of a bill is very restricted, it is not always easy to grasp the full effect of this rule, but the method of its application can be judged from the following example.

The scope of the Parliamentary Elections (No.2) Bill, 1880 being restricted to the repeal of a section in a statute, an amendment which proposed continuance and extension of that Section was ruled out of order.

तो यह विधेयक यदि सेलेक्ट कमेटी में जाय, तो जैसा कि मैंने बतलाया कि इस तरह से विरोध में जो अमेंडमेंट आवेगा, वह इनऐडमिसिबिल होगा। केस का उदाहरण सन् १८८० का इसमें दिया गया है। निगेटिव करने वाला संशोधन रूल आउट होगा। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरह का कोई भी संशोधन जो कि इस विधेयक के मूल मन्शा के विरोध में जाय, वह आ नहीं सकता। यह जाहिर है कि हाउस में इस समय यह बिल जो बहसतलब है, उसमें डाइरेक्ट या इन्डायरेक्ट चुनाव के बारे में है कि प्रेसिडेंट का चुनाव डायरेक्ट किया जाय या इन्डायरेक्ट किया जाय। सेलेक्ट कमेटी में इसके ऊपर ही कोई अमेंडमेंट आयेगा, जो कि आउट आफ आर्डर होगा। तो मेरी समझ में नहीं आया कि सेलेक्ट कमेटी में किस चीज के ऊपर विचार करने के लिए हमारे मित्र सोच रहे हैं। इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न मैं नहीं उठा रहा हूं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इस विधेयक का जो प्रिंसिपल है जिसको यदि हम यहां पर मानते हैं और स्वीकार कर चुकते हैं, उसके बाद अगर वह सेलेक्ट कमेटी में जाता है तो वहां पर केवल उसमें आप कान्सिक्वेंशनल अमेंडमेंट ही कर सकते हैं। मेरी तिवारी जी से बात चीत हुई तो उन्होंने कहा कि हम यह कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट का इस तरीके से इन्डायरेक्ट चुनाव हो। परन्तु उसका कार्यकाल एक साल हो। इस प्रकार के

[श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना]

संशोधन तो यहां हाउस में भी किये जा सकते हैं। मैंने उन से कहा था कि आप केवल कांसिक्वेन्शियल अमेंडमेंट ही कमेटी में कर सकते हैं। सदन में इतनी बात होने के बाद कोई बात रह नहीं जाती है जिसके लिए विशेषरूप से सेलेक्ट कमेटी में जाने की जरूरत पेश हो और वहां पर हम इससे कोई बात निकाल नहीं सकेंगे। कल से इस सदन में इस बिल पर बहस हो रही है, जिसमें कोई पहलू नहीं रह गया है और सब बातों का जिक्र आ चुका है। खेर कमेटी का भी जिक्र आ चुका है, खेर कमेटी रिपोर्ट में इस तरह की बातें हैं, कि अगर इस प्रकार की कोई गुत्थी आवे तो उसका हल कैसे किया जा सकता है। उन्होंने इस बात की कल्पना की थी कि भविष्य में अगर ऐसा अधिनियम बनाय जाय जिसके अन्दर डाइरेक्ट एलेक्शन हो, और प्रेसिडेंट एवं बोर्ड में विरोध के कारण डेडलाक हो जाय, तो उसका हल उन्होंने निकाला था और वह यह था कि प्रेसिडेंट को अधिकार होगा कि वह उस बोर्ड को डिजाल्व कर दे और फिर उस बोर्ड का चुनाव हो। अगर फिर ऐसा बोर्ड आ जाय, जो चेयरमैन के विरुद्ध हो तो उस हालत में चेयरमैन रिजाइन कर दे। अगर मेजारिटी उसके साथ काम नहीं करे तो उसको हटना होगा। अगर हम इसी तरह से इसको रखें कि फिर से बोर्ड का चुनाव हो तो फिर कहीं पर इस का अन्त नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस तरीके में बड़ी दिक्कतें हैं और उन दिक्कतों को देखते हुए यह फैसला किया गया है कि इन्डायरेक्ट चुनाव हो। इसमें किसी प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त से पीछे हटने की बात नहीं है, जैसा कि झारखंडे राय जी ने कहा। मैं ऐसी बात नहीं समझता हूं। प्रजातान्त्रिक उसूल पर हमारे यहां कैबिनेट सिस्टम की सरकार है, जिसको अप्रजातांत्रिक नहीं कहा जा सकता है। यहां पर मेजारिटी पार्टी के लीडर गवर्नमेंट बनाते हैं। बोर्ड में जो मेजारिटी होती है, उसको ही प्रेसीडेंट के चुनने का अधिकार दिया जा रहा है। जिस प्रकार से अमरीका के प्रेसिडेंट की बात इस सदन में कही गयी, आप प्रेसिडेंट को यह अधिकार दे दें, कि बोर्ड के किसी फैसले को वीटो कर दे। वरना इस प्रकार के मौके आवेंगे कि प्रेसिडेंट और बोर्ड जहां एकमत न हों, वहां दिक्कतें पेश होंगी। उन्हीं को हल करने के लिए यह उपाय निकाला गया है। कल से इतनी तकरीरें हुई हैं, विरोधी पक्ष की ओर से मगर कोई उपाय नहीं बतलाया गया है। मोटिव्ज लगाना या इनफैरेंसेज निकालने में कोई तर्क नहीं है। मगर-साफ साफ जब यह मालूम है कि बोर्ड के काम में डाइरेक्ट इलेक्शन से रुकावट होती है, तो उसका कुछ उपाय तो निकालना ही है। मैं तो केवल उन्हीं बातों की ओर इशारा करना चाहता हूं, जो कल से सदन में कही गयी हैं। डेडलाक के साल्व करने का इस विधेयक में जो एक हल दिया गया है, जिससे स्थानीय निकायों का काम ठीक से चले उसे मानना चाहिए। सेलेक्ट कमेटी में भेजकर हम कोई नई बात नहीं निकाल सकते हैं।

मैं एक बात माननीय मन्त्री जी से भी निवेदन करना चाहता हूं वह यह है कि अभी साल भर पहले हमने एक ऐक्ट पास किया, जिसमें हमने कई कमेटियों की रिपोर्टों की बिना पर यह समझा कि डायरेक्ट एलेक्शन का तरीका अच्छा है और उसे रखा। साल भर के तजुर्बे के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि वह तरीका मुनासिब नहीं है और हमें इनडायरेक्ट एलेक्शन रखना चाहिए। यह एक ड्रास्टिक (महत्वपूर्ण) परिवर्तन है। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को आंकड़ों के साथ एक पूरी चीज जनता के सामने रखनी चाहिए थी, जिस से लोगों को सोचने का मौका मिलता। एक व्हाइट पेपर के किस्म की चीज निकाली जानी चाहिए तो इस किस्म के मसलों में नतीजे पर पहुंचने में आसानी होगी। इस लिए मेरा यह सुझाव जरूर है कि इस तरह के फैसले लेने से पहले जनता व सदन के सामने एक व्हाइट पेपर जैसी चीज जरूर रखनी चाहिए।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—मैं एक सफाई देना चाहता हूं। माननीय अष्ठाना जी ने एक वैधानिक आपत्ति उठायी है कि.....।

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने कोई वैधानिक आपत्ति नहीं उठायी है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संशोधन विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। जैसा माननीय अष्ठाना जी ने कहा और अन्य माननीय मित्रों ने भी कहा, मुख्य प्रश्न हमारे सामने यही है कि प्रेसीडेंट का चुनाव डायरेक्ट हो या इन्डायरेक्ट हो। मैं इस प्रश्न को एक ही दृष्टिकोण से देखता हूं कि यह जो स्वायत्त शासन सम्बन्धी अधिकार आपने दिये हैं, यह किसके हाथ में देना चाहते हैं? आप वह शक्ति किस को देना चाहते हैं कि निर्धारित सीमाओं के भीतर इन अधिकारों का उपयोग करे? आप वह शक्ति प्रेसीडेंट के हाथ में देना चाहते हैं, या बोर्ड के हाथ में देना चाहते हैं? यदि आप प्रेसीडेंट के हाथ में देना चाहते हैं, तो यह जरूरी होगा कि प्रेसीडेंट का चुनाव साधारण जनता से हो।

इलेक्शन तमाम जिलों में इस प्रकार से हो जिस प्रकार से हमारे यहां एडल्ट फ्रेंचाइज द्वारा होता है और अगर हम उसका इस प्रकार से चुनाव करते हैं तो यह भी आवश्यक होगा कि उसको पूरे अधिकार दें। अगर कोई प्रेसीडेंट जनता द्वारा चुन कर आता है तो उसको पूर्ण अधिकार दिये जाने चाहिये जिससे बोर्ड का कार्य अपनी इच्छा के अनुसार चला सके लेकिन यदि आप उन अधिकारों को बोर्ड के चुने हुये मेम्बरों के हाथ में देना चाहते हैं तो उन चुने हुये मेम्बरों को यह अधिकार होना चाहिये कि वे अपनी इच्छा के अनुसार नियम बना सकें, प्रस्ताव पास कर सकें और उन प्रस्तावों की कानूनी शक्ति हो। जो प्रस्ताव उनके द्वारा पास किये जाते हैं वे कानून ही होते हैं। ऐसी हालत में यदि कोई प्रेसीडेंट उनकी राय से सहमत नहीं है, वह अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते, तो इस प्रकार दोनों बातों में से एक ही बात हो सकती है कि या तो हम प्रेसीडेंट को ही अधिकार दें या बोर्ड के चुनीदा मेम्बरों को। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि वहां निर्वाचित सदस्य आ कर अपने यहां की समस्याओं को हल करने के लिये कानून बनायें। इस लिये अगर हम बोर्ड को अधिकार देना चाहते हैं तो हमें यह अधिकार अवश्य देना होगा कि वह अपना अध्यक्ष जो कि एक प्रकार से बोर्ड का नेता है चुन लें। मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं मालूम होती और इससे यह भी मालूम नहीं होता कि इसके द्वारा प्रजातंत्र का गला घोंटा जा रहा है। अगर किसी दल के सदस्य वहां बहुमत में आ जाते हैं तो उस दल का प्रेसीडेंट अगर चुन लिया जाता है तो इसमें प्रजातंत्र का गला किसी प्रकार भी नहीं घुटता। इसी प्रकार से पार्लियामेंट में होता है, लोक सभा में होता है और विधान सभा में भी होता है। अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भी यही अधिकार देंगे तो प्रजातंत्र का गला घुटने का प्रश्न पैदा नहीं होता। कहा यह गया कि इसकी वजह से विरोधी लोग नहीं आ सकेंगे लेकिन मैं इस बात को नहीं समझ सका। पिछले नगरपालिकाओं के चुनाव के अनुभव पर यह तो ठीक है कि कांग्रेस पार्टी के उतने मेम्बर नहीं आ सके जितने आने की आशा की जाती थी लेकिन उसके साथ ही यह भी हुआ कि और कोई पार्टी भी बहुमत प्राप्त नहीं कर पायी। यदि कुछ लोग आये तो उनमें से अधिकांश लोग स्वतंत्ररूप से आये। जो विरोधी, समाजवादी या कम्युनिस्ट आदि दल की तरफ से आये, वे ऐसे लोग आये जो पहले अधिकतर इन पार्टियों के मेम्बर नहीं थे। जो अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से प्रभाव रखते थे। जब उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टियों ने उनको अपने में ले लिया। मैं समझता हूं कि इस सिद्धांत से अगर उसमें स्वतंत्र लोगों का बहुमत हो जाता है तो उन लोगों को भी पूरा अधिकार होगा वे अपने पसन्द का प्रेसीडेंट चुन लें। यदि कोई पार्टी उसमें बहुमत से आ जाती है तो मैं नहीं समझता कि उनको अपने नेता को चुनने का अधिकार कैसे नहीं होगा। इस प्रकार से मैं नहीं समझता कि किस प्रकार से इसके द्वारा विरोधी दल के सदस्यों के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। श्री वीरेन्द्र शाह जी ने कहा वहां पैसे वाले आ जायेंगे यह तो पुरानी चीज हो गयी। मैं समझता हूं कि आज देश आगे बढ़ रहा है और पार्टी लाइन पर चुनाव हो रहा है और इसमें इस बात की कम शंका होती जा रही है। हमें अपने सदस्यों पर इस बात की शंका नहीं होनी चाहिये कि वे पैसे वालों के असर में आ जायेंगे। और इसके लिये यही ठीक है कि हम पार्टी लाइन्स पर इलेक्शन लड़ें।

[श्री जगदीश प्रसाद]

अध्यक्ष महोदय, इस बिल के लिये बराबर यह कहा गया कि इसको जनमत के लिये भेजा जाय, लोकल बाडीज के लिए भेजा जाय, इसको मैं बिल्कुल अनावश्यक समझता हूं। पहले भी हमारे प्रदेश में यही प्रणाली लागू थी, लेकिन एक्सपेरीमेंट के तजुर्बे के लिये हमने यह किया था। हमने देखा कि दूसरी प्रणाली के लाने से हमें असुविधा होती है, तो फिर उसमें फिर से परिवर्तन करने में हमें जनमत के लिये भेजने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती। इन सब विचारों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, परन्तु एक बात मैं समझता हूं कि इस अवसर पर मैं दो-तीन बातें माननीय मंत्री जी के सन्मुख रखूं तो कुछ अनुचित न होगा। एक चीज हम पहले भूल कर गये थे यह हमारा केवल एक तजुर्बा था और यह ठीक नहीं हुआ कि हमने नामांकन को बिलकुल ही हटा दिया और उसका विशेष प्रभाव यह हुआ कि जितने चुनाव हुए उनमें स्त्रियों की संख्या बहुत कम आयी। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बिल का लाभ उठायेंगे और अब नामांकन उसके अन्दर ला दिया जायगा। दूसरे चुनाव प्रणाली के विषय में मैं श्री ऐजाज रसूल के विचारों से सहमत हूं कि इसमें सिंगल ट्रांसफरेबिल सिस्टम की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साधारण वोटिंग में एलिमिनेशन के द्वारा ही चुनाव हो। इन विचारों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ़ दिन से जो बहस हो रही है, मैंने अपनी पूरी शक्ति लगा कर उसको ध्यान से सुना। इस बहस में कुछ चीजें तो अनावश्यक आ गयीं और कुछ हथियार ऐसे थे जिसको हम मुनासिब हथियार नहीं कह सकते हैं। ओछे कहना तो कुछ सख्त लफ्ज हो जायगा, लेकिन वे मुनासिब हथियार नहीं थे, जो इस्तेमाल किये गये। एक बड़ी गलतफहमी तो यह है कि बिल पिछले वर्ष पेश हुआ था और डाइरेक्ट एलेक्शन की बात पर बहुत से लोगों ने मेरे ऊपर हमला किया। शायद मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे जमाने में यह बिल आया था जिसमें डाइरेक्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था। इससे पीछे क्यों जाया जाता है। यह पीछे जाना है या आगे जाना है, यह रेट्रोग्रेटिव है या प्रोग्रेसिव है, इस बहस में मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे बहुत कुछ फायदा हो सकता है। मैं तो पहले इस गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट किसी पार्टी के दबाव में आकर, किसी पोलिटिकल प्रेसर में आकर, या किसी तरह से "पीछे से छूरा भोंकना भी", जैसा कि एक माननीय सदस्य ने इस्तेमाल किया था, इस तरह की कोई चीज है, मैं नहीं जानता। मैं तो यह कहूंगा और बहुत जोर के साथ कहूंगा कि मेरे काम करने का तरीका, अब तक ऐसा नहीं रहा जिसको लोग यह कह सकें कि यह पार्टीबाजी में आ कर गलत काम करता है। और मैं उसकी मिसालें चाहता हूं कि मुझे कोई बतलाये कि कहां-कहां पार्टी में आकर मैंने गलत काम किया है। मैं पहले कई बार मिसाल दे चुका हूं और मैं कह चुका हूं कि जब यह कहा गया था कि जो रुपया बांटा जायगा उसमें पार्टी का ख्याल किया जायगा। ५० हजार रुपया, जो टाउन एरियाज को बांटा गया उसमें उन टाउन एरियाज को जहां, कांग्रेस वाले थे सिर्फ साढ़े बारह हजार रुपया मिला और साढ़े ३७ हजार उन टाउन एरियाज को मिला जहां कांग्रेस वाले बहुमत में नहीं थे, जहां उनका अधिकार नहीं था। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जिक्र मैं इसलिये नहीं करना चाहता कि सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कांग्रेस वालों के ही हाथ में ही हैं और वहां किसी दूसरी पोलिटिकल पार्टी का कोई दखल नहीं है। लेकिन मैं म्युनिसिपैलिटीज को लेता हूं, दो दफा रोड फंड से रुपया बांटा गया सन् ५३ की मार्च में और सन ५४ की मार्च में। मैं इसको दोहरा रहा हूं कि बार-बार इस तरह के ओछे हथियार इस्तेमाल किये जाते हैं और कहा जाता है कि इससे हमेशा कांग्रेस पार्टी का लाभ होगा। सन् ५३ में जो रुपया म्युनिसिपल बोर्ड को दिया गया वह उन्हीं को दिया गया जिनको इससे पहले ३ साल में नहीं दिया गया था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

३ साल की फहरिस्त बनी, उन सालों में जिनको मिल चुका था। उन को छोड़ कर बाक़ी म्युनिसिपिल बोर्ड्स को रुपया दिया गया। उस वक्त एलेक्शन सामने थे और बहुत आसानी से उन लोगों की मदद की जा सकती थी, रुपया दे कर, ताकि वह हमारा कुछ काम करते, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एलेक्शन्स में सभी लोग आये और बोर्ड्स में कांग्रेस पार्टी की मेजारिटी नहीं हुई लेकिन फिर भी कहा जाता है कि रुपया देने में तरफदारी की गई। जिनको ५३ में मिला था उनको छोड़कर बाकी सब बोर्डों को ५४ में दिया गया और इस तरह से ५३–५४ में एक भी म्यूनिसिपल बोर्ड ऐसा नहीं है कि जिसको इन सालों में रुपया न दिया गया हो फिर कैसे कहा जा सकता है कि सारा रुपया कांग्रेस के म्युनिसिपल बोर्डों को ही दिया गया और अगर आप देखें तो पता लगेगा कि बहुत सी जगह जहाँ कांग्रेस का बहुमत है वहां सड़कों के लिये रुपया नहीं मिला और ऐसी जगह मिला कि जहां नानकांग्रेसमैन की मेजारिटी है। फिर हमारी वाटरवर्क्स और ड्रेनेज की स्कीम चल रही है। हम इस काम पर साढ़े ६ करोड़ से ज्यादा फर्स्ट ईयर प्लान में खर्च करना चाहते हैं। जिन जिन के एस्टीमेट्स और प्लान्स तैयार हैं वहां वहां हम काम शुरू करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं और हम इस बात की कोई तमीज नहीं करते कि वह कौन कौन हैं या कहाँ हैं, इसको देखने से हम इन्कार करते हैं। कायदा यह है कि जो म्युनिसिपल बोर्ड २ प्रतिशत ड्रेनेज और वाटरवर्क्स के प्लानिंग की कास्ट जमा कर दें। उनका प्लानिंग और एस्टीमेट तैयार हो जाता है, यह फेक्टर है इसमें कोई प्रायटी मुकर्रर नहीं की गई बल्कि जिन म्युनिसिपल बोर्ड्स ने चुस्ती की और अपने एस्टीमेट्स तैयार करा लिये उनका काम आगे चला, उनमें बहुत से नानकांग्रेस के बोड्स भी हैं। इस लिये कांग्रेस के बोर्ड्स हैं या नानकांग्रेस की मेजारिटी है यह देखने से हम इन्कार करते हैं। जिसने भी एस्टीमेट तैयार कराने की व्यवस्था की उनको रुपया दिया गया, बहुत से ऐसे कांग्रेस बहुमत के बोर्ड होंगे कि जहां अभी तक रुपया नहीं दिया गया है और बहुत से ऐसे भी हैं जो नानकांग्रेसमैन के हाथ में हैं और वहां काम शुरू हो गया है।

उसके बाद हमने पावर का इंतजाम किया। उसके लिये हमें केन्द्रीय सरकार से करीब २.३५ करोड़ रुपया मिला जिससे हमें ४५ शहरों में इंतजाम करना था। उसमें कोई लिहाज नहीं किया गया, कहां किस की मेजारिटी है या कौन बहुमत में है, हमने हमेशा इस निगाह से देखने से इन्कार किया है क्योंकि हम समझते हैं कि हमें सारे सूबे को आगे बढ़ाना है आगे भी अभी हम हाउसिंग की स्कीम लाने जा रहे हैं, कोई जरा भी ख़याल नहीं है कि कहां कांग्रेस पावर में है या कहां नहीं है। मैंने यह चीज़ यहां सिर्फ इस लिये दोहराई क्योंकि यहां बार बार इस तरह की बात कही जाती है। मेरा ख़याल है कि यह आबजेक्टिव फेक्टर नहीं है, यह वस्तुस्थिति के अनुसार नहीं है। एक भी मिसाल ऐसी नहीं दी गयी कि कहां कहां ऐसा किया गया। यह एक सबजेक्टिव फेक्टर हो सकता है जो दिमाग में है, वस्तु स्थिति में नहीं है, यह चीज कहीं दिखलायी नहीं देती केवल कहने भर की चीज है। मैं इस सदन का ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। इतना जिक्र कर दूं कि इत्तफाक से अभी ५–७ दिन हुये, एक जगह बदायूं में है उझियानी, वहां मैं गया था। वहां का म्युनिसिपल बोर्ड कतई इन्डिपेंडेंट पार्टी के हाथ में है, उसमें कांग्रेस वाला एक भी नहीं है। उन्होंने जो एड्रेस दिया था उसमें जो लिखा है वह आप की आज्ञा से पढ़ना चाहता हूं। मुझे मुखातिब करते हुये उझियानी म्युनिसिपल बोर्ड ने यह एड्रेस दिया था "मान्यवर, कुछ समय पूर्व यह आप को याद होगा कि यह शिकायत थी कि आप कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित मंत्री होने के नाते सम्भवतः उन नगरपालिकाओं का ध्यान भुला देंगे जो गैर कांग्रेसी दलों से बने हैं। यह भी कहा गया था कि ऐसी नगरपालिकाओं के प्रति सौतेली मां जैसा व्यवहार किया जायगा। इस अवसर पर हम उस निराधार दोषारोपण को असत्य सिद्ध करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। हमारा बोर्ड पूर्णतया स्वतंत्र सदस्यों से बना है और हमारे प्रति आप का जो व्यवहार है वह अत्यन्त उदार है। अभी अभी हम लोग ३५ हजार रुपये के अनुदान का उपयोग कर रहे हैं जो कि इस चालू वर्ष में हमें सड़क निर्माण के लिये आप ने कृपापूर्वक स्वीकृत किया है। वास्तव में हम आप के प्रति, अपने और इस बोर्ड का ध्यान रखने और सहायता के बड़े आभारी हैं और

[श्री मोहनलाल गौतम]

हम उन संकुचित मनोवृत्ति वाले लोगों के निराधार और अनुचित दोषारोपण की कड़ी निन्दा करते हैं।"

यह है वर्डिक्ट उन लोगों के खिलाफ, जो यहां इस हाउस में इस प्रकार के लांछन लगाया करते हैं। इसमें जो प्रेसीडेंट है वह बैरिस्टर है और बड़े योग्य व्यक्ति हैं और सब सदस्य इंडिपेंडेंट्स हैं। कांग्रेस वहां लड़ी भी नहीं। कांग्रेस वालों की तरफ से अगर कहा जाय, मेरे लिये तो वह बड़ी बात नहीं होती। अब अगर हम इस जहनियत को दूर कर दें और अगर हमारे दिमाग़ साफ व स्वच्छ हो जायं और ग़लत ख़यालों से दूर हो जायं कि हमेशा कांग्रेस वालों के और कांग्रेस के फायदे के लिये सब कुछ कियाजाता है, तो मैं कहूंगा कि विचार करने में आसानी होगी। अगर Extraneous influence (असंबधित प्रभाव) न आये और अगर यह खत्म हो जाये तब हम इस बिल के मेरिट्स पर सोच सकते हैं। सेलेक्ट कमेटी को रिफर करने की बात कही गयी तो अष्ठाना जी ने उसका जवाब अभी दिया। इसमें दो ही बातें हैं। या तो डाइरेक्ट एलेक्शन हो या इन्डाइरेक्ट एलेक्शन हो। तीसरा रास्ता मुश्किल मालूम होता है, कोई सरकुटस (घुमावदार) चीज तो है नहीं। हो सकता है कोई रास्ता निकल आये, लेकिन मौजूदा बात तो यही है कि डाइरेक्ट एलेक्शन हो या इन्डाइरेक्ट एलेक्शन। इस वक्त डाइरेक्ट है और इन्डाइरेक्ट का प्रविजन इस बिल में है। अगर इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को रिफर कर दिया जाय तो इसके माने यह हुये कि हाउस ने इन्डाइरेक्ट एलेक्शन को मान लिया। अब दूसरी बात झारखंडे राय जी ने यह कही कि इसको पब्लिक ओपीनियन के लिये सरकुलेट करना चाहिये मैं कहता हूं कि माननीय सदन के हर मेम्बर के लिये अपमान है अगर यह कहा जाय कि पब्लिक ओपीनियन (जनता की राय) के लिये रिफर करना चाहिये। और हमें तो पब्लिक ओपिनियन को रिप्रेजेन्ट नहीं करना चाहिये, हमारी कोई कांस्टीटुयेंसी नहीं है, हम किसी के प्रतिनिधि नहीं हैं और पब्लिक जैसा कहेगी वैसा करना चाहिये। यह बिल पहली मर्तबे इस सदन में नहीं आया है। इससे पहले अपर हाउस में गया वहां से पास हो कर आया। इसके बाद हर एक सदस्य को नोटिस मिली। इतना समय गुजर गया। क्या मेम्बरों का यह कर्त्तव्य नहीं था कि अपनी कांस्टीटुयेंसी की राय मालूम किया करें? लेकिन क्या किसी मेम्बर ने अपनी कांस्टीटुयेंसी में कोई मीटिंग की? क्या कहीं की पब्लिक ओपीनियन आई? क्या कहीं किसी म्युनिसिपल बोर्ड ने कोई रिजोल्यूशन पास किया कि वहां की पब्लिक ओपीनियन क्या है? इसके साथ ही जब यह नहीं हुआ तो क्या यह सदन पब्लिक ओपीनियन को रिप्रेजेन्ट नहीं करता, और अगर यह सदन नहीं करता तो फिर इसकी क्या जरूरत रह जाती है? इसका एक बड़ा भारी सवाल हो जायगा और इसके अतिरिक्त कैसे काम चलेगा अगर हर चीज को पब्लिक ओपीनियन के लिये भेजा जाय करे, तो वह बात सही नहीं है। यहां का हर माननीय सदस्य अपनी कुछ न कुछ कांस्टीटुयेंसी रखता है और वह उतने लोगों को रिप्रेजेंट करता है और उतने लोगों की तरफ से वह इस सदन में नुमाइन्दगी करता है। यह सदन इस प्रकार सारे प्रदेश के लोगों की नुमाइन्दगी करता है और इस सदन का जो फैसला होगा वही सारे प्रदेश की जनता का फैसला होना चाहिये। म्युनिसिपल बोर्ड्स वगैरह के बारे में यह कहा गया कि क्या इसमें किसी की राय ली गई। आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि अपर हाउस में कुंअर गुरु नारायण जी ने एक बिल की शक्ल में पेश किया था कहां कहां यह दिक्कतें आयीं, किस तरह से इसका सुझाव आया, कौन कौन लोगों ने कहा, किन म्युनिसिपल बोर्ड ने, किन मेम्बर ने, यह सब तो छोड़ दीजिये, इसका कल्मिनेशन होते हुये भी माननीय गुरू नारायण जी को अपर हाउस में यह जरूरत महसूस हुई कि यह ग़लती हो रही है और इसलिये उन्होंने बिल वहां पेश किया। मैंने वहां पर कहा था कि क्योंकि यह बिल अच्छी तरह से ड्राफ्ट नहीं है, इसलिये मुझे इस बिल को मानने में आपत्ति है, नहीं तो मैं आप के सिद्धान्त को मानता हूं, और मैंने उनसे कहा कि यह सिद्धांत तो आप का ही है, लेकिन मैंने उसको कानूनी जामा पहना दिया है। असल में तो यह बिल कुंवर गुरुनारायण जी का है जो कि उन्होंने अपर हाउस में पेश किया था और

मैंने उनके सिद्धांत को मंजूर कर लिया है । तो कहां-कहां से और किन-किन आदमियों के जरिये यह बात मेरे दिमाग में आई यह बात तो साफ हुई। यह बात मैं फिर दोहरा दूं कि यह तो माननीय कुंवर गुरु नारायण जी का बिल था उसको लीगल भाषा में ला कर मैंने अपर हाउस में और यहां रखा है। उनका जो सिद्धांत था वह बिल में ही है और यहां पेश हो चुका है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सलाहकार कौन थे ?

श्री मोहनलाल गौतम--सलाहकारों में बहुत से थे। इस सदन के सदस्य और जो सलाह देना चाहें उन सब की सलाह मुझे हमेशा मंजूर है। अगर कोई माननीय सदस्य सलाह देने से इन्कार करें, तो मजबूरी है, लेकिन मेरी प्रार्थना है कि अगर हर इस सदन का माननीय सदस्य मुझे सलाह दे दिया करे तो मैं उससे लाभ उठा सकूंगा।

इस बात को तो सभी ने मान लिया कि खराबियां हैं। यह किसी ने नहीं कहा कि जैसा चल रहा है वह ठीक है, उसको चलने देना चाहिये, इंतजाम माकूल है, आप बेकार परेशान करते हैं म्युनिसिपल बोर्ड्स को। सभी ने पहली बात को माना, झारखंडे राय जी ने कहा, सोशलिस्ट भाइयों ने भी कहा और लोगों ने भी कहा कि खराबियां हैं। अब खराबियां हैं तो ज्यादा से ज्यादा यह कहा कि कुछ दिन चलने दीजिये। लेकिन सोच लीजिये कि कब तक चलने दीजियेगा। अगर आप यह समझते हैं कि कुछ दिन चलने के बाद खराबियां दुरुस्त हो जायंगी, तो इस पर विचार हो सकता है कि साल छः महीने तक यह दिक्कतें और सही हो जायं और फिर यह दिक्कतें हल हो जायंगी। लेकिन क्या यह दिक्कतें और परेशानियां हल हो जायगीं ? मेरा ख्याल है कि नहीं होंगी और इसलिये ज्यादा दिन चलने देना मुनासिब नहीं है। अगर आप कुछ साहबान इस नतीजे पर पहुंचें कि कुछ दिन यह खराबियां चलने से दूर हो जायंगी और जिस तरह से चुनाव होता रहा है, उसी तरह से होता रहेगा और आगे चलने से कोई दिक्कत पेश नहीं आयेगी तो मुबारक हो। मैं कहता हूं कि ठीक है उसको कीजिये। इसमें बड़ी दुहाई दी गई कि डाइरेक्ट एलेक्शन हो, चुनाव का अधिकार छीना जा रहा है, डेमोक्रेसी तबाह की जा रही है । मैं समझता हूं कि यह सब हमारी घोर इग्नोरेंस है। इसमें कोई डेमोक्रेसी का सवाल नहीं है सीधा सा सिद्धांत यह है कि किस तरह का फारमेशन आप चाहते हैं। पहले अगर मैं यह कह दूं कि ब्रिटिश सिस्टम ज्यादा सक्सेसफुल (सफल) रहा है डेमोक्रेसी में अमरीकन सिस्टम से, तो इसमें कोई ग़लती नहीं मालूम होती। अमरीकन सिस्टम में एक प्रेसीडेंट का डाइरेक्ट एलेक्शन होता है उसको मैं इतना सक्सेसफुल नहीं कहता जितना कि इन्डाइरेक्ट एलेक्शन इंगलैंड का है। तो इससे डेमोक्रेसी का गला नहीं घुंटता। यह सवाल तो दो सिस्टम से अलग है और मैंने शुरू में ही कहा था और अब फिर कहता हूं, अगर आप उन खराबियों को दूर करना चाहते हैं तो इलाज बताइये। कोई इलाज तजवीज नहीं किया गया। डाइरेक्ट एलेक्शन के होते हुये भी ज्यादा से ज्यादा यह कहा गया कि प्रेसीडेंट के लिये अगर बोर्ड में नो कांफीडेंस मोशन है तो उसे हटा दिया जाय और अगर डाइरेक्ट एलेक्शन में वही प्रेसीडेंट फिर चुना जाय और फिर बोर्ड नो कांफीडेंस मोशन पास करे उसके खिलाफ तो बोर्ड को हटा दिया जाय। मान लिया कि बोर्ड हटाया गया और मेजारिटी प्रेसीडेंट के खिलाफ आ गई तो फिर प्रेसीडेंट की मेजारिटी नहीं हुई। पुनः प्रेसीडेंट को हटायेंगे या दोनों को हटायेंगे। तो इस तरह से यह नामुमकिन नहीं है कि एक स्टेज ऐसी आये कि कभी मेजारिटी प्रेसीडेंट के साथ न हो और कभी बोर्ड और प्रेसीडेंट साथ-साथ न चल पायें, चाहे जितनी बार एलेक्शन हो। तो साल्यूशन क्या है ? और कोई सेल्यूशन निकलता नहीं। उस पर आप प्रेसीडेंट का डाइरेक्ट इलेक्शन रख सकें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसका साल्यूशन फिर इस तरह नहीं होगा। यह है कि बोर्ड को आप अधिकार दें कि वह उसको रिमूव (दूर) कर दे। फिर तो एक साल्यूशन है कि उसको आप पावरफुल बना दीजिये, बजट

[श्री मोहनलाल गौतम]

को सर्टीफ़ाई करने का अधिकार दे दीजिये और बोर्ड को एक ऐडवाइजरी कैपेसिटी में रिड्यूस कर दीजिये, सिवाय इसके कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप इसके लिये तैयार हैं तो डाइरेक्ट इलेक्शन हो, मुझे कोई दिक्कत नजर नहीं आती लेकिन इस पर किसी ने नहीं कहा कि अगर ऐसी शक्ल आती है तो डाइरेक्ट एलेक्शन रहना चाहिये कि नहीं, मैं पूछना चाहता हूं अपोजीशन से जो इसका विरोध करते हैं कि अगर डाइरेक्ट एलेक्शन से चुना हुआ प्रेसीडेन्ट है तो या तो सोल्यूशन दिखलाइये परन्तु मैंने कहा कि सोल्यूशन तो है नहीं। पहले आप प्रेसीडेंट को हटा दीजिये फिर बोर्ड को हटा दीजिये और इसी तरह से यह चक्कर चलता रहे, जितनी बार चाहें हटा दीजिये। लेकिन ऐसी परिस्थिति हो सकती है जब प्रेसीडेंट के साथ मैजारिटी न हो और काम में दिक्कत पड़े। अगर ऐसा है तो इसका हल निकालना आप का काम है। हल यही है कि अगर डाइरेक्ट एलेक्शन आफ दी प्रेसीडेंट (अध्यक्ष का सीधा चुनाव) इतना प्यारा है और समझते हैं कि यही बेटर फ़ार्म आफ डेमोक्रेसी (प्रजातंत्र का उचित रूप) है, तो उसको अधिकार दीजिये और बोर्ड से अधिकार सब छीन लीजिये और सारे अधिकार प्रेसीडेंट को दीजिये। क्या आप इसके लिये तैयार हैं? अगर नहीं तैयार हैं तो मुझे कोई सेल्यूशन नहीं दिखाई दिया। और अब भी मैं चाहता हूं कि अमेंडमेंट्स के वक्त सिवाय इसके कि सिर्फ स्पीच हों, मैं कांक्रीट सजेशन्स (ठोस सुझाव) चाहता हूं। मेरी तारीफ कीजिये कि "आप बहुत अच्छे हैं", इससे कुछ फायदा नहीं है। मुझे खुशी तो होती है, कुछ फूलता भी हूं, लेकिन उससे मुझे रोशनी नहीं मिलती। मेरे सामने जो समस्या है उसका हल नहीं मिलता। इसलिये उस तारीफ के होते हुये भी मैं चाहता हूं कि कोई सजेशन दें और यह रास्ता निकाला जाय कि क्या हो। अगर रास्ता आप बता दें तो उस पर गौर हो सकता है। लेकिन इतने दिनों से यह बिल हमारे सामने है। अपर हाउस के माने हैं कि हमको भी इत्तिला हो जानी चाहिये थी। लेकिन फिर भी पिछले ६ घंटों में एक भी सोल्यूशन नहीं आया कि अगर डाइरेक्ट इलेक्शन रहे तो कैसे कन्ट्रेडिक्शन्स रिजौल्व होंगे। अब खेर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ी गयी, उसका अनुवाद हुआ और हर मिनट का कुछ रुपया होता है, वह सब जनता का रुपया भी खर्च होता है। यह तो सब हुआ। मैं इत्तिफ़ाक करता हूं सब चीजों से जो खेर कमेटी की रिपोर्ट में है। वह कुछ मेम्बर्स को ज्यादा लेती है या कम लेती है इसमें बहस नहीं है। जो उस में लिखा है वह सब मैं मानता हूं लेकिन इलाज तो बताये। अब हम इस वक्त खेर कमेटी की रिपोर्ट के जमाने में नहीं हैं। हम उन तजुर्बों से, जो खेर कमेटी के लिखने के बाद हुये, उनसे आंखें बन्द कर के, खेर कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ कर ट्रांसलेट कर दें इससे काम नहीं चलेगा। हमारा तो काम चलेगा जब कि जो परेशानियां सामने आयी हैं उनका इलाज क्या है। मैं उससे सहमत हूं और यह भी जो इसमें है मानता हूं कि इन्डाइरेक्ट इलेक्शन से खराबियां आयेंगी, वह भी मैं मान लूं। और जो आज हालत है, अगर मैं यह कहूं कि जब इन्डाइरेक्ट इलेक्शन था जो खराबियां उसमें थीं और जो डाइरेक्ट इलेक्शन के बाद अब जो खराबियां हैं, उन दोनों में किसमें ज्यादा खराबियां हैं, तो कम से कम सेक्रेटेरियट की फाइलें कहेंगी कि हर रोज १०, ५ शिकायतें आ जाती हैं, इतनी शिकायतें पहले जब इन्डारेक्ट इलेक्शन था नहीं आयीं। मैं नहीं जानता कि मैं यह कहने का दावा रख सकता हूं या नहीं कि पहले का ऐडमिनिस्ट्रेशन बेटर था या अब का है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अब का ऐडमिनिस्ट्रेशन काफी खराब है और उसका इलाज आपको करना होगा। अब क्या इलाज है, इस पर आप विचार कर लीजिये और मेरी अब भी यही धारणा है कि इन सब के होते हुये आपके सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अगर आप बोर्ड को पावर देना चाहते हैं। और अगर बोर्ड की पावर सब छीनना चाहते हैं तो फिर सवाल दूसरा है।

एक प्रश्न यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के ऐक्ट में क्यों नहीं तरमीम आयी? सही है। नहीं आयी। इसलिये नहीं आयी कि वहां का ऐलेक्शन कुछ ऐसा हुआ जिसको

कि अच्छा कहिये या बुरा कहिये, अच्छा कहने पर तो आप कहेंगे कि सब जगह कांग्रेस जीत गई इसलिये आप अच्छा कहते हैं मगर इतना जरूर है कि सन ४८ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का जो इलेक्शन हुआ वह इतना इंटेलीजेंट जरूर हुआ कि वहां सब जगह प्रेसीडेंट के साथ मेजारिटी थी। यह चीज म्युनिसिपल बोर्ड में नहीं है। इसको आप बढ़िया इलेक्शन कहिये या घटिया कहिये या चाहे जो कहिये, लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड के एलेक्शन में प्रेसीडेंट के साथ मेजारिटी नहीं आयी। अगर यह दिक्कत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में आती तो इसका भी हल निकालना पड़ता।

अब और बहुत सी बातें कही गयीं। एक साहब ने कुछ आंकड़े बयान कर दिये और कहा कि साहब जनरल एलेक्शन में आपकी जरूर जीत हुई थी लेकिन अब हार हो रही है। मैं नहीं जानता इसके क्या मानी हैं क्योंकि अलग-अलग हर एक के मानी समझने चाहिये क्या यह माने सही नहीं है कि जनता ने काफी इंटेजेंटली वोट दिये? जब जनता के सामने यह सवाल था कि प्रदेश की हुकुमत किसे दी जाय तो उन्होंने कांग्रेस को दी और जब उनके सामने यह सवाल हुआ कि भाई यह जो मामूली इन्तजाम है, नालियां साफ कराने का, सड़कें बनवाने का और झाड़ू दिलाने का तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो दूसरी पोलिटिकल पार्टीज के लोग लम्बे लम्बे वायदे करते फिरते हैं, तो उनको भी कुछ वोट दे कर देखो तो यह मामूली काम नालियां वगैरह साफ कराने का और झाड़ू वगैरह दिलाने का ये कर पाते हैं या नहीं और वह भी इस शर्त के साथ उन्होंने दिया कि अगर गलती करेंगे तो कांग्रेस की गवर्नमेंट के हाथ में ताकत है, वह गलत करने नहीं देगी। इसलिये.....

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---और आपको भी इसलिये इसका मन्त्री बनाया

श्री मोहनलाल गौतम---मुझको इसलिये मंत्री बनाया कि जनता के हित के खिलाफ किसी को कोई काम न करने दूं और न मैं करने दूंगा।

एक सदस्य---उनका मतलब था कि झाड़ू वगैरह के मुहकमे का।

श्री मोहनलाल गौतम---झाड़ू देने के लिये भी और झाड़ू सिर्फ एक सड़क पर ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों की अक्ल पर भी देने की जरूरत पड़ेगी।

और बहुत सी बातें कही गयी कि साहब यह प्राहीबीशन फेल्योर हुआ तो यहां ११ जिलों पर क्यों रुक गया। तो प्राहीबीशन फेल्योर हुआ, मान लीजिये, तो उसे क्यों नहीं हटा लिया गया। इसके माने क्या यह नहीं कि सब को शराब पीने की इजाजत क्यों नहीं दे दी गई। तो हमेशा हर बात की मिसाल हर जगह नहीं खपती। कहीं खपती है और कहीं नहीं।

एक सवाल और है सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट का। उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि इसमें और शो आफ हैंड्स में कोई फर्क नहीं है। अगर दो उम्मीदवार होंगे तो सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट से भी फर्स्ट प्रेफरेंस वाले को जब चुना जायगा तो वह भी मेजारिटी वोट से ही होगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा उम्मीदवार हैं तो शो आफ हैंड्स में क्या होगा? होना क्या चाहिये? अच्छा यह है और पहले यह कायदा भी था कि अगर दो से ज्यादा उम्मीदवार हों तो आप शो आफ हैंड्स से वोट ले लीजिए। तो मीटिंग करना पड़ेगी और कोई प्रेसाइडिंग आफिसर आयेगा और वह वोट लेगा। अगर किसी को मैजोरिटी आ जाय तब तो वह मैजोरिटी का आदमी डिक्लेयर हो जायगा। अगर ५० प्रतिशत किसी को नहीं मिले तो जिनको दो हाइऐस्ट नम्बर आफ वोट्स (सब से अधिक वोट) मिले होंगे उनको ले कर दुबारा चुनाव होगा और इस बार जो चुनाव होगा, उसमें वह दोनों ही होंगे जिसमें किसी एक को मैजारिटी नहीं मिली। जो दलील श्री ऐजाज रसूल ने दी थी कि उसमें मायनारिटी का हो जायगा तो इसमें इसमें भी यह होगा और शो हैंडस में भी यही होगा। अगर किसी को एब्सोल्यूट मैजोरिटी मिलेगी तो उसका कोई सवाल नहीं होगा। अगर नहीं मिली तो जो तरीका सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट में है वह तरीका शो आफ हैंडस में है।

[श्री मोहनलाल गौतम]

लेकिन बात यह है कि यह ज्यादा साइंटीफिक है। लेकिन फिर भी यदि सदन इस पर विचार करना चाहे, तो हो सकता है। इसलिये इस हिसाब से इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। फर्क यह है कि सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट वाला सीक्रेट बैलट है और शो आफ हैंड्स ओपिन बेलट है।

इसमें जो फायदा और नुकसान है उसको सदन जानता है। एक फायदा और है कि इसमें म्युनिसिपल बोर्ड की मीटिंग नहीं होगी बल्कि एक पोल होगा जिसमें हर मेम्बर आये और नियत समय के अन्दर वोट दे जाय। अगर मीटिंग हो और शो आफ हैंड्स में चार आदमी खड़े हैं और पहली बार ठीक नहीं हुआ तो दुबारा चुनाव में गुत्थमगुत्था हो सकती है और दुश्मन दोस्त भी बन जायेंगे। बाद दुश्मनी और दोस्ती अमल में न आये इसीलिये हमने सिंगल ट्रांसफरेबिल वोट का तरीका रक्खा है। इसमें एक तो मीटिंग नहीं होगी और ओपिन बैलट भी नहीं होगा और किसी को मालूम भी नहीं होगा कि किसने किसको वोट दिया और गिनती भी हो जायगी। आधार दोनों का एक ही है। अगर सदन इसको करना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सफाई दे दी है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने काफी समय ले लिया है। इन शब्दों के साथ मैं संशोधन का विरोध करता हूं, क्योंकि इसके सिलेक्ट कमेटी में जाने से कोई इसमें मूल परिवर्तन नहीं हो सकेगा और इंडायरेक्ट इलेक्शन ही रहेगा। उसकी डिटेल्स का कोई सवाल नहीं है और न वहां होगा। इसलिये इसको यहीं स्वीकार कर लिया जाय। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इसको स्वीकार करेगा।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४ इस सदन की प्रवर समिति को विचारार्थ भेजा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--९
विपक्ष में--७६)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटीज (संशोधन) विधेयक, १९५४, पर, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ है, विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा २ का संशोधन।

२--यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २ के खंड (२१) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड २१-ए के रूप में रख दिया जाय:

"(21-A) The expression 'Scheduled bank' shall have the meaning assigned to it in the Reserve Bank of India Act, 1954."

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ४ का संशोधन ।

३—मूल अधिनियम की धारा ४ में:—

(१) उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) Before the issue of a Notification under section 3 the State Government shall publish in the official Gazette and cause to be affixed at the office of the District Magistrate and at one or more conspicuous places within or adjacent to the local area concerned, a draft in Hindi of the proposed notification along with a notice stating that the draft will be taken into consideration on the expiry of the period as may be stated in the notice." और

(२) उपधारा (२) में शब्द "within the said period of two months" के स्थान पर शब्द "within the period stated" रख दिये जायं ।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं —

खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (१) की पंक्ति ७ के शब्द "expiry of" के बाद के शब्द हटा कर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं—

"two months from the date of publication in the official Gazette"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह संशोधन बहुत बड़ा तो नहीं है । इसमें, खंड ३ के अधीन कौन सा एरिया म्युनिसिपैलिटी में सम्मिलित किया जाय और कौन सा न सम्मिलित किया जाय, जब इस बात का डेक्लेरेशन (विज्ञप्ति) आफिशियल गजट में हो तो एक समय की अवधि होनी चाहिये । पुराने ऐक्ट में दो महीने का समय दिया हुआ है । जब नोटिस जारी की जायगी तो दो महीने का टाइम दिया जाय ताकि दो महीने के अन्दर जिसके जो सुझाव हैं वह दे दे । लेकिन इस संशोधित विधेयक में जो हमारे सामने है, इसमें यह है—

"Before the issue of a Notification under section 3 the State Government shall publish in the official Gazette and cause to be affixed at the office of the District Magistrate and at one or more conspicuous places within or adjacent to the local area concerned, a draft in Hindi of the proposed notification along with a notice stating that the draft will be taken into consideration on the expiry of the period as may be stated in the notice."

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई टाइम नहीं दिया हुआ है कि कितने समय के बाद यह ड्राफ्ट 'in consideration' होगा । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें कोई विशेष अड़चन नहीं है । जो टाइम लिमिट है वह ठीक ही है क्योंकि प्रायः ऐसा होता है कि जिस जगह की म्युनिसिपैलिटी बनाने के लिये आबादी कम होती है तो वह आसपास के गांवों को या छोटे गांवों को उसमें शामिल कर देते हैं ताकि म्युनिसिपैलिटी की जन संख्या अधिक आवश्यकतानुसार हो जाय । उसमें होता यह है कि आस पास के लोग जो शामिल होते हैं उन पर टैक्स तो लगता है लेकिन म्युनिसिपैलिटी से लाभ उनको कुछ नहीं होता । इसलिये मैं चाहूंगा कि ऐसे क्षेत्र जो म्युनिसिपैलिटियों में शामिल होंगे उनको दो महीने की अवधि दे दी जाय ।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

जो पहले का ऐक्ट है उसमें दो महीने का समय है । उसमें जो दिक्कतें नजर आयीं और रुकावटें पड़ीं उसी की वजह से यह संशोधन interested party लाया गया है । यह बात ठीक नहीं है कि कोई बगैर किसी दूसरे की जानकारी के और सलाह-मशविरे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री मोहनलाल गौतम]

के इस तरह का नोटिफिकेशन करा लेगी। हर गांव किसी न किसी गांव सभा में है और किसी गांव सभा से लेने में काफी समस्या होगी। किसी को जुल देकर कोई एरिया शामिल कर दिया जाय ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। पहली दिक्कत इस बात की होती है कि जो म्युनिसिपैलिटीज गांव को अपने अन्दर ले लेती हैं उनके सामने बहुत सी कठिनाइयां आ जाती हैं। मेरे पास बहुत सी इस बात की शिकायतें आयी हैं, और जब मैं जाता हूं तो भी मालूम होती है।अगर कई गांव म्युनिसिपैलिटी में मिला लें तो दिक्कत यह होती है कि वहां सुविधाएं पहुंचती नहीं। सड़कें बनती नहीं, स्ट्रीट लाइटिंग होती नहीं। और वह लोग कहते हैं कि हम भी टैक्स देते हैं हालांकि वहां टैक्स बहुत कम होता है। हाउस टैक्स होता ही क्या है, मकान कच्चे होते हैं। इसलिये म्युनिसिपैलिटी इस बात से बचने की तरफ जाती है कि कोई रूरल एरिया न लेना पड़े क्योंकि उससे वहां के लोगों में असंतोष फैलता है। कुछ दिन हुये गोरखपुर में गया था वहां भी यह शिकायत मिली और सब जगह शिकायत है। तो जो कठिनाइयां सामने आयी हैं उनको देख कर यह रखा गया है। किसी को जुल देकर, अंधकार में रख कर म्युनिसिपल एरिया में लाने का कोई विचार नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने उन कठिनाइयों को बताया नहीं कि वास्तव में क्या हैं। प्रत्येक गांव गांवसभा के अधीन है। हो सकता है कि गांव सभा के प्रधान से राय ली जाय। लेकिन मुझे इसमें भी शक है कि जो म्युनिसिपैलिटी अधिकारों को प्राप्त करने की ख्वाहिशमन्द होंगी वह ऐसा जरूर करेंगी। उनके लिये कोई चारा नहीं होगा। इसमें कुछ समय की अवधि नहीं होगी। हो सकता है कि जल्दी से जल्दी करवा लें, लेकिन जो गांव के रहने वाले हैं वह अपनी बातों को सामने न रखने पायें। इसलिये मैं अपने संशोधन पर दृढ़ हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (१) में प्रस्तावित उपधारा (१) की पंक्ति ७ के शब्द "expiry of" के बाद के शब्द हटा कर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायं :

"two months from the date of publication in the official Gazette."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष महोदय--प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग बन जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

(इस समय ४ बजे श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री राधाकृष्ण अग्रवाल पीठासीन हुए।)

खण्ड ४

यू० पी० ऐक्ट १९१६ की धारा १० ए० का संशोधन।

४--मूल अधिनियम की धारा १०-ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"10-A. (1) Except as provided in section 31 or 31-A, the term of every board shall be four years :

Provided that the State Government may, by notification in the official Gazette, extend from time to time the term of all or any of the boards, so, however, that the total extension in the case of any board does not in the aggregate exceed two years.

(2) The term of a board shall begin from the date of the notification issued in pursuance of section 56 that the board has been constituted."

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

श्री जोरावर वर्मा—मैं इसका विरोध करता हूं। आप की आज्ञा से मैं यह खंड पढ़ देना चाहता हूं

"Provided that the State Government, may by notification in the official Gazette, extend from time to time the term of all or any of the boards, so, however, that the total extension in the case of any board does not in the aggregate exceed two years."

इसमें जो शब्द दिये गये हैं "of all or any of the boards" जो इलेक्शंस होंगे वे साधारणतया एक ही वक्त में होंगे और नियत टाइम में होंगे और इतने दिन के लिये होंगे। इस लिये बोर्ड का टाइम एक्सटेंड हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आया कि एक बोर्ड या किसी बोर्ड का मतलब क्या है।

दूसरी जो दो साल का एक्सटेंशन दिया जा रहा है, वह ठीक नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक साल का एक्सटेंशन होना चाहिये और मुझे जहां तक याद है पंचायत राज्य ऐक्ट में भी एक साल का ही एक्सटेंशन दिया गया है। ६, ६ महीने कर के दो बार एक्सटेंशन देने की व्यवस्था उसमें है। जिस बोर्ड को जनता ने चुनकर ४ साल के लिये भेजा यह स्टेट गवर्नमेंट के लिये ठीक नहीं है कि जितने टाइम के लिये जनता ने चुना उसके आधे टाइम के लिये सरकार उसको जनता पर लादे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम—दो बातें जोरावर वर्मा ने कहीं। पहली यह "of all or any of the boards"। सबका इलेक्शन साथ साथ होगा, लेकिन किसी का टाइम बढ़े या न बढ़े। परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि किसी जगह का बढ़े और बाकी न बढ़े। कोई "epidemic" आ जाय, कहीं बाढ़ आ जाय। अगर कुछ परिस्थिति है तो कायदे कानून में ऐसा प्राविजन होना चाहिये, जिसका पहले से अन्दाज किया जा सके। जनरल इलेक्शन है लेकिन कुछ म्युनिसिपैलिटीज में यह हालत है कि वहां बीमारी फैली हुई है या बाढ़ है, परिस्थितियां ऐसी हैं जिसके कारण इलेक्शन नहीं कर सकते और वहां इलेक्शन करते हैं तो लोग कहेंगे कि हम तो मर रहे हैं आप को इलेक्शन की पड़ी है, आप अपने घर जाइये। इसलिये ला में कांटिजेंसीज का प्रावीजन होता है। पंचायत राज में भी कुल मिला कर ६ साल होता है। ५ साल के लिये उनका चुनाव और एक साल एक्सटेंशन। इसी तरह से इसमें भी कुल मिलाकर ६ साल होते हैं। ४ साल के लिये चुनाव और दो साल का एक्सटेंशन। इसलिये मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

यू० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा १३-डी का संशोधन।

५—मूल अधिनियम की धारा १३-डी में:

(१) खंड (*a*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*a*) is a dismissed servant of a Local Authority, the Central Government or the Government of a Part A, Part B or Part C State, and is debarred from re-employment thereunder ; or"

(२) अन्त में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक वाक्य के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण के रूप में बढ़ा दिया जाय—

"*Explanation*:—A Government treasurer shall not be deemed to be in the service of the State or of the Central Government the meaning of clause (*f*)."

श्री जोरावर वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (*a*) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "a Part A, Part B or Part C" के स्थान पर शब्द "any" रख दिया जाय।

इसके शब्द इस प्रकार से हैं कि :

"(*a*) is a dismissed servant of a Local Authority, the Central Government or the Government of a Part A, Part B or Part C State, and is debarred from re-employment thereunder ; or"

जो शब्द इसमें रखे हुये हैं "a Part A, Part B or Part C" यदि इनके स्थान पर any रख दिया जाय तब भी वही बात रह जाती है और वही अर्थ हो जाता है। सिर्फ बात इतनी है कि कई शब्द हैं और उनके स्थान पर एक शब्द रख देने से वह मतलब निकल जाता है। यह हो सकता है कि कांस्टीट्यूशन में कुछ संशोधन ए०, बी० और सी० के लिये हो जाय लेकिन उसके लिये अगर यहां पर any रहेगा तो उसको भी कवर करेगा और इससे हमारा मन्तव्य पूरा हो जायगा। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इसको माननीय मंत्री जी स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--यह संशोधन जो जोरावर वर्मा जी ने पेश किया है वह किसी सिद्धांत के ऊपर तो नहीं है जिस पर विवाद की जरूरत हो। लेकिन यह भाषा भी गलत नहीं मालूम होती है और हमने अपने ला आफिसर से भी पूछा था तो उनकी राय यही है कि इन शब्दों के रखने से ज्यादा definite है और इसी वजह से इनको रखा गया है। पार्ट ए० के बारे में तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बी०, सी० के बाद अगर डी० हो जाय तो उसमें दिक्कत हो जायगी। इसलिये मुझे इसमें कोई गलती नहीं दिखाई देती है और आशा है कि जोरावर वर्मा जी इसको वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा--मैं तो यही समझता हूं कि यह ठीक है और इन शब्दों के स्थान पर एक शब्द रखने से मतलब पूरा हो जाता है। मैं चाहता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५ के उपखंड (१) में प्रस्तावित खंड (*a*) की पंक्ति २ व ३ में शब्द "a Part A, Part B or Part C" के स्थान पर शब्द "any" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ६

यू० पी० एक्ट २, १९१६ की धारा ३० का संशोधन।

६--मूल अधिनियम की धारा ३० में :

(१) शब्द "any duty" के पश्चात् आने वाले शब्द "or duties" निकाल दिये जायं;

(२) शब्द "imposed" के पश्चात् आने वाले शब्द "on" के स्थान पर शब्द "upon" रख दिया जाय;

(३) शब्द "by or under" के पश्चात् आने वाले शब्द "the" के स्थान पर शब्द "this" रख दिया जाय ;

(४) शब्द "by order" के पश्चात् शब्द "together" रख दिया जाय ; और

(५) प्रतिबन्धात्मक वाक्य निकाल दिया जाय।

श्री जोरावर वर्मा—मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६ के उपखंड (४) के पश्चात् एक नया उपखंड (४-क) निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय।

(४-क) शब्द "Specified" के पश्चात् (:) कोलन के स्थान पर सेमी कोलन (;) रख दिया जाय तथा शब्द "but in no case the period of dissolution or supersession of the Board as the case may be, shall exceed six months since the date of notification" बढ़ा दिये जायं।

अधिष्ठाता महोदय, धारा ३०, डिसोल्यूशन और ससपेंशन के बारे में है लेकिन इसमें डिसोल्यूशन या ससपेंशन की अवधि निश्चित नहीं है और न यही निश्चित है कि वहां जो एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटिव अफसर द्वारा प्रबन्ध होगा वह कब तक चलेगा। इसलिये मैं ऐसा प्रतिबन्ध इस संशोधन के जरिये चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा ६ महीने तक यह प्रबन्ध चले। कोई प्रतिबन्ध न होने से यह हो सकता है कि किसी जगह परिस्थिति ऐसी हो कि वहां गवर्नमेंट के मुआफिक या गवर्नमेंट पार्टी के मुआफिक वहां की जनता न हो जिससे गवर्नमेंट वहां का चुनाव कराना उचित न समझे। धारा ३० के प्रावीजन के पहले जो वाक्य है इसमें ये शब्द जोड़ दिये जावें कि डिसोल्यूशन ज्यादा से ज्यादा ६ महीने तक रहे। इसमें कोई विशेष सिद्धांत की बात नहीं है, इसलिये मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को मानने की कृपा करेंगे।

***श्री नारायणदत्त तिवारी**—श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय जोरावर वर्मा जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस संशोधन के द्वारा इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर आकर्षित किया है। उनके संशोधन का यह उद्देश्य है कि अगर किसी म्युनिसिपल बोर्ड को सुपरसीड या भंग किया जाय तो यह अवस्था ६ महीने से अधिक न रहे। जहां तक डिसोल्यूशन का सवाल है, यह बात यही है कि इसके आगे चलकर धारा ३१(ए) में कुछ हालात बताये गये हैं जो डिसाल्व करने के बाद पैदा होंगे। अब उसके संबंध में एक दूसरा संशोधन माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में प्रस्तुत किया है। लेकिन जहां तक सुपरसेशन का सवाल है, स्थिति बिलकुल स्पष्ट है। बहुत से म्युनिसिपल बोर्ड्स आज भी हैं जो सुपरसीड हुये हैं लेकिन वहां चुनाव नहीं हुये हैं। माननीय मंत्री जी स्वयं जानते हैं कि इस प्रदेश में बहुत से बड़े बड़े ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड्स हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह अवधि ससपेंशन की या डिसोल्यूशन की ६ महीने रहे। यह हो सकता है कि १ वर्ष तक उसकी अवधि कर दी जाय। लेकिन इससे अधिक तो किसी हालत में किसी बोर्ड को सुपरसीड नहीं होना चाहिये। नये चुनाव होने चाहिये, चाहे वे किसी प्रणाली के अनुसार हों, क्योंकि कहीं पर सीधा कंट्रोल बहुत समय तक सरकार के किसी डिपार्टमेंट द्वारा नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी स्वयं यह पसन्द नहीं करेंगे कि किसी भी बोर्ड में प्रजातांत्रिक प्रणाली के अनुसार न सदस्य और न चेयरमैन हो, बल्कि वहां एक अनिश्चित समय तक कोई प्रशासक रहे। आज भी जो बातें सदन में उन्होंने कहीं हैं उनके अनुसार एडमिनिस्ट्रेटर वे नये चुनाव तक रखें। यह संशोधन इस सिद्धांत के प्रयोग की तरफ इशारा करता है कि हम अधिक से अधिक अनिश्चित काल तक एडमिनिस्ट्रेटर को न रखें। बल्कि उसकी एक निश्चित अवधि होनी चाहिये जिसके अन्दर नया बोर्ड चुना जा सके। मैं समझता हूं कि अब अवसर आ गया है कि हमको एक ऐसी अवधि नियत कर देनी चाहिये। मैं नहीं जानता कि माननीय मंत्री जी इससे कहां तक सहमत हैं। शायद वे सहमत न भी हों, लेकिन मैं उनसे अवश्य कहना चाहूंगा कि इतनी अधिक शक्ति को लेना या किसी प्रशासक के हाथ में इतने अनिश्चित काल के लिये शक्ति देना इस विधेयक की मर्यादा के विरुद्ध है और यह वांछनीय नहीं होगा। वांछनीय प्रणाली

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

को देखकर मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे माननीय जोरावर जी के संशोधन को स्वीकार कर लें। सुपरसेशन की अवधि अगर ६ महीने के बजाय एक साल कर दी जाय लेकिन उसकी अवधि होनी अवश्य चाहिये, चाहे डिजोल्यूशन की न हो।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय इस बात को दुहराने की आवश्यकता नहीं है कि गवर्नमेंट की यह सपष्ट राय है कि किसी भी स्वशासन संस्था को सुपरसीड करके वहां प्रशासक की नियुक्ति करना कोई अच्छी स्थिति नहीं है। यह चीज तो मजबूरन की जाती है और उसका दु:ख होता है। जोरावर जी का संशोधन है कि अगर किसी बोर्ड को सुपरसीड किया जाय या डिजाल्व किया जाय तो उसके चुनाव में ६ महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिये। वे दोनों के लिये ६ महीने का समय रखना चाहते हैं। डिजोल्यूशन के बाद तो तुरन्त चुनाव हो ही जाता है उसके लिये ६ महीने रखना मुनासिब है, क्योंकि किसी बोर्ड के चुनाव कराने में उसके इंतजाम करने में कुछ समय लगता है इसलिये उसके बारे में कोई खास बात नहीं है। ६ महीने के अन्दर सरकार चुनाव करा देगी, ऐसी मैं भी आशा करता हूं और मैं चाहता हूं कि सदन भी ऐसी आशा करे कि डिजोल्यूशन के बाद ६ महीने के अन्दर चुनाव हो जाना चाहिये। लेकिन जहां सुपरसेशन की बात है, यदि हम उसके लिये भी ६ महीने का समय रख देते हैं तो सुपरसेशन और डिजोल्यूशन का फर्क ही गायब हो जाता है। ६ महीने तो चुनाव में ही लग जाते हैं, कहीं की वोटर्स लिस्ट झगड़े में पड़ गयी हो, वोटर्स लिस्ट में संशोधन हो रहा हो, वोटर्स लिस्ट वार्ड वाइज बनाना हो तो उसमें ही ५-६ महीने लग जाते हैं। इसलिये सुपरसेशन के बाद भी ६ महीने नहीं होने चाहिये। इसलिये मेरे ख्याल में सुपरसेशन के बाद कोई मियाद रखना ठीक नहीं है।

आजकल एक बड़ी समस्या हमारे सामने है, उसको मैं इस तरह से पुट अप करता हूं "There is a tussle between efficiency and defficiency." (योग्यता तथा अयोग्यता के बीच में खींचा तानी है।) बिन्दकी (फतेहपुर) के नागरिक मेरे पास आये और कहा कि बोर्ड को सुपरसीड कर लीजिये, वहां का इन्तजाम बड़ा खराब है। वहां तनख्वाह भी नहीं मिल रही है, आदि आदि। उसके लिये काफी संख्या में लोग मेरे पास आये। मैंने कहा कि अभी आपको स्वयं अपना इंतजाम करने का अधिकार दिया है, मैं उसमें क्यों दखल दूं? अगर वहां कोई खराबी है तो आप अपने आपको धन्यवाद दीजिये कि आपने क्यों ऐसे गलत आदमियों को चुना है? अब मैं उसको तोड़ने या सुपरसीड करने की जिम्मेदारी क्यों लूं? जब इंतजाम में कोई घोटाला हो जाता है, हालत ज्यादा खराब हो जाती है तो वह ६ महीने के अन्दर नहीं सुधर सकती। जब किसी बोर्ड की माली हालत ज्यादा खराब हो जाती है और मजबूरन उस बोर्ड को सुपरसीड करना होता है तो उसकी हालत ६ महीने के अन्दर सुधर नहीं सकती। फिर ६ महीने तो इलेक्शन्स में ही लग जाते हैं। वह समस्या ऐसी नहीं है जो ६ महीने के अन्दर सुलझ सके। माननीय तिवारी जी ने इसी वजह से बाद में कहा कि सुपरसेशन के लिये १ साल भी हो सकता है, इसलिये ६ महीने की चीज को वे स्वयं समर्थन नहीं कर पाये। उन्होंने कहा कि डिसोल्यूशन के बात तो ६ महीने होने ही चाहिये लेकिन सुपरसेशन के लिये १ साल दिया जा सकता है, हालांकि माननीय नारायण दत्त जी जोरावर जी के संशोधन को सपोर्ट करने जा रहे थे। इसलिये मेरी राय में भी सुपरसेशन के मामले में दिक्कतें हैं, अतः उसके लिए कोई समय रक्खा जाना उचित नहीं होगा। मेरा ख्याल है कि डिसोल्येशन में ६ महीने से ज्यादा समय लगने की कोई आशा नहीं है और न उसमें इससे ज्यादा समय लगेगा और जहां तक सुपरसेशन का तालुक है ६ महीने के अन्दर कोई भी इन्तजाम को ठीक ठीक करके बोर्ड को दुरुस्त हालत में नहीं कर सकता। इसलिये मैं इस संशोधन को मानने में मजबूर हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने यह सिद्धांत मान तो लिया है कि डिजोल्यूशन होने पर ६ महीने के अन्दर चुनाव हो जाना चाहिये लेकिन इससे स्पष्ट नहीं होता कि यदि वे इसमें समय को रख दें तो उनको इसमें क्या कठिनाई हो सकती है। क्योंकि जितनी उनको कठिनाई हो सकती है, मैं समझता हूं कि मेरी समझ में उतना यह भी हो सकता है कि डिजाल्व होने पर बोर्ड साल भर या उससे अधिक रहे और इससे वहां की जनता को जो वहां एप्वाइंटिंग अथारिटी है उसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी न हो सके। तो इसको उन्होंने मान तो लिया लेकिन मुझे खेद है कि उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि वे इस चीज को मान लेते और जिस ढंग से वे ड्राप करना चाहते हैं करते तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। माननीय नारायण दत्त जी तिवारी ने जैसा कहा कि सुपरसेशन की अवधि ज्यादा हो हो तो उनके अनुसार भी माननीय मंत्री जी मान लेते तो मैं उसे स्वीकार कर लेता, क्योंकि इन दोनों परिस्थितियों में बोर्ड के सुपरसेशन और डिजोल्यूशन में कुछ अवधि मानना आवश्यक है। क्योंकि अगर अवधि न हो तब तो मैं समझता हूं कि बहुत से ऐसे कामों का होना ही मुश्किल हो जायगा। इस तरह से इतना टाइम सरकार को लेना चाहिये कि डिजोल्यूशन और सुपरसेशन करने के बाद इतना अन्तर रहे कि एलेक्शन सुचारु रूप से करा सके। मैं समझता हूं कि यह प्रजातांत्रिक सिद्धांत के अनुकूल है और यह जनता के हित में भी है। अब माननीय मंत्रीजी उसको मानें या न मानें यह दूसरी बात है लेकिन मैं यह कहूंगा कि जो मेरा संशोधन है यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इससे प्रजातंत्र का जो सिद्धांत है वह सुरक्षित होता है।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ६ के उपखंड (४) के पश्चात् एक नया उपखंड (४-क) निम्नलिखित रूप में बढ़ा दिया जाय।

"(४-क) शब्द "Specified" के पश्चात् कोलन (:) के स्थान पर सेमी कोलन (;) रख दिया जाय तथा शब्द "but in no case the period of dissolution or supersession of the Board, as the case may be, shall exceed six months since the date of notification" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६ का उपखंड (५) निकाल दिया जाय। इस खंड ३० में जो प्रतिबन्ध है, और हमारे सामने जो विधेयक है उसका जो उपखंड (५) है उसको मैं निकाल देने का संशोधन पेश करता हूं। इसलिये कि जो बोर्ड या प्रेसीडेंट को कुछ अधिकार हैं कि सुपरसेशन या डिजोल्यूशन के बाद वह अपनी परिस्थिति स्पष्ट कर सके उसको भी सरकार कम करना चाहती है। सरकार ने जो उसके ऊपर लांछन लगाया है उसको भी अगर वह एक्सप्लेन कर सकता है तो उस अधिकार को भी सरकार छीनना चाहती है। आपकी आज्ञा से मैं उस प्रोविजन को पढ़े देता हूं। खंड ३० का प्रोविजन यह है—

"Provided that before making an order superseding the Board or an order that the Board including the President be dissolved the State Government shall give an opportunity to the President to show cause, if any, and also to explain his conduct with respect to any charge made against him."

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के द्वारा बोर्ड और प्रेसीडेंट के इस अधिकार को छीना जा रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें इसको रहना चाहिये, क्योंकि ऐसा न होने से सरकार मनमाना कार्य कर सकती है। चूंकि अब पार्टी गवर्नमेंट है इसलिये जो अपोजीशन के लोग हैं उनको यह कहने का मौका हो सकता है कि सरकार ने बोर्ड को या प्रेसीडेंट को यह चांस नहीं दिया कि वे अपनी परिस्थिति को स्पष्ट कर सकें। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूं कि जो इस विधेयक में रखा गया है उसको निकाल दीजिये ताकि सचमुच में जो एक आवश्यक अंग है वह पूर्ण हो सके।

श्री जगन्नाथ मल्ल—अधिष्ठाता महोदय, यह जो धारा ३० के प्रतिबन्ध को निकाल देने का सरकार का ख्याल है, यह जो इस विधेयक में लाया गया है, वह कुछ ठीक नहीं मालूम होता है। इसलिये कि कहीं सरकारी नौकरी में भी या जैसा मजदूरों के बारे में स्टैंडिंग आर्डर बना हुआ है कि अगर किसी आदमी के ऊपर चार्ज आता है तो उसको यह मौका दिया जाता है कि वह अपनी सफाई पेश कर सके। और ऐसा ही नहीं, जहांपर लेबर के केसेज होते हैं वहां भी मौका दिया जाता है और पहले एक्सप्लेनेशन लिया जाता है, बाकायदा चार्जशीट लगाया जाता है और लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल तक में सफाई का मौका जब तक नहीं दिया जाता तब तक डिसमिसल गलत समझा जाता है। ऐसा एक व्यक्ति तक के लिये जरूरी है और यहां तो चुने हुये बोर्ड का सवाल है। अगर नेचुरल जस्टिस की बात को भी ध्यान में रखा जाय तब भी अगर किसी पर जुर्म लगाया जाता है तो उसको अपनी सफाई देने का मौका होना चाहिये, ताकि वह अपने बारे में जो कहना चाहे कह सके। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यह प्रतिबन्ध निकालने की बात जो विधेयक में रखी गई है वह ठीक नहीं है और नेचुरल जस्टिस मिल सके इस को देखते हुये इस का होना बहुत जरूरी है।

*श्री मोहनलाल गौतम—माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगर वह माननीय सदस्य जो अभी बोले हैं वे इस क्लाज को पढ़ चुके होते तो शायद वे नेचुरल जस्टिस की बात न कहे होते। संशोधन जो बिल में है वह यह है कि क्लाज ३० में जो प्राविजो है वह हटा दिया जाय। इसपर उन का संशोधन यह है कि उसको हटाया न जाय, बल्कि रहने दिया जाय। अब आप की आज्ञा से मैं इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह है क्या चीज। यह कहना कि किसी को भी जब कोई सजा दी जाती है तो उसको एक्सप्लेनेशन का मौका देना चाहिये, इससे कौन इंकार करता है। इस का प्राविजन तो इस कानून में है ही। कौन कहता है कि बोर्ड को मौका नहीं दिया जायगा? सेक्शन ३० में जो है वह प्राविजो यह है कि—

"If at any time upon representation made or otherwise, it appears to the Local Government that a board persists in making default in the performance of any duty or duties imposed on it by or under this or any other enactment, or in exceeding or abusing its powers, the Local Government may after taking into consideration the explanation of the board, by an order published with the reasons for making it in the Gazette, either dissolve the Board or supersede it for a period to be specified in the order."

इस में साफ लिखा है कि जो कुछ भी कार्यवाही लोकल गवर्नमेंट करेगी उस से पहले वह मौका देगी कि बोर्ड एक्सप्लेन करे कि क्यों न उसको डिजाल्व या सुपरसीड कर दिया जाय। इस तरह से बोर्ड को हमेशा वह मौका रहता है. जब जवाब आ जायेगा तभी धारा ३० के अनुसार यह सरकार कार्यवाही करेगी। अगर माननीय सदस्य यह पढ़ लिये होते तो नेचुरल जस्टिस का सवाल नहीं होता। श्री जोरावर जी जिस उपखंड को रखना चाहते हैं वह इस प्रकार है कि—

"Provided that before making an order superseding the Board or an order that the Board including the President be dissolved the State Government shall give an opportunity to the President to show cause,if any,and also to explain his conduct with respect to any charge made against him."

इसमें यह चीज है कि स्टेट गवर्नमेंट मौका देगी, लेकिन अगर डिजाल्व होता है तब तो यह लागू होगा, लेकिन अगर प्रेसीडेंट डिजाल्व न हो और बोर्ड के मेम्बर्स से कहा जाय तब यह लागू न होगा, तब प्रेसीडेंट से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा जायगा। ऐसा इसलिये है, क्योंकि प्रेसीडेंट जो हैं वह डायरेक्टली एलेक्टेड हैं। उससे फिर अगर एलेक्टरेट के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पास जाने को कहते हैं तो उससे भी जवाब तलब होना चाहिये। अब जब प्रेसीडेंट इनडायरेक्ट तरीके से चुना जायगा तो यह चीज नहीं आ सकती कि बोर्ड डिजाल्व हो जाय और प्रेसीडेंट कायम रहे, यह चीज समझ में नहीं आयी। यहां पर जो प्रेसीडेंट है वह डाइरेक्टली एलेक्टड है इसलिये यह तो समझ में आता है कि बोर्ड को डिजाल्व करेंगे, लेकिन प्रेसीडेंट कायम रहें, क्योंकि वह जनता से चुना हुआ होगा। लेकिन इन्डायरेक्टली एलेक्टेड प्रेसीडेंट के लिये आप ऐसा नहीं कह सकते कि बोर्ड से कहें कि तुम अलग हो और वह कायम रहेगा। उससे यह नहीं कह सकते कि तुम काहे के लिये कायम हो। क्योंकि अब जो डिस्सोलूशन होगा वह दोनों का होगा, एक का नहीं होगा, इसलिए अब प्रेसीडेंट से जवाबतलब करने या उसको चार्जेज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह प्रसीडेंट जनता के सामने जवाबदेह नहीं है। अगर वह एलेक्टेड होता तो अगर प्रसीडेंट भी जाता और बोर्ड भी जाता तो जनता उस प्रेसीडेंट से पूछती कि तुम क्यों निकाले गये? वह कह सकता है कि गवर्नमेंट ने मुझे गलत निकाला। लेकिन यहां तो बोर्ड का चुना हुआ प्रेसीडेंट है, जनता का चुना हुआ नहीं है, वह बोर्ड से कह सकता है कि मैं तो बोर्ड का वफादार था और मुमकिन है कि वह दोबारा चुन लिया जाय। इसलिये जोरावर जी ने संशोधन किया है वह नई स्कीम आफ थिंग्ज में फिट इन नहीं होता है इसलिये समझता हूं कि माननीय जोरावर जी इसको प्रेस नहीं करेंगे।

*श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से माननीय जोरावर वर्मा जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने माननीय मंत्री जी की दलीलों को बड़े ध्यान पूर्वक सुना लेकिन वे अपने प्रयोजन को स्पष्ट नहीं कर पाये। उन्होंने जो धारा ३० पढ़ी, उसमें उन्होंने जोर दिया कि बोर्ड को एक एक्सप्लेनेशन का मौका तो हमने दे दिया।

"If at any time upon representation made or otherwise, it appears to the Local Government that a board persists in making default in the performance of any duty or duties imposed on it by or under this or any other enactment, or in exceeding or abusing its powers, the Local Government may after taking into consideration the explanation of the board, by an order published with the reasons for making it in the Gazette, either dissolve the board or supersede it for a period to be specified in the order."

इसमें स्पष्ट है कि एक बार बोर्ड से जवाब तलब किया जाय। अब मान लीजिये कि कोई प्रेसीडेंट अल्पमत में हो चाहे वह डाइरेक्टली एलेक्टेड हो या इन्डाइरेक्टली एलेक्टेड हो और वह उस बोर्ड की गड़बड़ी को ठीक करना चाहे तो क्या चेयरमैन को अधिकार होगा कि उसको कर सके? माननीय मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया कि डिस्सोल्यूशन और सुपरसेशन में फ़र्क क्या है। मेरे ख्याल से सुपरसेशन तो तभी होता है जब कि सारा बोर्ड ही धांधली कर रहा हो, इम्बेजिलमेंट हो रहा हो, मालऐडमिनिस्ट्रेशन हो रहा हो और प्रशासकीय गलतियां ही नहीं, बल्कि ऐसी गम्भीर अनियमिततायें हो रही हों जिनके कारण बोर्ड का इन्तिजाम खराब हो और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाय और जब ऐसा आम वातावरण हो कि बोर्ड डेफिसिट चल रहा है तब वह सुपरसीड किया जायगा। लेकिन डिजाल्व तब किया जायगा जब जिच हो यानी उस वक्त बोर्ड की फंक्शनिंग मुश्किल हो, बोर्ड की कार्यवाही न हो सके, बोर्ड में बहुमत न हो बजट पास न हो और जब इस पर जिच हो जाय, तब उसके लिये डिस्सोल्यूशन रखा गया है। अब इन्डाइरेक्ट एलेक्शन की बात है, लेकिन उसमें यह तो नहीं किया गया कि डिजाल्व करने की बात को हटा दें। सिर्फ एक संशोधन माननीय मंत्री जी आगे कर रहे हैं कि इस भंग करने में बोर्ड और प्रेसीडेंट दोनों ही समाप्त हो जायंगे। यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

बात सही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि भंग करने की स्थिति में अगर प्रेसीडेंट की विशेष रूप से जिम्मेदारी है, मान लीजिये कि प्रेसीडेंट की वजह से जिच हो रही है या मेंबरों के एक विशेष वर्ग की ओर से जिच हो रही है तो इस बात का एक दूसरा मौका मिलना चाहिये कि वे स्थिति को ठीक कर सकें। अगर प्रेसीडेंट से दोबारा एक्सप्लेनेशन की बात रखी जाय तो उससे शायद बोर्ड का प्रशासकीय इन्तिजाम ठीक हो जाय। शायद जिच दूर हो सके, शायद बहुमत भी अपनी बात को मान सकें, तो यह दूसरा मौका वास्तव में दिये जाने की बात है। एक बार आपने एक्सप्लेनेशन मांग लिया, आप संतुष्ट नहीं हुए। फिर आपने सुपरसीड करने की अन्तिम आज्ञा निकालने के पहले या भंग करने की अन्तिम आज्ञा निकालने के पहले उनको एक मौका और दिया कि सुपरशेसन या डिजाल्व होने के पहले प्रेसीडेंट एक्सप्लेनेशन दे कि उसके ऊपर जो आरोप हैं वह उनकी सफाई दे। मेरे ख्याल से प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में दूसरी बार मौका देना कोई अनुपयुक्त नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि यह ड्राफ्टिंग में कोई शाब्दिक भूल हो गई है नहीं तो यहां पर माननीय मंत्री जी का जो मंशा मैं समझा, उसके अनुसार एक अमेंडमेंट धारा ३० में और आना चाहिये था...

श्री मोहनलाल गौतम---आप दे दीजिये संशोधन।

श्री नारायण दत्त तिवारी---तो मैं यह समझ नहीं सका कि उनका यह मंशा होते हुए भी यह रह कैसे गया? मैं समझता हूं कि यह भूल के कारण ही यह द्वितीय एक्सप्लेनेशन का मौका रह गया। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह अधिक जोर न दें और कम से कम दूसरा मौका प्रेसीडेंट को अवश्य प्रदान करें कि जिससे शायद स्थिति सम्हल जाय और इतना कड़ा कदम उठाने की जरूरत न पड़े जो सुपरसेशन या डिजोल्यूशन से हो जाता है।

*__श्री मोहनलाल गौतम__---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं अपनी नाकाबलियत महसूस करता हूं और इसका मुझे अफसोस है कि मैं अपनीबात समझा नहीं पाया। लेकिन मुझे यह भी अफसोस है कि मैं समझ नहीं पाया कि नारायणदत्त जी चाहते क्या हैं। वे पहले यह समझ लें कि नई स्कीम आफ थिंग्स और पुरानी स्कीम आफ थिंग्स जो है वह क्या है। उसमें क्या फर्क है। इस वक्त स्थिति यह है कि प्रेसीडेंट डाइरेक्टली एलेक्टेड है और बोर्ड भी। दोनों की हैसियत अलग-अलग है। बोर्ड को डिजाल्व करें और प्रेसीडेंट को कहें कि तुम भी डिजाल्व हो गये और तुम भी वोटर के पास जाओ तो उसको एक मौका देंगे एलेक्शन का। यह है आज कल। नई स्कीम जो संशोधन के द्वारा आयेगी वह यह है कि बोर्ड एलेक्टेड है, प्रेसीडेंट उसका चुना हुआ है। बोर्ड की और प्रेसीडेंट की खराबियों की जिम्मेदारी बोर्ड पर है और वह बोर्ड होगा कि जो निकले और अगर बोर्ड प्रेसीडेंट को निकालना चाहता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो यह जो दूसरा मौका दिया जा रहा है वह किसके लिये है? अगर नारायणदत्त जी यह कहें कि यह दूसरा मौका बोर्ड को मिलना चाहिये तो हो सकता है कि आप मौका दें। बोर्ड से दुबारा जवाब तलब लिया जाय, उसे वार्न कर दिया जाय। वह तो ठीक जंचता है। लेकिन प्रेसीडेंट की मार्फत आप बोर्ड को मौका देंगे यह तो है नहीं, यह मौका तो प्रेसीडेंट को ही दिया जायगा और इस तरह से यह सोचना कि प्रेसीडेंट की मार्फत बोर्ड को मौका दिया जाय मुनासिब नहीं है। अगर आप यह कहें कि कि रूल्स में ऐसा कर दीजिये कि बोर्ड को दुबारा मौका दिया जाय कि यह चार्जेज प्रूव्ड हैं और आप बताइये कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपको मौका क्यों दिया जाय ? क्यों न आपका सुपरसेशन कर दिया जाय या क्यों न आपको डिजाल्व कर दिया जाय, तो यह रूल्स में आ सकता है। लेकिन मौका प्रेसीडेंट को देने से वह बोर्ड के पास तक नहीं पहुंचता।

श्री नारायण दत्त तिवारी—प्रेसीडेंट के स्थान पर आप बोर्ड को लिख लीजिये।

श्री मोहनलाल गौतम—बोर्ड अगर लिख लिया जाय तो रूल्स में आगे जायगा, तो यह तो प्रोसीजर का सवाल है। मुलाजिमों के मामलों में इस तरह से है कि उनको दुबारा मौका दिया जाता है और कितनी ही अपीलें इस तरह से मंजूर हुई हैं कि उनको दुबारा मौका नहीं दिया गया। दुबारा उनसे यह नहीं कहा गया कि तुमको क्यों न निकाल दिया जाय, तुमको क्यों न डिस्मिस कर दिया जाय और इस तरह से बहुत से मुकदमे हमारे यहां मंजूर हुए हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट बोर्डस ने, म्युनिसिपल बोर्डस ने यह गलती की है। लेकिन इसका जो प्राविजन है वह इस संशोधन में है और इसलिये मैं इस संशोधन को मुनासिब नहीं समझता।

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, इसके पूर्व कि मैं माननीय मंत्री जी की बातों का उत्तर दूं, मैं माननीय गजेन्द्र सिंह जी और तिवारी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे इस अमेंडमेंट का समर्थन किया। गजेन्द्र सिंह जी ने बताया कि नेचुरल जस्टिस के हिसाब से कम से कम दुबारा चांस तो बोर्ड और प्रेसीडेंट को देना ही चाहिये था। जैसा अभी कहा गया है कि कि चूंकि हमने धारा ३० के अनुसार बोर्ड को एक बार मौका दे दिया कि हम उसे क्यों न डिजाल्व (भंग) कर दें, कारण बतलायें। दूसरी चीज यह बतलाई कि चूंकि अब इन्डाइरेक्ट इलेक्शन हो रहा है प्रेसीडेंट का इसलिये दुबारा मौका देने की आवश्यकता ही नहीं है। अधिष्ठाता महोदय, मैं समझ नहीं सका कि इन्डाइरेक्ट इलेक्शन से जो प्रेसीडेंट हो रहा है, अगर यह उन्हीं मेम्बर्स में से इलेक्शन होता है प्रेसीडेंट का, तब तो मंत्री जी का कथन ठीक है कि जब बोर्ड डिजाल्व हो गया तो प्रेसीडेंट भी हो गया। लेकिन अगर यह परिस्थिति आ जाती है कि किसी आउटसाइडर को चुनते हैं तो मेम्बर्स के साथ ही वह कैसे अलग हो जायगा। मैं समझता हूं यह समस्या डाइरेक्ट इलेक्शन में ठीक है। लेकिन अगर आउट साइडर को बोर्ड चुन लेता है तो यह कहा जायगा कि जिन्होंने उसको चुना था वही खत्म हो गये इसलिये वह भी खत्म हो गया। यह ठीक है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर दुबारा एक चांस दे दिया जाता तो कोई हानि नहीं है। जब तय ही है उसे सरकार को डिजाल्व करना है तो बोर्ड चाहे जहां भागे बच नहीं सकता। लेकिन अगर दुबारा टाइम दे दिया जाय तो अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम—आप हमीरपुर के लिये ऐसा नहीं कह सकते।

जोरावर वर्मा—जी नहीं, इसके लिये धन्यवाद। यह ठीक है लेकिन आप का ऐसा इरादा वहां के लिये नहीं बना था। मेरा तात्पर्य आपसे नहीं था, एक नीति की बात थी। हो सकता है कि बोर्ड एक्सप्लेन कर सके और सरकार सेटिस्फाई हो जाय। तो मेरा संशोधन था कि यह प्रावीजो अगर न निकाला जाय तो अच्छा था।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ६ का उपखंड (५) निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि खंड ६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ७

य० पी० ऐक्ट २, १९१६ की धारा ३१–ए का संशोधन।

७—मूल अधिनियम की धारा ३१–ए के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"31-A. Where a board is dissolved under section 30 the following consequences shall follow:

(*a*) All members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such, but without prejudice to their eligibility for re-election or re-noimnation.

(*d*) As soon as may be thereafter, the election or nomination of the members, and of the President, shall be held or made as the case may be, as though a general election were due under section 13-A.

(*c*) Such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall so long as the board is not reconstituted exercise and perform, so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes."

श्री जोरावर वर्मा—अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं।

खंड ७ में प्रस्तावित धारा 31--A की उपधारा (*a*) के अन्तिम शब्द "or re-nomination" निकाल दिये जायं।

अधिष्ठाता महोदय, ३१ का खंड (a) इस प्रकार है :

(*a*) All members of the board including the President shall, on a date to be specified in the order, vacate their offices as such, but without prejudice to their eligibility for re-election or re-nomination.

इसमें यह शब्द "री-नामीनेशन" को मैं समझता हूं कि सन् १९४८ में यह ऐक्ट था जिसके अनुसार इ डाइरेक्ट इलेक्शन था तो उसमें यह प्राविजन था कि नोमीनेशन की जो यवस्था है वह खत्म कर दी गई है। अब बोर्ड को ही अधिकार होगा कि वह कोआप्शन करेगा। तो अगर यह है कि मेम्बर का री न मीनेशन है तो मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था ठीक नहीं । प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त के अनुकल नहीं है। इसलिये इसके जो शब्द हैं "or re-nomi-at-on" उसको निकाल दिया जाय। मैं आशा करूंगा कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—अधिष्ठाता महोदय, मैं सिर्फ एक बात की ओर जोरावर वर्मा जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह यह है कि तीन हिल म्युनिसिपल बोर्ड्स जो हैं, नैनीताल, हल्द्वानी और मसूरी, इनमें नामीनेशन है। इसलिये इन लफ्जों का रहना जरूरी है।

*श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जोरावर वर्मा जी के संशोधन का घोर विरोध करता हूं और घोर विरोध इसलिये करता हूं कि जैसा कि कल मने जनरल डिस्कशन के वक्त अपने भाषण में कहा था कि अब ऐसी अवस्था पहुंच गई है कि म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर कुछ नामिनेशंस जरूर होने चाहिए और वह इसलिए होने चाहिए कि "जनतांत्रिक प्रणाली" यह शब्द यहां बार बार दुहराया जाता है और मुझे यदि आप इजाजत दें तो मैं यह कहूं कि यह शब्द कुछ इसी प्रकार से दुहराया जाता है जैसे तोते किसी चीज को रटा करते हैं। तो उसके महत्व को, उसके तत्व को भी थोड़ा सा स्थान देना चाहिये। क्या यह जनतांत्रिक प्रणाली में नहीं है कि जो अब तक ...

अधिष्ठाता—मैं समझता हूं कि आपका जो भाषण है वह इस संशोधन से असम्बद्ध है। यहां पर कोई नामिनेशन के उसूल की कोई बात हो यह नहीं है। बल्कि यह संशोधन जैसा कि कहा गया कुछ गलतफहमी की बिना पर था और वह मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो बतलाया उससे वह गलतफहमी दूर हो गई है।

श्री रामनरेश शुक्ल—अगर दूर हो गई है तो मैं बैठ जाता हूं।

अधिष्ठाता—(श्री जोरावर वर्मा से) आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री जोरावर वर्मा—जी नहीं।

अधिष्ठाता—अगर नहीं वापस ले रहे हैं तो मैं समझता हूं कि (श्री रामनरेश शुक्ल से) माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

श्री रामनरेश शुक्ल—मैं तो प्रसन्न था कि मेरे मित्र की गलतफहमी दूर हुई लेकिन अभी वह अपनी जगह पर हैं। तो मैं यह कह रहा था कि जिन वर्गों का प्रतिनिधित्व न हो, उनका नामिनेशन क्यों न किया जाय, जैसे यदि सारे प्रान्त के म्युनिसिपल बोर्डों को लिया जाय तो क्या स्त्रियों का प्रतिनिधित्व है, क्या ऐसे विद्वानों का प्रतिनिधित्व है जिनकी कि आवश्यकता है म्युनिसिपल बोर्ड्स को? क्या कुछ ऐसे वर्गों की जो कि बहुत गरीब हैं जो चुनाव में नहीं आ सकते उनका प्रतिनिधित्व है, इन म्युनिसिपल बोर्ड्स में? अगर नहीं है तो नामिनेशन इन सब की दवा है। जहां तक कि जिन म्युनिसिपल का जिक्र माननीय मंत्री जी ने किया, मैं समझता हूं कि वे म्यूनिसिपल बोर्ड्स सौभाग्यशाली हैं जो कि हिल के म्यूनिसिपल बोर्ड्स हैं कि उनके यहां नामजदगी है। वह चाहे जिस विचार से रखी गई हो। वह पिछड़े हुए हैं, या जो भी बात हो, लेकिन मैं तो उन्हें भाग्यशाली ही कहूंगा। इसलिए मैं जोरावर वर्मा जी के संशोधन का विरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि केवल हिल के म्युनिसिपल बोर्ड्स में ही नहीं, बल्कि जितनी भी बाकी म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनमें सब में कुछ न कुछ नामिनेशन की व्यवस्था अवश्य की जाय।

श्री जोरावर वर्मा—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे शुक्ल जी की बात सुन करके बड़ा आश्चर्य हुआ और जब उन्होंने यह कहा कि यह "तोटारटंत" है आपके द्वारा मैं यह बताना चाहता हूं कि 'तोतारटंत' मैं हूं या शुक्ल जी हैं जो कि 'यस सर और 'नो सर' के अलावा और कुछ जानते ही नहीं। जहां तक मैं समझता हूं गवर्नमेंट पार्टी के सदस्य 'यस सर और 'नो सर' के अलावा और कुछ जानते ही नहीं हैं। मैं तो ऐसा हूं कि कभी 'हां' भी कहता हूं और कभी 'नहीं' भी कहता हूं। तो वास्तव में अगर देखा जाय तो तोतारटंत वही हैं, शुक्ल जी—मैं नहीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---प्वाइंट आफ आर्डर सर। मैं अध्यक्ष महोदय से जानना चाहूंगा कि तोतारटंत यह शब्द जो प्रयोग किया गया है यह क्या पार्लियामेंटरी है?

अधिष्ठाता---दोनों ही ओर से इस्तेमाल किया गया है।

श्री वीरेन्द्रपति यादव---मैं दोनों ही ओर के लिये कह रहा हूं।

अधिष्ठाता---अब उसके लिये गुंजाइश नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा---अधिष्ठाता महोदय, पता नहीं, माननीय सदस्य कहां सोये हुए थे नहीं तो शायद इस तरह का आब्जेक्शन करने की कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे भी यह मालूम हो गया कि जब मैंने कहा तो उनको अनपार्लियामेंट्री मालूम हुआ लेकिन जब उन्होंने, सरकारी सदस्य ने, कहा तो उनको बहुत ही सुन्दर लगा।

तो मैं यह कह रहा था कि 'तोतारटंत' वास्तव में शुक्ल जी हैं। मैं नहीं हूं क्योंकि हर एक बात के ऊपर मैं जो कुछ उचित या अनुचित समझता हूं उसे कहता हूं। जिसे उचित समझता हूं उसका समर्थन करता हूं और जिसे अनुचित समझता हूं उसका विरोध करता हूं। लेकिन जो उन्होंने मेरे लिए कहा वह आप मुझ से अधिक समझ सकते हैं, उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है, उन्हीं के लिये लागू होता है। जहां तक पहाड़ के म्युनिसिपैलि बोर्ड्स की बात माननीय मंत्री जी ने कही कि पहाड़ी म्युनिसिपैलिटीज हैं वहां यह व्यवस्था है क्योंकि अक्सर जो हमारे माननीय सदस्य हैं वे हमेशा विरोध किया करते हैं। जहां देखिये कहा जाता है कि शिड्यूल कास्ट के लिये रिजर्वेशन क्यों है। मैं भी कहूंगा कि माननीय मंत्री जी बतलायें कि हिल स्टेशन पर म्युनिसिपैलिटीज में नामीनेशन की व्यवस्था क्यों है? जब शिड्यूल्ड कास्ट के लिये उनको रिजर्वेशन की व्यवस्था खराब मालम होती है तो हिल स्टेशन्स पर ऐसा क्यों है। इस पर माननीय मंत्री जी के बिना प्रकाश डाले ही माननीय शुक्ल जी ने इसकी इतनी तारीफ कर दी। ऐसा मालूम पड़ता है कि शुक्ल जी को खड़े होकर यदि मौका पड़े तो आने की आशा नहीं है। इसलिये वह चाहते हैं कि सारे प्रदेश के लिये ऐसी व्यवस्था रख दी जाय जिससे उनको भी निकट भविष्यमें नामांकत द्वारा म्युनिसिपल बोर्ड के सदस्य बनने का मौका मिल सके।

अधिष्ठाता महोदय, मैं यह समझता हूं और हो सकता है कि यह सभी बोर्ड्स के लिये हो, क्योंकि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह सिर्फ हिल स्टेशन्स की म्युनिसिपैलिटीज के लिये है। अगर मुझे यह मालूम हो जाता और इसमें कोई ऐसा संकेत होता तो मैं शायद इसको न रखता। इसलिये इसमें कोई ऐसा शब्द रख दिया जाय जिससे यह मालूम हो सके कि यह सिर्फ हिल स्टेशन्स की म्युनिसिपैलिटीज के लिये है तब तो मैं उसको वापस ले लूं। लेकिन क्योंकि मंत्री जी ने कोई ऐसा संकेत नहीं किया है कि यह सिर्फ हिल स्टेशन्स की म्युनिसिपैलिटीज के लिये है, इसलिये मैं भी डटा हूं और आशा करूंगा कि इसको रख दिया जाय। जहां तक शुक्ल जी की विद्वान, स्त्री या दबी हुई जाति के रिजर्वेशन की बात है तो मैं समझता हूं कि चाहे वह किसी स्त्री को खड़ा कर दें या किसी विद्वान को खड़ा कर दें तो आपकी पार्टी ऐसी है कि यह जीत सकता है। जहां तक उनकी पार्टी का सवाल है वह किसी को इलेक्शन के द्वारा नहीं लाना चाहते हैं बल्कि नामीनेशन के द्वारा लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि यह उनके लिये तथा उनकी पार्टी के लिये और भी अशोभनीय बात है। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी जरूर इसको स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम---अधिष्ठाता महोदय, मुझे दिक्कत यह हो रही है कि जब नामीनेशन है तो रि-नामीनेशन को कैसे निकाल दूं। जब तक नामीनेशन है तो रि-नामीनेशन जरूर रहेगा।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 31-A की उपधारा (*a*) के अंतिम शब्द "or re-nomination" निकाल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा--अधिष्ठाता महोदय मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि "खंड ७ में प्रस्तावित धारा 31-A की उपधारा (*b*) को निम्न रूप में रख दिया जाय --

"(*b*) As soon as may be thereafter, the election of the members and of the President, shall be held, as though a general election were due under section 13-A."

अधिष्ठाता महोदय, यह धारा है, जो विधेयक में रखी गई है उसमें और मेरी प्रस्तावित धारा में जो अन्तर है वह पढ़ने से मालूम पड़ेगा। जैसा कि मैं बतला चुका हूं कि वह नामीनेशन की बात है, प्रेसीडेंट और मेम्बर्स के बारे में। इसलिये मैंने इसको भी संशोधित रूप में रखा है कि इसमें नामीनेशन की व्यवस्था नहीं होनी चाहिये और जो बातें उसमें कहीं गई हैं वही बातें इसके लिये लागू होती हैं। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसको स्वीकार करें।

श्री मोहनलाल गौतम--अधिष्ठाता महोदय, मेरी दलील भी वही है जो मैं दे चुका हूं। इसलिये और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 31-A की उपधारा (*b*) को निम्न रूप में रख दिया जाय :

"(*b*) As soon as may be thereafter, the election of the members and of the President, shall be held, as though a general election were due under section 13-A."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री जोरावर वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 31-A की उपधारा (*c*) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :

"Provided that the Board in every case shall be reconstituted within six months after the date of dissolution."

अधिष्ठाता महोदय, खंड (*c*) यह है कि:--

"(*c*) Such person or persons as the State Government may appoint in that behalf shall so long as the board is not reconstituted exercise and perform, so far as may be, the powers and duties of the board and shall be deemed to be the board for all purposes."

अधिष्ठाता महोदय अभी इसके पहले जो मेरा संशोधन था कि ६ का उपखंड (५) रखा हुआ है और जो धारा ३० का प्राविजन था उसको हटाया जा रहा है, उसी प्रकार से करीब-करीब यह है। इसमें भी जब बोर्ड डिजाल्व (भंग) हो जायगा तो समय की कोई अवधि नहीं है। उस समय माननीय मंत्री जी ने यह मान लिया था कि यह बात ठीक है कि डिजोल्यूशन के बाद हम यह चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बोर्ड इलेक्ट हो जाय और इस प्रजातंत्रात्मक प्रणाली में जनता के चुने हुये प्रतिनिधि ही वहां पर आकर अपना कार्य करें। इसमें यह अवधि नहीं दी हुई है कि नामिनेटेड बोर्ड कब तक कार्य करेगा और इसके द्वारा माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में यह रखा है कि इस नामिनेटेड बोर्ड को वही अधिकार होंगे जो जनता द्वारा चुने हुये बोर्ड को होंगे। मैं समझता हूं कि नामिनेटेड लोग जो जनता द्वारा चुने हुए नहीं हैं वे यह समझते होंगे कि वे गवर्नमेंट के नामिनी हैं, इसलिये वे लोग बजाय इसके कि जनता के हित की कोई बात करें बोर्ड के अहित की बात कर सकते हैं और सरकार को खुश करने के लिये

[श्री जोरावर वर्मा]

पब्लिक मनी या जनता के हित का ख्याल नहीं रख सकते हैं। उनका यह भी उद्देश्य हो सकता है कि बजाय जनता के हित के वे अपने निजी लाभ की बात करें। जैसा कि कल माननीय नारायण दत्त जी ने पढ़ कर सुनाया था कि खेर कमेटी ने यह कहा था कि जो इनडायरेक्ट चुन कर प्रेसीडेंट होगा उसको हटाये जाने की व्यवस्था की गयी थी उसका एक खास कारण यह था कि जो इनडायरेक्ट चुने हुये प्रेसीडेंट हैं वे बोर्ड के अन्दर करप्शन कर सकते हैं। उसमें सिर्फ इनडायरेक्ट इलेक्टेड प्रेसीडेंट के लिये यह कहा गया था जिसको माननीय मंत्री जी ने माना है। तो जब पूरा बोर्ड नामिनेटेड होगा तो उस करप्शन में वृद्धि ही हो सकती है। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि सचमुच जनता के हित में यही होगा और प्रजातंत्र प्रणाली के लिये भी यही अच्छा होगा कि यह प्रतिबन्ध इस धारा के साथ जोड़ दिया जाय कि अधिक से अधिक जो नामिनेटेड बोर्ड होगा वह ६ महीने के लिये ही रहेगा और उसके बाद एलेक्शन हो जायगा।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि डिजोल्यूशन के बाद गवर्नमेंट की यह कोशिश होगी और रही है कि जितनी जल्दी चुनाव हो सके करा दिया जाय। कोई खास परिस्थिति अगर हो जाय तो बात दूसरी है, लेकिन मैं आशा करता हूं कि ६ महीने के अन्दर चुनाव हो जायगा। लेकिन इस वक्त इसको यहां रखने की कोई अवश्यकता नहीं।

जहां तक और चीजें कही गयी हैं वह तो जोरावर वर्मा जी ने अपने विचार प्रकट किये हैं। उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता कि सरकार को खुश करने के लिये सब गलत काम करेंगे। आखिर सरकार क्या है, उसके गलत काम करने से खुश कौन होगा, क्या यह हाउस गलत काम की इजाजत देगा, इतने विजिलेन्ट आइज के होते हुये, जोरावर वर्मा जी जैसे चुस्त आपोजीशन के मेम्बर के होते हुये क्या गवर्नमेंट गलत काम करने की हिम्मत करेगी? मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। जहां तक सच परसन और परसन्स की बात है उसमें वह बोर्ड रहेगा, ऐसा ख्याल नहीं है। एक आध आदमी ही उसके बीच में केयरटेकर होगा और इसलिये आशा है कि जोरावर वर्मा जी इस पर जोर नहीं देंगे।

श्री जोरावर वर्मा--अधिष्ठाता महोदय, उन्होंने, मैंने जो बातें कहीं उसके जवाब में एक बात तो यह कही कि मेरे जैसे जब विरोधी हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन केवल इस समय केलिये नहीं है। मैं मंत्री जी का विश्वास करता हूं कि जब तक वह इस विभाग के मंत्री रहेंगे तब तक गड़बड़ी बोर्ड में नहीं हो सकती है लेकिन यह जो संशोधन हो रहा है वह उस वक्त के लिए भी है जबकि इस सदन में भी न रहूं और मंत्री जी भी न हों। इस सदन में ही नहीं बल्कि इस दुनिया में ही न हों जब तक यह संशोधित न हो तब तक के लिये है, यों समय सैकड़ों, हजारों वर्ष तक चल सकता है। चूंकि उन्होंने इस संशोधन को उतना लाइटली लिया है इसलिये मैं ऐसा कहता हूं। मैं यह उचित समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस संशोधन को स्वीकार कर लें। माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसा खास कारण भी नहीं बताया कि टाइम लिमिट हो जाने से क्या परेशानी होगी।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि खंड ७ में प्रस्तावित धारा 31-A की उपधारा (*c*) के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय--

"provided that the Board in every case shall be re-constituted within six months after the date of dissolution."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

(इसके बाद सदन ५ बजकर ५ मिनट पर अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
१४ दिसम्बर, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ व १९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३ पर।)

यू० पी०, पी० डब्लू० डी०, आई० बी० ट्यूबवेल टेकनिकल इम्पलाइज एसोसियेशन के स्मृति-पत्र की मुख्य मांगों तथा उन पर की गई कार्यवाहियों का विवरण।

मांगें	मांगों पर की गई कार्यवाही
१--एसोसियेशन को उनकी मांगों के संबंध में मंत्री, सिंचाई विभाग से साक्षात्कार की आज्ञा प्रदान की जाय।	एसोसियेशन की लगभग सभी मांगों पर भली-भांति विचार करने के पश्चात् निश्चय किया जा चुका था। अतः मंत्री, सिंचाई विभाग से भेंट करने की आज्ञा देने में कोई लाभ न था। इस कारण से इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया।
२--मिस्त्रियों के हेडक्वार्टर्स पर उनके रहने के लिये सरकारी क्वार्टर्स का निर्माण किया जावे।	एसोसियेशन को मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग ने यह सूचित कर दिया है कि मिस्त्रियों के हेडक्वार्टर्स पर सरकार क्वार्टर्स के निर्माण के प्रश्न पर विचार, कुछ समय के पश्चात्, जब कि आर्थिक संकट दूर हो जावेगा, किया जावेगा।
३--एसोसियेशन की सार्वजनिक सभा में, जो जून, १९५३ में हुई थी, मांगी गयी निम्नलिखित मांगों को स्वीकार किया जाय- (क) साइकिल एलाउन्स को ३ रु० से बढ़ा कर ७ रु० ८ आना कर दिया जाय जाय। (ख) कम्पेन्सेटरी एलाउन्स को स्वीकार किया जाय। (ग) १० प्रति मास का मासिक भता दिया जाय।	इन मांगों को सरकार ने पहले ही भली भांति विचार करने के पश्चात् अस्वीकार कर दिया था। अतः मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग ने एसोसियेशन को ऐसा ही उत्तर दे दिया है।
(घ) मिस्त्रियों के वेतन-क्रम को रु० ६०-२-१०० से परिवर्तित करके रु० ७५-५-१२० कर दिया जाय।	जून, १९५४ में मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग ने यह प्रस्ताव किया है कि मिस्त्रियों के क्रम को रु० ६०-२-१०० से बढ़ाकर रु० ७५-५-१२० कर दिया जाय। मुख्य इंजीनियर का यह प्रस्ताव अभी शासन के विचाराधीन है।
(च) ट्यूबवेल मिस्त्रियों को एलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सुपरवाइजरों के पदों पर पदोन्नति दिये जाने के संबंध में १५ वर्ष की सेवाओं के प्रतिबन्ध को हटा दिया जाय।	सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि एलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सुपरवाइजरों के पदों पर पदोन्नति देने के लिये मिस्त्रियों की १५ वर्ष की सेवाओं के प्रतिबन्ध को हटा कर १० वर्ष कर दिया जाय।
(४) (क) स्टाक का जो सामान मिस्त्रियों को मिल रहा है वह अधिकांश साइज में छोटा या बड़ा आ रहा है तथा मैटीरियल भी खराब होता है। अतः उत्तम सामान प्राप्त करने की व्यवस्था की जाय। (ख) पुराने टूल्स तथा प्लान्ट्स के स्थान पर नये टूल्स तथा प्लान्ट्स सप्लाई होने चाहिये।	(क) (ख) इन मांगों के संबंध में मुख्य इंजीनियर ने संबंधित सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों को उचित कार्यवाही के लिये कह दिया है।

मांगें	मांगों पर की गई कार्य वाही
५——अस्थायी तथा वर्कचार्ज मिस्त्रियों को तुरन्त स्थायी किया जावे तथा वे मिस्त्री जो अधिक समय से काम कर रहे हैं, उन्हें योग्यता आदि से मुक्त किया जावे।	इन मांगों के संबंध में मुख्य इंजीनियर ने संबंधित सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियरों से रिपोर्ट मांगी है जिनके प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जावेगी।
६——निर्धारित सीमा के बाहर कार्य करने पर पूरा भत्ता मिलना चाहिये।	
७——सामान की देखभाल तथा रक्षा के लिये एक चौकीदार दिया जाया करे।	
८——विद्युत विभाग से जो अतिरिक्त पावर मिले उससे नलकूपों की पावर की कमी को पूरा किया जाय जिससे कि नलकूप २४ घंटे चल सके।	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७ पर।)

सूची, जिसमें सारदा हाइडल प्रोजेक्ट के ट्रांसमिशन लाइन्स के बनने की कीमत की दर फी मील दी हुई है।

सब-डिवीजन के नाम	लाइसेंस के विवरण	रेट फी मील	विवरण
सारदा हाइडल डिवीजन बरेली--		लगभग रु०	
१ सब-डिवीजन	१३२ के० वी० डबल सरकिट लाइन्स	७५,०००	
	६६ के० वी डबल सरकिट लाइन्स	५९,०००	
	६६ के० वी० डबल सरकिट लाइन्स	२७,७५०	
		४४,७००	
	३७.५ के० वी० सिंगल लाइन्स	१३,५००	
	११ के० वी० लाइन	९००० से १०,०००	कंडक्टर की नाप पर निर्भर है।
२ और ३ सब-डिवीजन्स	इन सब डिवीजनों में कोई लाइन नहीं बनाई गई है।		
सारदा हाइडल डिवीजन, शाहजहांपुर			
१ और ३सब-डिवीजन	६६ के० वी० सिंगल लाइन	२७,७५०	कंडक्टर की नाप पर निर्भर है।
१ और २ सब-डिवीजन	११ के० वी० लाइन	९००० रु० से ११,००० रु०	दोनों डिवीजन्स में यह कीमत ११ के० वी० मैन लाइन के वास्ते है जो २ सब-डिवीजन में लगा रही है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०० पर।)

तालिका

१——बागपत–गंगोह सड़क	राजकीय मार्ग
२——मुजफ्फर नगर–बुढ़ान	पक्की सड़क
३——जानसठ–मीरानपुर	पक्की सड़क
४——मनसूरपुर–शाहपुर	सीमेंट कांक्रीट ट्रैक
५——मनसूरपुर–सिसेड़ा	
६——शामली–मेंसयाल	
७——शामली–मासन्डी	
८——रोहाना–छप्पर	
९——खतोली–जसोला	
१०——खतोली फुलहट	
११——शामली–कांधला	

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १०० व १०१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०१ पर।)

क्रम संख्या	समाचार-पत्रों के नाम	ग्राहक संख्या
१	उत्तर प्रदेश पंचायती राज्य	३६,२४८
२	यू० पी० इंफारमेशन	६४५
३	इत्तिलात	३१२
४	दी जर्नल आफ करेक्शनल वर्क	४०० तक होने की संभावना है
५	पंचायत सामाचार	५२
६	"शिक्षा"	१९००
७	दीपक	शून्य १३१७ प्रतियां निःशुल्क राजकीय पुस्तकालयों में वितरित की जाती हैं
८	सरस्वती सुषमा	४३०
९	कृषि और पशु पालन	९०
	(अंग्रेजी संस्करण)	५
१०	जनसेवक	शून्य १३०० प्रतियां निःशुल्क पुलिस थानों, पी० ए० सी० कम्पनियों में तथा रिजर्व पुलिस लाइनों में वितरित की जाती है।
११	श्रमजीवी	२९०
१२	लेबर बुलेटिन	६७

पी० एस० यू० पी० ए० पी० २४६ एल० ए०—१९५५—८००

विधान सभा उत्तर प्रदेश